Page No.1

राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ८] द्वितीय विधान सभा के आठवें सत्र, १६६० का ५५वां दिवस [संख्या ३७

सोमवार, १८ अप्रेल, १६६०

विधान सभा की बैठक म० पू० ८ बज कर ५ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

———

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

———

जनलेखा समिति, १६५६-६० के प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री हरिदेव जोशी (सभापति, जनलेखा समिति): अध्यक्ष महोदय, मैं प्राइवेट संस्थाओं में राजकीय धनराशि के नियोजन से सम्बन्धित समिति के सातों प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

राजस्थान कृषि भू-धारण (संशोधन) विधेयक, १६६०

(अग्रेतर खण्डशः विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री अध्यक्ष : गवर्नमेन्ट लेजिस्लेटिव बिजनेस। राजस्थान टिनेन्सी (अमेन्डमेन्ट) बिल, १६५६.

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैंने इस टिनेन्सी (अमेन्डमेन्ट) बिल के ऊपर गत बैठक में अर्ज किया था कि जहां तक इस बिल के प्रोविजन्स का सम्बन्ध है, इसमें जो क्लॉजेज़ आर्म्ड फोर्सेज़ के लिये दिये गये हैं वे बहुत ही आवश्यक हैं और उनकी आवश्यकता पर मैंने यह अर्ज किया था कि अक्टूबर, ५५ में जब टिनेन्सी एक्ट फोर्स में आया उसके बाद ऑलरेडी टिनेन्सी एक्ट में सेफगार्ड रखा है। उनको सबलेटिंग के अनरेस्ट्रिक्टेड पॉवर्स दिये गये हैं, वे सबलेट कर सकते हैं। ५ साल की मियाद काश्तकारों के लिये मुकर्रर है वहां इनके लिए यह मियाद नहीं है। इस प्रकार से आर्म्ड फोर्सेज़ के लिये प्रोविजन्स हैं कि वे अनरेस्ट्रिक्टेड समय तक सबलेटिंग कर सकते हैं। लेकिन इस बिल के जरिये उन फौजियों के हितों की रक्षा करना आवश्यक है जिनको कंट्री के कॉज के लिये फौज में रहना पड़ता है, इसलिये वे पर्सनल कल्टीवेशन नहीं कर सकते। जब वे अपनी नौकरी से लौट कर आवें तो उनको उनकी जमीन मिल सके इसलिये इस तरह के सेफगार्ड की आवश्यकता

(श्री दामोदरलाल व्यास)

पड़ी ।

दूसरा प्रोविज़न जो इस बिल में है उसके अनुसार म्युनिसिपल सीमा, जयपुर शहर और डिवीज़नल हैड क्वार्टर्स व अन्य म्युनिसिपैलिटीज़ की जो सीमा है उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाया है इम्प्रूवमेन्ट की दृष्टि से । लेकिन आज पोज़ीशन यह आ गई है कि शहर और कस्बों में इस बात को देखना जरूरी है कि उनका डवेलपमेन्ट प्लान्ड-वे में हो। म्युनिसिपैलिटीज़ की सीमा बार बार बढ़ानी पड़ती है। आज जयपुर शहर से सांगानेर की तरफ जावें तो आप देखेंगे कि सड़क पर दूकानें बननी शुरू हो गई हैं, मकान या धर्मशाला के नाम से पंचायत या म्युनिसिपैलिटी से बगैर इजाजत लिये इमारतें बना रहे हैं। इससे आने वाले जमाने में दिक्कत आ सकती है। जहां तक जयपुर शहर की सीमा का प्रश्न है, सांगानेर एरोड्रोम तक सीमा बढ़ा दी गई है और इस बारे में नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इसलिये जरूरी है कि काश्तकार मकान बनाना चाहें तो तहसीलदार से पर्मिशन लेकर बनावें। जयपुर शहर, डिविजनल हैड क्वार्टर्स और बड़े बड़े कस्बों में यह दिक्कत आ रही है जिसकी वजह से रेस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है। इसका केवल मात्र कारण यह है कि आज काश्तकार अपनी जमीन पर मकान बना सकते हैं क्योंकि उनको अनरेस्ट्रिक्टेड पॉवर्स हैं। बेच सकते हैं, मकान बनाकर बेचते हैं तो उसमें उनको बहुत मुनाफा होता है। लेकिन शहर का डवेलपमेन्ट और प्लानिंग ठीक तरह से हो, इसलिये यह रेस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है। पर्टिकुलर एरिया फिक्स कर दिया है जिसमें बिना इजाजत मकान नहीं बना सकते। इसमें एरिया जयपुर शहर के लिये १० माइल का रखा है और दूसरी सिटी म्युनिसिपैलिटीज़ हैं उनके लिये ५ माइल का एरिया रखा है। और जो टाउन म्युनिसिपैलिटीज हैं उनके लिये २ माइल का एरिया रखा है। तो ये रेस्ट्रिक्शन्स इनके इम्प्रूवमेंट्स के लिये रखने बहुत जरूरी हैं।

इसके अलावा कुछ प्रोविज़न्स जिन पर माननीय सदस्यों ने बहुत एतराज किया वह समेरी मैथड इजेक्टमेंट के लिये रखा है, किसी काश्तकार को या शिकमी काश्तकार को कोई आदमी कानून हाथ में ले कर बेदखल कर देता है तो इसके लिये उसको रेगुलर सूट करना पड़ता है, जिसमें कि काफी टाइम लग सकता है और जिसने कानून हाथ में लिया है उसको काफी समय तक उस जमीन का फायदा मिल सकता है और जो इस तरह बेदखल किया गया है काश्तकार या शिकमी काश्तकार वह बहुत समय तक उस जमीन से फायदा उठाने से महरूम रह जाता है। इसके लिये सैक्शन ९ जनरल लॉ है और समेरी मैथड इजेक्टमेंट का दिया गया है। जो जमीन पर काबिज है उसको बेदखल कर देते हैं तो सैक्शन ९ की लाइन्स पर समेरी मैथड इजेक्टमेंट का करना जरूरी है। जिसका नाजायज़ कब्जा है उसको हटाने के लिये है। १८७ बी. इसलिये एड किया है, यह उनके लिये बहुत जरूरी है। एक तरफ हम सब टिनेन्ट्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो समेरी इजेक्टमेंट प्रोसीजर का रखना जरूरी है। इसमें खास तौर से यह बात रखी है : "Summary method of ejectment.

१८७ बी. में उसको कब्जा दिलाया जायगा। सेक्शन ९ की लाइन पर यह

(श्री दामोदरलाल व्यास)

प्रोविज़न है, इसकी बहुत जरूरत है। रोंगफुल इजेक्टमेंट के लिये यह प्रोविज़न है कि कम्पेन्सेशन के प्रोविजन के साथ ट्रेसपासर जिस जमीन पर जबरदस्ती कब्जा लेता है उसको आज तक यह हक था कि कम्पेन्सेशन ६ टाइम्स दे कर फसल ला सकता था तो उसे क्रॉप लेने का अधिकार दिया गया था, यह बिल्कुल गलत प्रोविजन था। एक काश्तकार को ६ गुना लगान देकर अपनी फसल ले आये तो यह ठीक नहीं है।

तो जिन माननीय सदस्यों ने यह प्रस्ताव रखा है कि इसको पब्लिक ओपिनियन के लिये या दुबारा सिलेक्ट कमेटी में रखा जाय, यह गलत है। सिलेक्ट कमेटी ने अच्छी तरह से इस पर गौर करके यहां भेजा है, अब इसे सलेक्ट कमेटी में भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वे प्रस्ताव वापिस लेंगे या सदन उसको नामंजूर करेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि राजस्थान टिनेन्सी (अमेंडमेंट) बिल, १६५६ को पुनः प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि राजस्थान टिनेन्सी (अमेंडमेंट) बिल, १६५६ को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया जाता है।

(विराम)

क्लॉज़ २,

श्री पी. के. चौधरी।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ २ पर मेरा जो अमेंडमेंट है वह इस प्रकार है :

1. In the first proviso sought to be added to section 66 of the principal Act, replace the words 'such improvement as is referred to in sub-clause (a) of clause 19 of section 5' by the words 'pucca dwelling House;' and in part (c) of the same proviso, replace the words 'two miles' by the words 'one mile.'

2. In the second proviso add the words 'or a farm house' at the end.

3. In the third proviso, replace the words 'one fiftieth' by the words 'one-twentieth."

अध्यक्ष महोदय, यह क्लॉज़ २ है इसके द्वारा राजस्थान टिनेन्सी एक्ट में अमेंडमेंट किया जाता है और इसका प्रोविजन इस प्रकार है :

"Provided that no such improvement as is referred to in sub-clause (a) of clause (19) of section 5 shall be made-

(श्री पी. के. चौधरी)

(a) wihtin a radius of ten miles of the Mmunicipal limits of the city of Jaipur, or

(b) Within a radius of five miles of any other city as defined in the Rajasthan Municipalities Act, 1959, or

(c) Within a radius of two miles of any other municipality... "

जहां पर अदर म्युनिसिपैलिटीज़ हैं वहां २ माइल्स की जगह १ माइल रखा है, जहां ५ माइल्स हैं वहां मैंने कोई अमेंडमेंट नहीं दिया है, पर वहां यह प्रोविजन रखा है :

" Provided that no such improvement as is referred to in sub-clause (a) of clause (19) of Section 45 shal be made... "

अब सब-क्लॉज़ ए. ऑफ क्लॉज़ १९ ऑफ सेक्शन ५ में किस किस प्रकार के प्रोविज़न्स आते हैं, यह क्लॉज़ १९ में दिया हुआ है :

" (19) 'improvement' shall mean, with reference to a tenant' s holding-

(a) a dwelling house erected on the holding by the tenant for his own occupation or a cattle-shed or a store-house or any other constructions for agricultural purposes erected or set up by him on his holding; "

अध्यक्ष महोदय, मेरा जो अमेंडमेंट है उसमें इनको रिमूव करके सिर्फ पक्का डवेलिंग हाउस के लिये पर्मिशन लेने का रखा है। मैं समझता हूं, एग्रीकल्चरिस्ट्स को फार्म पर कैटल शैड बनाने के लिये, स्टोर के लिये या और कन्स्ट्रक्शन रेज़ करना हो तो एग्रीकल्चरल पर्पज़ेज़ के लिये तहसीलदार से इजाजत लेने का झगड़ा नहीं रखना चाहिये। पक्का डवेलिंग हाउस बनाना है तो तहसीलदार से पर्मिशन ले ले। हर एक आदमी को अपनी प्रोपर्टी के मैनेजमेंट में पूरी आजादी, स्वतन्त्रता रहनी चाहिये। जयपुर सिटी म्युनिसिपैलिटी का एरिया है १० माइल्स का। उन १० माइल्स के बाहर जहां जयपुर सिटी म्युनिसिपैलिटी की हद खत्म होती है उसके बाहर उससे आगे १० माइल्स तक और दूसरी सिटी म्युनिसिपैलिटीज हैं उनके लिये रखा है कि उन म्युनिसिपैलिटीज़ की हद, बाउन्डरी जहां खत्म होती है उसके ५ मील आगे के रेडियस के लिये और टाउन म्युनिसिपैलिटीज़ के लिये छोटे छोटे कस्बे हैं, उनकी म्युनिसिपैलिटीज़ के लिये म्युनिसिपैलिटी एरिया है उससे आगे १ माइल रख रहा हूं।

मन्त्री महोदय ने कहा कि शहर एक्सपेन्ड कर रहे हैं और लोग पक्के मकान बना लेते हैं तो उनको बाद में सिटी इम्प्रूवमेंट के लिये एक्वायर करने में दिक्कत होगी। यह उनकी दलील सही नहीं है। गवर्नमेंट जब भी चाहे एक्वायर कर सकती है, पब्लिक युटिलिटी के लिये गवर्नमेंट लैंड एक्वायर करना चाहे तो किसी भी जगह लैंड एक्वायर कर सकती है, बिल्डिंग्स एक्वायर कर सकती है। शहर में भी किसी जमीन को किन्ही बिल्डिंग्स को गवर्नमेंट एक्वायर कर सकती है। उसको किसी भी लैंड या बिल्डिंग को एक्वायर करने में दिक्कत नहीं है, कोई रोक नहीं है। यह

Page No.5

(श्री पी. के. चौधरी)

स्टेचुटरिली प्रोवाइडेड है। शहर के बाहर १० मील क्या १५ माइल भी बढ़ जाय तो उस जमीन को एक्वायर करने में दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट एक्वायर कर सकती है, पर कम्पेन्सेशन आपको देना पड़ेगा। आप उस कम्पेन्सेशन से बचने के लिये, कोई पक्का मकान बना ले या और कोई कन्स्ट्रक्शन कर ले तो उसको कम्पेन्सेशन देना पड़ेगा जबकि उसे एक्वायर किया जायगा तो उस कम्पेन्सेशन से बचने के लिये आप यह रख रहे हैं, आप कोई फुल कम्पेन्सेशन नहीं देते। आज तक गवर्नमेंट ने मार्केट रेट के मुताबिक कम्पेन्सेशन नहीं दिया। कहने को कहते हैं कि मार्केट रेट के मुताबिक कम्पेन्सेशन देते हैं पर बाजार में बिड देकर जो कीमत आती हैं वह कभी नहीं देते। आपके ऑफिसर्स असेस करते हैं। तो इस तरह आप खुद असेस करते हैं कि मार्केट वेल्यू क्या है और आप फुल कम्पेन्सेशन नहीं देते।

तो आप जहां कहते हैं कि जयपुर शहर म्युनिसिपैलिटी की हद के बाहर, १० माइल बाहर का एरिया है, उसमें आप कहते हैं कि शहर एक्सपेन्ड करेगा, उस समय लैंड एक्वायर करने में दिक्कत होगी। आप मकान एक्वायर कर सकते हैं, एक्वायर करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आयेगी, पर कम्पेन्सेशन देना पड़ेगा। मैं नहीं समझता कि जयपुर शहर या कोई दूसरा शहर या दूसरे जो हमारे छोटे कस्बे हैं उनके म्युनिसिपैलिटी एरिया के बाहर शहर का बढ़ना कब जाकर शुरू होगा, वह हम कह नहीं सकते। यह एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। हो सकता है कि १० साल लग जाय। तो आज से १० साल बाद आप लैंड एक्वायर करना चाहते हैं, उसके लिये आज यह रेस्ट्रिक्शन रखना चाहते हैं, यह ठीक नहीं है।

मैंने संशोधन रखा है कि पक्का डवेलिंग हाउस बनाये तो उसके लिये पर्मिशन ले, पर एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिये कोई कन्स्ट्रक्शन कराता है, कैटल शैड बनाता है, स्टोर हाउस बनाता है, या कोई काश्तकार पंप लगाता है, डीज़ल का पंप लगाये तो डीज़ल के पम्प के प्रोटेक्शन के लिये, पम्प को लगाने के लिये यदि वह काश्तकार कन्स्ट्रक्शन कराना चाहता है तो आपका यह अमेंडमेंट मंजूर करने के बाद उसे तहसीलदार से पर्मिशन लेनी पड़ेगी। समझ में नहीं आता इस प्रकार का रेस्ट्रिक्शन क्यों रखा जाता है? एक तरफ काश्तकारों के लिये उदारता बताते हैं, उसका पसीना बहता है तो आपका खून बहता है, यह आप अपनी भावना बताते हैं पर इधर एग्रीकल्चरिस्ट्स मुश्किल से १०० में से दो, चार होंगे कि जो पक्का मकान बनायें और १० साल बाद आपको कम्पेन्सेशन देना पड़ेगा उसके लिये आप उन पर इस प्रकार की रोक लगाते हैं, यह कुछ समझ में नहीं आता। १० साल बाद आप उस बिल्डिंग को एक्वायर करेंगे तो आप उसकी कोई पूरी वेल्यू थोड़े ही देंगे डेप्रिसियेटेड वेल्यू देंगे। अगर किसी काश्तकार ने ५,००० रुपया खर्च किया है तो आप डेप्रिशियेशन निकालेंगे १० साल में उसका डेप्रिसियेशन क्या होगा? मुश्किल से डेढ़ दो हजार रुपया डेप्रिसियेटेड वेल्यू आप उसको देंगे।

मेरा ऑब्जेक्शन इस बात का है कि एग्रीकल्चरल पर्पज़ के लिये सीड हाउस है, कैटल शैड है या एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिये

Page No.6

(श्री पी. के. चौधरी)

और कन्स्ट्रक्शन बनाना है तो उसके ऊपर किसी भी प्रकार की रोक नहीं होनी चाहिये। पक्का डवेलिंग हाउस बनाये तो उसके लिये परमिशन रखना चाहिये, इसको मैं मंजूर करता हूं। आपने लिखा है कि पक्का कन्स्ट्रक्शन कहीं नहीं होना चाहिये, मेरे अमेंडमेंट में यह रखा है :

" In the second proviso add the words "or a farm house" at the end. "

सेकिन्ड प्रोवीज़ो इसका है : "Provided further that no sanction shall be necessary for the construction of a temporary structure."

यह कोई टेम्पोरेरी स्ट्रेक्चर खड़ा करना चाहे तो उसके लिये कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं रहेगी। कोई काश्तकार अपने खेत पर फार्म हाउस बनाता है; पर टेम्पोरेरी स्ट्रक्चर की कोई डेफिनिशन नहीं है, टिन पार्ट खड़े कर दे तो टेम्पोरेरी है, उसमें सीमेंट फ्लोर कर दे तो पर्मानेंट हो सकता है। कोरोगेटेड आयरन शीट्स हैं वह लगा कर पिलर्स हैं वे लोहे के लगा सकता है, लकड़ी के लगा सकता है, इसकी डेफिनिशन टेम्पोरेरी स्ट्रक्चर में ही आयेगी पर आपने यहां टेम्पोरेरी स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं किया है, आप इसको पर्मानेंट मानेंगे। दूसरी बात है कि फार्म हाउस कोई भी दो साल के लिये नहीं बनायेगा, जब तक वह रहना चाहे रह सके, इस प्रकार का बनायेगा। एग्रीकल्चर सीजन में कोई काश्तकार वहां रहना चाहे तो इस प्रकार के फार्म हाउस बनाने के लिये परमिशन लेना जरूरी नहीं होनी चाहिये।

जयपुर शहर के लिये १० माइल का रखा है, इसमें मुझे एतराज नहीं। छोटे टाउन्स के लिये २ माइल का रखा है उसकी जगह १ माइल रखना चाहिये। हमारा इरादा है विलेजेज को डेवलप करने का, तो छोटे कस्बों के लिये २ माइल का रखा है वह ठीक नहीं है।

थर्ड प्रोविज़ो में रखा है :

"Provided also that all or any such improvements shall not extend over such area, not exceeding one-fiftieth of the total area of the holding, as may be prescribed and shall not be sanctioned otherwise than in the prescribed circumstances. "

यह इस प्रकार का कन्स्ट्रक्शन या सारा कन्स्ट्रक्शन मिला कर, उसकी कुल जमीन है उसका १।५० से ज्यादा नहीं हो सकता। जिसके पास ५० बीघा जमीन है वह तो एक बीघा पर, जिसके पास १०० बीघा जमीन है वह २ बीघा पर कन्स्ट्रक्शन करा सकता है पर जिसके पास १० बीघा जमीन ही है वह क्या करेगा? कैटल शैड, सीड हाउस कैसे बनायेगा? इसलिये मेरा जो अमेंडमेंट है कि १।२० रखें। स्मॉल होल्डिंग्स के लिये, स्मॉल लैंड होल्डर्स के लिये इतनी रियायत रखनी चाहिये। स्टोर हाउस, कैटल शैड बनायें तो उसको दिक्कत नहीं हो। इसलिये मेरा अमेंडमेंट है कि १।५० की जगह पर १।२० होना चाहिये। क्योंकि आपने प्रोविजन रखा है कि परमिशन लेने के बाद भी १।५० से ज्यादा नहीं होना

(श्री पी. के. चौधरी)

चाहिये, यह ठीक नहीं। इतना ही मेरा इसमें निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : श्री मोतीलाल ! आप पेश कर रहे हैं अपना अमेंडमेंट ?

श्री मोतीलाल (डीडवाना) : जी हां। अध्यक्ष महोदय,...

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): the amendment has not been circulated.

श्री मोतीलाल : सर्कुलेट हो गया है, मुझे मिल गया है, यह लें आप।

श्री अध्यक्ष : लिस्ट नं० ४।

श्री मोतीलाल : क्लॉज़ २ में मेरा यह अमेंडमेंट है, माननीय अध्यक्ष, :

"In the first proviso proposed to be added to section 66 of the principal Act, the words 'one mile' be substituted for the words 'ten miles', 'five miles' and 'two miles' appearing respectively in parts (a), (b) and (c). इसमें दूसरा हिस्सा है :"Further proviso may be deleted." माननीय अध्यक्ष, इसमें (ए), (बी), (सी) में यह लिखा गया है कि जयपुर शहर के म्युनिसिपल एरिया से बाहर १० माइल तक, दूसरे सिटी हैं, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर, इनके म्युनिसिपल एरिया से बाहर ५ माइल तक और दूसरी टाउन म्युनिसिपैलिटीज़ हैं उनके म्युनिसिपल एरिया से बाहर २ माइल तक इम्प्रुवमेंट के लिये १६ ए. के मालिक परमिशन लेना होगा, उनके ऊपर कन्ट्रोल रहेगा।

अभी मन्त्री महोदय अपना जवाब दे रहे थे। उसमें उन्होंने कहा कि जयपुर का म्युनिसिपल एरिया सांगानेर तक बढ़ गया है, इधर अजमेर रोड पर ५ माइल तक बढ़ गया है। आज जो जयपुर शहर का एरिया इधर सांगानेर और अजमेर रोड़ पर भांकरोटा तक बढ़ गया है उससे आगे १० माइल और रखा है। इस बिल का क्लॉज़ २ है उसमें है कि म्युनिसिपल एरिया इस हद तक पहुँच चुका है, उससे आगे १० मील और, इधर सांगानेर से १० मील आगे और, अजमेर रोड पर ५ मील पर भांकरोटा है उससे १० मील आगे तक इस प्रकार की रोक लगाई है।

उधर भांकरोटा जयपुर से नौ मील है, तो पांच मील के बाद दस मील और जोड़ा है, तो १५ मील तक चला गया। उधर १५ मील तक पहुंचता है, इधर सांगानेर से आगे पहुंचेगा। आगे जाकर कहां पहुँचेगा, टोंक के आसपास पहुंच जायगा, इधर बनस्थली के आसपास पहुंचेगा, इधर पहुँचेगा कनकपुरा, धनकिया के आसपास, दो स्टेशन आगे पहुँच जायगा। इनकी मन्शा अगर यह है कि म्युनिसिपल एरिया जो आज बढ़ा हुआ है उससे आगे पांच मील बढ़ायें, तो सोचनीय बात है। आज म्युनिसिपल एरिया का एक्सटेन्सन हो रहा है, म्युनिसिपल एरिया बढ़ चुका है, वह पांच मील तक जा चुका है तो इधर सांगानेर के आगे पहुंच जायेगा। मेरा निवेदन है कि जब म्युनिसिपल एरिया बढ़ रहा है उसको १० मील तक और आगे बढ़ाने का विचार रखते हैं, तो वहां जो एग्रीकल्चरल लैंड है, जो वहां रहते हैं, वे

(श्री मोतीलाल)

अगर फार्म बनाना चाहें, तो नहीं बना सकते हैं। वे क्यों नहीं बना सकते हैं, इसलिए कि आगे वहां पर शहर बसायेंगे। जो वहां बसेंगे वे अपने लिए बंगले बनायेंगे, बगीचे बनायेंगे। इसलिए जो एग्रीकल्चरिस्ट्स हैं, खेतों के मालिक हैं, वे मकान नहीं बना सकते। अगर वे बनायेंगे तो प्रेसक्राइब्ड मैनर से बनायेंगे, तहसीलदार की पर्मिशन से बनायेंगे। आज भी अगर वे पक्का मकान बनायें, तो तहसीलदार की पर्मिशन से बनायेंगे, यह इसमें क्यों रखा है कि प्रेसक्राइब्ड मैनर से बनायेंगे राम जाने। यह इसमें स्पष्ट नहीं है। हम मानते हैं कि जयपुर पांच साल के अन्दर भी सांगानेर तक नहीं पहुँच पायेगा, धनकिया तक नहीं पहुंच पायेगा, क्योंकि हम पिछले साल के इम्प्रुवमेंट को देखते हैं, जो जयपुर शहर है, वह सी स्कीम, सिविल लाइन्स के अन्दर अन्दर है, उनके अन्दर भी बड़ी बड़ी जमीनें पड़ी हैं, चौमुं हाउस और डिग्गी हाउस में जमीन पड़ी है, बड़ी बड़ी लैंड होल्डिंग्स पड़ी हैं। उसमें पांच साल में इम्प्रुवमेंट की स्कीम नहीं बनी है, तो जो सांगानेर तक इतनी जमीन पड़ी है, तो जो पांच मील का एरिया और बढ़ायेंगे, तो अगर पचास साल तक मकान बनायेंगे गवर्नमेंट लोन पर लोन मकान बनाने के लिए देगी तो भी इतने मकान नहीं बन पायेंगे। ऐसी स्थिति में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो म्युनिसिपल एरिया बढ़ाने का प्रोवीजन है, जितना एरिया आज बढ़ चुका है उससे आगे इतना एरिया बढ़ाया जायगा, उसके बाद जो १० मील बढ़ाने की स्कीम है उससे बहुत नुकसान होगा, उससे फायदा नहीं होगा। मेरा खयाल है कि जब यह बिल ड्राफ्ट हुआ होगा उस समय म्युनिसिपल एरिया बढ़ा नहीं होगा, इसलिए यह प्रावीजन रखा होगा। अब जो म्युनिसिपल एरिया बढ़ चुका है, उसके बाद एरिया १० मील बढ़ायेंगे तो अजमेर रोड़ पर भालरोटा तक पहुँचेगा, इधर टोंक तक पहुँचेगा। दूसरी कोई स्कीम हो जयपुर सिटी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ाने की गवर्नमेंट की हो, तो वह तो हमारे सामने है नहीं। ऐसी स्कीम दिखती नहीं है, कि जयपुर को पांच मील, १० मील बढ़ाने के लिए कोई स्पेशल स्कीम हो; वह नहीं है। ऐसी सूरत में मैं निवेदन करूंगा कि जहां तक म्युनिसिपल एरिया बढ़ चुका है उसके आगे एक मील तक रख लेवें, उसको कन्ट्रोल कर लेवें। लेकिन जो इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं उनको इम्प्रुवमेंट करने की इजाजत दी जाय, इम्प्रुवमेंट करने का मौका दिया जाय। उस पर जितना कन्ट्रोल इस बिल के द्वारा रखना चाहते हैं उतना रखना उचित नहीं है।

इसके साथ साथ जो सेकिंड प्रोवीज़ो है, उसके अन्दर यह है: " Provided also that all or any such improvement shall not extend over such area, not exceeding one fifteth of the total area of the holding..." उससे भी इम्प्रुवमेंट नहीं कर सकते। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा फुलेरा से आनेवाले माननीय सदस्य हाउस के सामने निवेदन कर रहे थे कि मान लीजिये होल्डिंग छोटी है, १० मील के एरिया के बाद बड़े आदमियों के मकान नहीं हैं और वहां खाली जमीन है, वहां कोई डेयरी फार्म बनाना चाहता है, पोल्ट्री फार्म बनाना चाहता है, क्योंकि जो पांच

Page No.9

(श्री मोतीलाल)

एकड़ की होल्डिंग है, वह खेती के लिए इकोनॉमिक नहीं होगी। आज मॉडर्न साइन्टिफिक रिसर्च के बाद वहां डेयरी फार्म पौल्ट्री फार्म बना कर दूध सप्लाई करता है, अंडे सप्लाई करता है, तो इकोनॉमिक हो सकता है। लेकिन अब पांच एकड़ में पॉल्ट्री फार्म बनाना चाहता है तो उसके साथ उसको ब्रीडिंग फार्म बनाना पड़ेगा, इसके लिए उसे और काम करने पड़ेंगे। अगर नहीं करता है तो स्कीम नहीं चल सकती। तो ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं, जिससे कि वह फार्म बढ़ सके कि १५ मील तक मॉडर्न मैथड इर्रिगेशन के करें, उससे इम्प्रुवमेंट को कम्प्लीट कर सकते हैं। लेकिन वह होगा नहीं, क्योंकि सेक्शन तीन में आपने प्रावधान किया है, इसके साथ ही सेक्शन १९ ए में किया है कि वह एरिया इर्रीगेशन चैनल से कट हो जायगा। अगर वह कट हो जायगा तो उसका डेवलपमेंट होगा नहीं। नतीजा यह होगा कि जयपुर शहर के आस पास, १० मील तक, भाखरोटा तक ज्यादातर आदमी सब्जी पैदा करते हैं, फल पैदा करते हैं। वे लोग केवल जयपुर शहर को ही सप्लाई नहीं करते हैं, उसके अलावा राजस्थान के दूसरे बड़े बड़े शहर, बीकानेर, टोंक आदि को भी जयपुर से सब्जी जाती है, यहां से फल जाते हैं। इससे जो फूड प्रोडक्शन का पार्ट है वह वेजिटेबल है, उसमें कमी होगी। इसलिए उस दृष्टिकोण से यदि रेजिडैन्शियल एकॉमोडेशन के लिए जमीन देनी है, तो फूड प्रोडक्शन के अन्दर कमी करना बुद्धिमत्ता की बात नहीं होगी। वैसे आपकी जो भावना है वह अच्छी है कि शहर बढ़े, इसके लिए कन्ट्रोल भी रखना चाहिए, जिससे कि बाद में असुविधा नहीं हो, वहां जमीन के डवेलपमेंट के दृष्टिकोण से भी असुविधा नहीं हो, इस पर विचार करना चाहिए। आप म्युनिसिपल एरिया का डेवलपमेंट करायें, सांगानेर तक, १० मील तक बढ़ायें, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन जो आपने इधर पांच मील तक बढ़ाया है, तो मैं समझता हूँ कि इतने आदमी नहीं होंगे कि वे वहां बस सकें। ऐसी स्थिति में मैं निवेदन करूंगा कि १० मील आगे बढ़ाने का प्रावधान न रख कर एक मील का प्रावधान रखें। इसके अलावा कोटा, बीकानेर उदयपुर आदि में म्युनिसिपल एरिया के एक मील के बाद में खेत मिलेंगे, पांच एकड़, तीन एकड़ वाले खेत मिलेंगे, जिनमें लोग सब्जी पैदा करते हैं। इसके साथ ही हनुमानगढ़ में भाखरा केनाल आने वाली है, वहां पर म्युनिसिपल एरिया के पास ही डेवलपमेंट का एरिया होगा। कल भी माननीय मंत्री ने इर्रिगेशन बिल पर बोलते हुए कहा था कि मैंने केनाल में से फीडर केनाल बनानी पड़ेगी। वह अगर एक मील आयेगी तो काश्तकार उससे पानी लेगा। अब काश्तकार उस जमीन का इम्प्रुवमेंट करने के लिए इन्वेस्टमेंट करने जायेगा, तो पांच एकड़ की जमीन पर उसका इन्वेस्टमेंट १० हजार रुपया हो जायगा और जब म्युनिसिपल एरिया में उसका खेत आ जाता है तो वह इन्वेस्टमेंट बेकार हो जायगा। तो ऐसा कौनसा आदमी होगा जो पांच एकड़ का एक साल इम्प्रुवमेंट करना चाहे और दूसरे साल म्युनिसिपैलिटी का अधिकार हो जाय। इसलिए हमारे प्रोडक्शन प्लान को मद्दे नजर रखते हुए अगर हम म्युनिसिपल

(श्री मोतीलाल)

एरिया का डेवलपमेंट करना चाहें, तो प्रोडक्शन प्लान के दृष्टिकोण को ध्यान में रखना चाहिए। फूड प्रोडक्शन के पार्ट वेजिटेबल का ध्यान रखना चाहिए। वह शहरी इलाके में अच्छी तरह होती है। इन शब्दों के साथ मैं यह अमेंडमेंट पेश करूंगा कि जो प्रोविज़ो नम्बर दो है उसको डिलीट कर दें। तो डेवलपमेंट जितना कर सकते हैं वह एज पर नेचर हो सकता है। अगर खेती करने वाले को सहयोग करते हैं तो वह ऑर्डिनेरी डेवलपमेंट नहीं होगा। अगर डेयरी फार्म....

श्री अध्यक्ष : Please don't repeat your arguments.

श्री मोतीलाल : मैं इन शब्दों के साथ माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि म्युनिसिपल एरिया बढ़ जावेगा। ऐसी स्थिति में बाकी एरिया में कन्ट्रोल करना जरूरी है ताकि असुविधा नहीं हो। मैं आशा करता हूँ कि इस एमेन्डमेंट को स्वीकार करेंगे।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इसके लिये ९ बजे तक का समय रखा गया है। आगे भी बहुत से क्लॉजेज़ हैं जिन पर माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे। अगर समय पूरा हो गया तो फिर सभी क्लॉजेज़ एक साथ लेकर पास करने की कार्यवाही करनी पड़ेगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जयपुर के लिये १० मील और अन्य दूसरी म्युनिसिपैलिटीज़ के लिये ५ मील और दो मील का प्रावधान रखा है। यह बात सही है कि आज के इस युग में बड़े बड़े शहरों की आबादी बढ़ती जा रही है और इस बढ़ती हुई आबादी के साथ हाउसिंग की प्रोब्लम बड़ी विकट हो रही है और संभवत: इसके आधार पर जयपुर नगरपालिका का क्षेत्र जो आज है उससे भी अधिक उसका विस्तार होगा और उसके कारण यह परिस्थिति पैदा हो सकती है कि जिसके कारण इन सारी भूमियों को जहां आज फसल होती है शायद राज्य सरकार को हाउसिंग के दृष्टिकोण से एक्वायर करना पड़े। अगर यह सरकार की मंशा नहीं है तो यह प्रतिबन्ध लगाना किस तरह वाजिब होगा, यह माननीय मंत्री समझावेंगे क्योंकि इसमें कई प्रकार की पेचीदगियां पैदा होंगी। जैसे जयपुर के १० मील के बाहर आपने यह लगाया और छोटी म्युनिसिपैलिटीज के लिये २ मील का बान लगाया। मान लें कि मैं आमेर के म्युनिसिपल क्षेत्र में रहता हूँ या कोई आमेर की म्युनिसिपल क्षेत्र का रहने वाला है। कोई जमीन उस क्षेत्र के दो मील के बाहर है तो वह तहसीलदार को एप्रोच करता है कि वह जमीन पर कन्स्ट्रक्शन करने के लिये आज्ञा दे सकता है। वह तहसीलदार उसके पास प्रार्थनापत्र आने पर यह जांच करने के बाद कि यह दो मील के बाहर है, उस प्रार्थनापत्र देने वाले व्यक्ति को उस जमीन में कन्ट्रक्शन या इम्प्रुवमेंट करने की आज्ञा दे देता है तो उसके पास ही जयपुर का काश्तकार १० मील के क्षेत्र में आ जाता है। चूंकि वह काश्तकार आमेर में रहता है इसलिये वह १० मील के प्रतिबन्ध में नहीं आवेगा और जयपुर का रहने वाला १० मील के प्रतिबन्ध में आ जाएगा। इसलिये ऐसी

Page No.11

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

हालत में कई प्रकार की कठिनाइयें होंगी, इसलिये कानून में संशोधन करना आवश्यक है और करना होगा। इसके अलावा एक बहुत बड़ा भारी असर इसका यह होगा कि इस संशोधन के द्वारा हमने सारे इम्प्रुवमेंट्स में पाबन्दी लगा दी है कि कोई काश्तकार इम्प्रुवमेंट नहीं कर सकता जब तक कि राज्य सरकार हाउसिंग स्कीम चालू न कर दे। या तो राज्य सरकार हाउसिंग स्कीम यह बता दें कि इतने समय में हाउसिंग स्कीम लागू हो जावेगी, मगर मैं समझता हूं कि अभी तक सरकार के पास हाउसिंग स्कीम को कब तक लागू कर देगी, इसके लिये कोई निश्चित योजना नहीं है। जब तक कोई निश्चित योजना इस संबन्ध में सरकार के पास नहीं है तब तक के लिये डवेलपमेंट के कार्य को रोकना उचित नहीं है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की बड़ी-बड़ी पैनल्टी इम्पोज़ करने से किसी प्रकार का इम्प्रुवमेंट लोग नहीं कर सकेंगे। माननीय मंत्री रहवास के लिये मकान के बारे में पाबन्दी लगाते हैं। हम नहीं चाहते कि लोग किसी प्रकार हमारी हाउसिंग स्कीम के खिलाफ पक्के मकान बनावें। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदय खुद समझते हैं कि इम्प्रुवमेंट की तारीफ में केवल रहवासी मकान नहीं आते, स्टोर हाउस, कैटलशैड, टैम्पोरेरी स्ट्रक्चर आदि भी आते हैं। ऐसी हालत में वे लोग कब तक आपकी इस हाउसिंग स्कीम का इन्तजार करेंगे? आप कौनसी हाउसिंग स्कीम ला रहे हैं? आप टेम्पोरेरी स्ट्रक्चर के बारे में कह सकते है कि वे लोग घास-फूस के छपरे बना सकते हैं, भंडारों के लिये भी घास-फूस के भंडार बना सकते हैं। इसके बारे में, अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि उन लोगों को बड़ी दिक्कत होगी। जयपुर की ही स्थिति को देखें। रोजाना अग्निकांड होते हैं। हमारे यहां एक दमकल है और एक नया मंगवाया गया है, जो इधर-उधर दौडते फिरते हैं। नतीजा यह होगा कि दमकल आग बुझाने के लिये इधर-उधर भागते फिरेंगे और फिर भी समय पर नहीं पहुंच सकेंगे। गर्मियों में तेज हवा चलती है। हवा के तेज चलने के कारण अग्निकांड होते हैं। छप्पर और शैड घास-फूस के बने हुए होंगे और उनमें आग लग जावेगी। अगर आप उनकी रक्षा चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि यह संभव नहीं होगा। आग लगने की घटनाएं ज्यादा बढ़ जावेंगी। उनके फीडर और धान रखने के गोदाम जल जाएगें और धान वगैरह वर्षा आदि से खराब हो जाएगा और चूहे भी उनके नाज को खराब कर देंगे। इसलिये उनको पक्के मकान बनाने की इजाजत देनी चाहिये और मवेशियों के लिये टीन के छप्पर डालने की इजाजत होनी चाहिये। आपकी यह योजना १० वर्षों में भी पूरी नहीं हुई तो वे लोग कब तक आपकी इस योजना का इन्तजार करते रहेंगे? आग घास-फूस के छप्परों में लग जावेगी और उनके ढोर मर जावेंगे, उनको हजारों रुपयों का नुकसान होगा और राज्य सरकार उनको हजारों का जहां नुकसान होगा ४०) रु० राहत के देगी, जहां हजारों का नुकसान वहां सरकार की तरफ से ४०) रु० राहत के दिये जावेंगे। मैं समझता हूं कि ऐसी हालत में जो लोग जयपुर में खेती करते हैं उन्होंने कोई पाप नहीं किया है कि उनके लिये १० मील है और दूसरी जगह के रहने वालों के लिये ५ मील और २ मील हो।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने इस सम्बन्ध में संशोधन रखा है कि आप उन लोगों के लिये पक्के रहवासी मकानों को बनाने के लिये इस प्रकार की पाबन्दी लगा सकते हैं, मगर जहां तक छप्पर और स्टोर हाउसेज़ का सवाल है, धान को रखने के लिये मकान बनाने का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि इस प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये। या तो किसानों के लिये मार्केटिंग फैसिलिटीज़ होनी चाहिये या जो किसान ज्यादा मुनाफा उठाने के लिये अपने नाज को गोडाउन्स में भरना चाहता है या स्टोर हाउसेज़ में रखना चाहता है उनके लिये सुविधा होनी चाहिये।

इसलिये अध्यक्ष महोदय, इसकी अत्यन्त आवश्यकता है कि उनको कैटल शैड और गोडाउन्स और टेम्पोरेरी स्ट्रक्चर के लिये डेफिनिशन इस प्रकार की जावे कि जिसके द्वारा उनको ऐसा करने में कोई दिक्कत न हो और वे लोग आग से बच सकें और नुकसान से भी बच सकें।

इसके अलावा आपने यह रखा है कि जो जमीन होगी उसका १।५० तक कन्स्ट्रक्शन कराने की इजाजत दी जा सकती है। मैं यह निवेदन करूंगा कि किसी आदमी के पास केवल पांच बीघा जमीन है तो उसका १।५० कितना होगा? इसमें खेती की सीमा के साथ साथ मेग्ज़िमम रिक्वायरमेंट की कम से कम आवश्यकता हो इतना छोड़ देना होगा। यों तो मैं, माननीय अध्यक्ष, कहूंगा कि रोटी तो सभी खाते हैं, चाहे वह १००) रु० माहवार कमाता हो या १,०००) रु० माहवार कमाने वाला हो मगर इसमें बहुत अन्तर पड़ता है। इसलिये मैं यह समझता हूं कि कम क्षेत्र जिसके पास हो उसके लिये १।५० रखना मुमकिन नहीं होगा। इसलिये मैं फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है उसका समर्थन करता हूं।

(श्री लादूराम सुलाणियां के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : मैं पुनः माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस क्लॉज पर काफी बहस हो चुकी है, अब माननीय मन्त्री इसका उत्तर दे दें।

श्री लादूराम सुलाणियां (दूदू-सु०) : दो मिनट तक बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष : इस पर काफी बहस हो चुकी है। इसलिये माननीय मन्त्री जवाब दे दें।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, इस पर दो अमेंडमेंट्स पेश हुए हैं। माननीय सदस्य ने क्लॉज ५ के सब सेक्शन (ए) में इन्टेन्शन जाहिर किया है कि वह रेस्ट्रिक्शन कच्चे मकान बनाने पर है। वास्तव में मेरा मतलब जो है वह यह है कि पक्का स्ट्रक्चर नहीं बनाना चाहिये। इसके लिये लिमिट १०, ५ और २ मील को रखी है। आबादी बढ़ती है इसलिये जमीन को फ्यूचर डवेलपमेंट के लिये कन्वर्ट करने की आवश्यकता होगी। अगर इसके लिये पाबन्दी नहीं लगाई गई और अनलिमिटेड मकान बनते रहे तो म्युनिसिपैलिटी को सीमा में आने से पहले ही एग्रीकल्चर भूमि आबादी में अपने आप

(श्री दामोदरलाल व्यास)

आ जावेगी और जिस समय उसको म्युनिसिपैलिटी में लेने की आवश्यकता होगी तो जिस मतलब से प्लान डवेलपमेंट बनाया जावेगा उसका पर्पज ही खत्म हो जावेगा। रहा इस बात का प्रश्न कि पक्के मकान होने चाहिये, जैसा फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, मैं इससे सहमत हूं कि पक्के मकानों पर यह रेस्ट्रिक्शन लगना चाहिए। काश्तकार अपनी उस जमीन पर इस एरिया में कुछ मकान, काऊ शैड, सीड स्टोर बनाये, उस पर रेस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिये। यह भी न हो कि छान के मकान हों, टिन के बनायें तो they should be temporary sort of structures. पक्का बनाने के बाद तो काफी दिक्कत हो सकती है, एक्वीज़िशन, प्लान डेवलप्मेंट आदि की दिक्कत हो सकती है, रेस्ट्रिक्शन की उस समय दिक्कत हो सकती है।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : कुछ मकान तो ऐसे बनेंगे। इसलिए इसमें साफ नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास : पक्का बनाये तो मना नहीं करते हैं। यह रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि पक्के काऊ शैड, सीड स्टोर नहीं बना सकता है। बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले पर्मिशन लेनी पड़ेगी। बहरहाल एक काश्तकार को कन्स्ट्रक्शन करने देते हैं, जमीन पर पक्का हाउस बनायें, फार्म डवेलिंग हाऊस, काऊ शैड, सीड स्टोर बना सकता है, रेस्ट्रिक्शन इतनी है कि एरिया लिमिटेड होना चाहिये। यदि सारे के सारे एरिया में इजाजत दे दी जाती है तो सारी एग्रीकल्चरल लैंड आबादी में कन्वर्ट हो जावेगी। that becomes detrimental to the land. इसलिए रेस्ट्रिक्शन लगाना जरूरी है, इतने से एरिया में बना सकता है। माननीय सदस्य ने कहा कि एक काश्तकार के पास पांच बीघा जमीन है। मैं अर्ज करूंगा कि ५ बीघा जमीन है तो न तो वह बैल रख सकता है, न सीड स्टोर रख सकता है। यह तो वह काश्तकार रख सकता है जो कि इकोनोमिकली काफी साउन्ड हो। पांच बीघा वाले काश्तकार के यह नहीं होगा। यह जरूर है कि आप चाहें तो जैसा कि फुलेरा से आये माननीय सदस्य ने रखा है वह रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाय; पक्का ड्वेलिंग हाउस, काऊ शैड, सीड स्टोर के लिए बना लें, मैं सहमत नहीं हूं। टेम्पोरेरी स्ट्रक्चर एक्सक्ल्यूड किया है। मकान छप्पर से मेरी मंशा नहीं है। पक्के के अलावा जितना कन्स्ट्रक्शन होगा टेम्पोरेरी माना जावेगा। माना जाता भी है। टेम्पोरेरी स्ट्रक्चर मानते हैं। एक्वीज़िशन में भी कम्पेन्सेशन देते हैं। उसको टेम्पोरेरी स्ट्रक्चर मान कर ही कम्पेन्सेशन दिया जाता है। वह अमेंडमेंट तो मैं नहीं मान सकूंगा लेकिन उसमें आप काऊ शैड और डवेलिंग हाउस और इन्क्ल्यूड कर दें तो वे पोसिबिलिटीज़ हो सकती हैं।

टेम्पोरेरी स्ट्रक्चर को इस प्रोविज़ो में एक्सक्ल्यूड कर दिया गया है तो कोई एप्रिहेन्शन नहीं चाहिये कि कच्चे मकान बनाने में आपत्ति होगी। It is very clear from the second proviso. The second proviso says :-

"Provided further that no sanction shall be necessary for the construction of a temporary structure."

(श्री दामोदरलाल व्यास)

If the Hon'ble Member wants I can put the word 'kacha' for 'temporary' to make it more clear. Otherwise 'temporary structure' means 'kacha structure.' छान होवे, मुड़ के बने हुए हों, किसी तरह के बनायें पक्कों के अलावा, ये सब कच्चे स्ट्रेक्चर माने जावेंगे।

श्री पी० के० चौधरी : पक्के की डेफिनिशन क्या होगी ? नीचे सीमेन्ट किया है, ऊपर आइरन शेड है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : नीचे सीमेंट किया हुआ हो वह पक्के में शुमार नहीं है। ऊपर सीमेन्ट, पत्थर, चूना आदि से पक्का मकान बनाना है। It is not a pucca structure only because the flooring is of cemented- यह ऐसी चीज़ नहीं कि हम डिफाइन करें। Several cases have been decided like this.

नजराने वगैरह के सवालात पेश आते हैं।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : ओन ए पोइन्ट ऑफ क्लेरिफिकेशन, सर, जहां पर नींवें खुदी हुई होंगी तो उसको भी रोक देंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कानून का इन्टरप्रिटेशन क्या होगा, यह सवाल नहीं है। यहां पर कानून बनाने का सवाल है, नींवें खुदी हुई हैं, हों अथवा कुछ इसमें थोड़े ही रखा जाता है।

श्री मदनसिंह : तहसील में रोके जावेंगे। कहीं पर नींवें खुद गई हैं। यहीं पर इसका स्पष्टीकरण कर दें तो अच्छा है। आप अच्छा इन्टरप्रिटेशन करेंगे बनिस्बत तहसीलदार के।

श्री दामोदरलाल व्यास : कानून की मन्शा साफ है। इतने एरिया में कोई पक्का कन्स्ट्रक्शन बिना तहसीलदार की पर्मिशन के नहीं होगा। नींव कहीं पर भर गई होगी, कानून में प्रोविज़न रखा जाय, यह पोसिबल नहीं है। इन्डिविजुअल केसेज़ हन्ड्रैड्स एन्ड थाउजैंड्स हो सकते हैं। कोई पक्का कन्स्ट्रक्शन करना चाहते हैं, within a radius of ten miles of the Municipal limits of the city of Jaipur, or within a radius of five miles of any other city or within a radius of 2 miles of any other municipality, he can do it after obtaining the permission from the Tehsildar concerned in writing. यह एक बात है।

दूसरी बात, जयपुर से आये माननीय सदस्य हैं उन्होंने आपत्ति पेश की कि जयपुर और आमेर के तहसीलदार मिल कर करेंगे। इसमें दिक्कत नहीं हो सकती। जब पर्मिशन का सवाल आयेगा तो गौर करना पड़ेगा कि टैन माइल्स जयपुर में है क्या ? होगा तो नहीं देंगे, अलग प्रोविज़न करने की जरूरत नहीं है। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि दस मील का एरिया है उसको कम कर दिया जावे, दो मील का एक मील कर दिया जाय। दो माइल टाउन्स के लिए और १० मील सीटीज़ के लिए। यह लिमिट तो रहनी ही चाहिये। १।५० जैसा मैंने कहा, यह रेस्ट्रिक्शन नहीं लगावेंगे तो एग्रीकल्चरल लैंड आबादी लैंड में कन्वर्ट हो जावेगी और

(श्री दामोदरलाल व्यास)

जिस पर्पज़ के लिए दी गई है वह कन्वर्ट हो जावेगी, it will cease to be agricultural

land. इसीलिये रेस्ट्रिक्शन लगाना जरूरी है। पर्टीक्युलरली सीटीज़ के डवेलपमेंट को ध्यान में रखते हुए यह रेस्ट्रिक्शन जरूरी है।

श्री पी० के० चौधरी : ऐसा कर लीजिये कि पक्का डवेलिंग हाउस, seed store and cow shed ...

श्री दामोदरलाल व्यास : Yes, that is acceptable to me. Or we can put it "such improvements, constructed pucca, as are referred to..."

९ म. पू.

श्री पी० के० चौधरी : (19) (a) is

very wide.इसलिए रखा था कि the words "pucca dwelling."

श्री दामोदरलाल व्यास : But do you think this proviso does not serve the purpose, when we say that no permission will be necessary for temporary construction ? 'Temporary construction' means a construction which is not a pucca one.

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य की यह राय है कि काऊ शैड के लिए पक्के बनेंगे।

श्री पी० के० चौधरी : पक्के नहीं बनायें लेकिन ....

श्री अध्यक्ष : पक्के के लिए मुमानियत रखी जा रही है।

श्री दामोदरलाल व्यास : It is only for pucca. We have excluded temporary constructions and that means that the restrictions are only in regord to pucca structures.

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं निवेदन करना चाहता हूं। इसमें यह भी हिसाब रखा जाय अगर कोई कच्चा मकान बनाकर ऊपर पक्का चूने का प्लास्टर करवा लेता है तो वह कच्चा ही माना जाय। क्योंकि चूने का प्लास्टर लगा देने से थोड़ी बहुत दिक्कत मिट सकती है। खाली मिट्टी का ज्यादा दिन चल नहीं सकता। इस प्रकार से कोई इस प्रकार पक्का भी कर दे तो हर्ज नहीं होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : (श्री पी० के० चौधरी और श्री मोतीलाल से) आप अपने अमेन्डमेन्ट्स वापिस लेंगे ?

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : I beg leave of the House to withdraw my amendment.

श्री मोतीलाल (डीडवाना) : वापिस लेना ही पड़ेगा। I beg leave of the House to withdraw my amendment.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री पी० के० चौधरी और श्री मोतीलाल को अपने संशोधन प्रस्ताव वापिस लेने की

(श्री अध्यक्ष)

इजाजत दी जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री पी० के० चौधरी : I withdraw my amendment.

श्री मोतीलाल : I withdraw my amendment.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

श्री अध्यक्ष : चूंकि इस बिल के लिये जो निर्धारित समय था वह समाप्त हो चुका है वैसी स्थिति में अब वे ही संशोधन प्रस्तुत किये जायेंगे जो मंत्री महोदय को स्वीकार हों और मंत्री महोदय जो संशोधन प्रस्तुत करें।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : I don'twant to move.

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): I think he need not move the amendment. If he looks to Section 19 of the Tenancy Act, there is already a provision in it and that is sufficient to satisfy the principles of his amendment. We have already made an exemption in favonr of armed personnel.

श्री मोतीलाल (डीडवाना) : I want to speak on clause 4.

श्री अध्यक्ष : No. You cannot be permitted.

श्री मोतीलाल : मैंने इस क्लॉज़ के सम्बन्ध में अमेन्डमेन्ट भी दिया था, वह न मालूम क्यों स्वीकार नहीं हो सका।

श्री अध्यक्ष : आपका अमेन्डमेन्ट बहुत लेट आया था और उस पर दस्तखत भी नहीं थे। चूंकि अब समय नहीं है अतः आपको बोलने की आज्ञा नहीं दी जा सकती।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ ३ और ४ विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज़ ३ व ४ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

क्लॉज़ ५

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मेरा अमेंडमेंट बिल्कुल साधारण सा है। स्टेट गवर्नमेंट लैंड होल्डर हो उसके लिये क्या प्रोसीजर होना चाहिये। इस बारे में संशोधन है। इसीलिये दूसरा प्रोवीजो रखने के लिये यह संशोधन रखा है :—

(श्री दामोदरलाल व्यास)

1. "Renumber the existing proviso as sub-section (1) ;

2. Substitute " subject to the provision contained in sub-section (2) " for " on the issue of a notice by the Tehsildar in case of land held directly from the State Government and in other cases. "

This is consequential.

3. Insert the following new sub-section :-

" (2) In case of land which is held directly from the State Government and to which the State Government, acting through the Tehsildar, is entitled to admit the trespasser as tenant, the Tehsildar shall proceed in accordance with the provisions of section 91 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Rajasthan Act 15 of 1956) ".

दूसरा श्री सोहनलाल भटनागर ने जो अमेंडमेंट रखा है उसे मैं स्वीकार करता हूँ।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : मैं अपने अमेंडमेंट को मूव कर दूं।

श्री अध्यक्ष : वह मूव मान लिया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ५ में माननीय मन्त्री महोदय का और श्री सोहनलाल भटनागर के जो अमेंडमेंट्स हैं उन्हें स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किये गये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ५, संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बने ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ५, संशोधित रूप से, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ेज़ ६ से ६

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ेज़ ६, ७, ८ और ६ विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ेज़ ६ से ६ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

क्लॉज़ १

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १ में जो संशोधन माननीय मन्त्री महोदय ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

Page No.18

(श्री अध्यक्ष)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १, संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १, संशोधित रूप से, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

टाइटल, प्रिएम्बल इत्यादि ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि टाइटल, प्रिएम्बल इत्यादि विधेयक के अंग बनें ।

(स्वीकृत)

टाइटल, प्रिएम्बल इत्यादि विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये ।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान टिनेन्सी (अमेंडमेंट) बिल, १९६० पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री मोतीलाल (डीडवाना) : I will speak only for two minutes, Sir, अध्यक्ष महोदय, आज इस बिल का थर्ड रीडिंग हो रहा है । इसमें क्लॉज़ चार है उसके बारे में पहले भी निवेदन कर चुका हूं, पुन: मैं राजस्व मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जिस भावना से आपने कहा आर्मी में काम करने वाले साथियों के लिये यह क्लॉज़ जो जोड़ा जा रहा है; मैंने उस समय भी कहा था कि मैं भी फौजियों के साथ उतनी सहानुभूति रखता हूं कि सरकार कोई भी निर्णय करे उनके लिये मुझे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है । यह जो प्रोविजन रखा गया है इससे स्पष्ट है कि उन खातेदारों पर जिनको पांच साल पहले राइट मिल चुका है उसके मिलने के बाद उन्होंने उसमें इम्प्रूवमेंट किया है उसका न तो कम्पेन्सेशन देने की व्यवस्था है...

श्री दामोदरलाल व्यास : To cut short the debate, I will take one minute to explain the position. I will draw the attention of the House to Section 19 of the Tenancy Act. Section 19 provides for acquisition of Khatedari rights and its first proviso reads:-

"Provided that the provisions of this Section shall not apply to...... (b) any land held by a tenant of Khudkasht or sub-tenant from any person mentioned in section 46; "

Now I will come to Section 46. " 46........(1) The restrictions imposed by section 45 on letting by a holder of Khudkasht and on sub-letting by a tenant shall not apply to...... (f) a person who is a member of the armed forces of the Union. "

This is already there. So his apprehension that the people to whom

(श्री दामोदरलाल व्यास)

rights have accrued prior to this will lose their right is absolutely unfounded.

श्री अध्यक्ष : आप हिन्दी में बोलें।

श्री दामोदरलाल व्यास (जारी) : दफा १६ के अन्दर जैसी कि माननीय सदस्य को शंका है वह कतई सही नहीं है। इसके लिये धारा १६ साफ है। दफा ४६ के अन्तर्गत जिन लोगों को एग्ज़ेम्प्ट किया गया है उन लोगों की जमीन पर ये अधिकार हासिल नहीं होंगे। चूंकि धारा १५ के अन्तर्गत जो राइट्स दिये गये हैं उसका धारा १६ पर असर पड़नेवाला नहीं है। यह अमेंडमेंट स्पेसिफिकली इसीलिये रखा गया कि इसका निरूपण नहीं था, राइट मिल गया उनको वापिस लेने का सवाल है, नहीं तो यह जो एप्रीहैन्शन माननीय सदस्य का है वह सही नहीं है। दफा १६ के अन्दर प्रोविज़न मौजूद है।

श्री मोतीलाल : जो स्पष्टीकरण माननीय मंत्री महोदय ने किया है वह अधूरा है। वे एक साइड देखते हैं। इस अमेंडमेंट के जरिये जो स्टेट होल्डर और खातेदार मिलिट्री में उसकी जमीन खातेदार, गैर खातेदार या टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त आ चुकी है फिर भी because he is in military. इस एक्ट के आने के बाद कोई खातेदार था वह जमीन को बेच गया और सब-टिनेन्ट के राइट्स एक्र्यू कर लिये after getting the whole money with him. Now because of armed forces he will get the ejectment immediately. मिलिट्री मैन को ६४ के अन्तर्गत अधिकार दिया है इसलिये यह स्थिति आती नहीं कि वह जमीन पर कब्जा न करे।

श्री श्रीमानसिंह (बयाना) : राइट एक्रू होने के बाद सब-टिनेन्ट रहेगा ही नहीं।

श्री आबिदअली (सवाई माधोपुर) : राइट एक्रू होने के बाद टिनेन्ट हो जायगा।

श्री मोतीलाल : यह सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। जमीन बेच दी जाती है उसके बाद जो राइट दिया हुआ है उसकी जरूरत नहीं है। धारा १६ और ४६ के अनुसार अधिकार दे चुके हैं उसमें गड़बड़ नहीं हुई है। जिस दिन कानून पास किया वह खातेदार था उसके बाद मिलिट्री में चला गया उसके बाद में जमीन पर खर्चा होता है और आज इस कानून के पास करने के बाद में कोई भी लैंड होल्डर एस्टेट होल्डर, एनी खातेदार, वह अपनी जमीन को सब-लेट करके मिलिट्री में चला जायगा। उसके बाद वह लौट कर आता है और जमीन पर कब्जा हुआ मान कर उसका इजेक्टमेंट करवा सकता है। मुझे डर तो इस बात का है। इसको स्पष्ट पढ़े। मैं खुद मानता हूं कि उनको सुविधाएं मिलनी चाहिये। राजस्थान की सबसे बढ़िया जमीन देने में उनको प्रायोरिटी दें आप, उनको वहां खेती करने के लिये पैसा देना चाहें तो पैसा भी काफी दीजिये, उनको एस्टेब्लिश करिये। उनसे हमदर्दी रखने वालों को भी दीजिये, मैं तो यहां तक कहने की स्थिति में हूँ। पर उन गरीब आदमियों को, जिन पर इससे इफेक्ट होगा आप और तकलीफ में मत डालिये। इनके टिनेन्ट सब-टिनेन्ट होंगे छोटे छोटे लोग-भंगी हैं, चमार हैं, रेगर हैं जो बहुत गरीब स्थिति में

(श्री मोतीलाल)

थे और जिन्होंने पैसा देकर ली है और जो काफी लम्बे अर्से से उस पर चले आ रहे हैं उनकी स्थिति खराब हो जावेगी। इस लॉ के पास हो जाने के बाद में चाहे सेना में जाने वाला किसी को चुपचाप देकर चला गया है, पैसा ले गया है, पर लिखा-पढ़ी की नहीं, अब वहां जाकर वह लिख देगा कि मेरी जमीन फलां ने ले ली है उसे बेदखल किया जाय। तो यह स्थिति होगी। तो इसलिये मैं इस पक्ष का हूं कि आप सबसे अच्छी सुविधाएं दें मिलिट्री मैन को, पर इस तरह का क्लॉज़ पास न करें। इससे गरीबों की स्थिति खराब होगी। आज मान लीजिये एक आदमी के पास जमीन है, चुपचाप वह उसको दे गया ....

श्री अध्यक्ष : आप आर्ग्युमेन्ट्स दो बार पहले रेफर कर चुके हैं। समय अधिक नहीं है। मंत्री महोदय को स्पष्टीकरण करना है।

श्री मोतीलाल : अगर आपको जल्दी है इसे पास करने की तो करें, पर यह भी सोचें कि उन गरीब लोगों पर इसका क्या इफेक्ट आने वाला है? मेरी यह मान्यता है कि ऐसी स्थिति आवेगी और फिर आपको दुबारा अमेंडमेंट इसके लिये लाना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय, स्पष्टीकरण कर दें।

(श्री श्रीमानसिंह एवं एक, दो अन्य माननीय सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

इसमें बहस की बात नहीं है, स्पष्टीकरण कर रहे हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : अगर माननीय सदस्य जिन्होंने पिछली बैठक में अपनी कुछ बातें कही थी वे अगर मेरी स्पष्टीकरण की बातें ध्यान में रखते तो यह शंका नहीं रहती। क्लॉज़ ४६ में जो एग्ज़ेम्प्टेड हैं उनका सैक्शन १९ में ऑपरेशन है और इसका खुलासा सैक्शन १९ में ही पहले से है। अब १८१ की सब-सैक्शन (१) है उसके एक पोर्शन में जो नॉन रीज़नेबल लिमिट तक इजेक्टमेन्ट का प्रोहीबिशन है उसको हटाया जा रहा है कि ऑर्डिनेरिली एक सब टिनेन्ट और खुदकाश्त रीज़नेबिल लिमिट तक तो रहने दी जावेगी, बाकी से इजेक्ट कराया जावेगा। यह रेस्ट्रिक्शन उनके लिये रखा जा रहा है। बाकी खातेदार का राइट न पहले मिला था और न आज मिलेगा। १८१ के सब सैक्शन (१) का ए पोर्शन है उसमें लिखा है :—

"Where an estate-holder who has been a member of the Armed Forces of the Union seeks the ejectment of his tenant of khudkasht or gair khatedar tenant, or where a khatedar tenant having been such a member seeks the ejectment of his sub-tenant under clause (a) or clause (d) of sub section (1) of section 180 then notwithstanding anything contained in the provisos to those clauses or in section 19, the court may direct by such decree or order that the tenant of khudkasht or gair-khatedar tenant, or as the case may be, the sub-tenant shall be ejected from the whole of his holding or, as the case may be......

Page No.21

(श्री दामोदरलाल व्यास)

These are the words. जो रीज़-नेबिल लिमिट तक एग्जेम्प्टेड किया गया है वहां आर्म्ड पर्सोनल्स का जहां तक सवाल है उनमें इस लिमिट में एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

(विराम)

Now we come to Private Members Business.

राजस्थान समाज शिक्षण बोर्ड विधेयक, १९५९

(प्रवर समिति को)

Rajasthan samaj shikshan Board Bill, 1958.

Shri Janardan Rai Nagar.

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : अध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि मैं आगे कहूं जो २७ फरवरी को मैंने अपना मन्तव्य सदन में रखा था उसे वापिस लेना चाहूंगा क्योंकि यह विधेयक काफी अर्से के बाद इस सदन में वापिस आ रहा है और स्थितियां भी काफी बदल गई हैं और कुछ सदस्य, जो पहले प्रस्तावित किये गये थे उनका इजाफा हो चुका...

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): आपने पहले जब मोशन मूव किया था तो ऑब्जेक्शन किया गया था कि यह मनी बिल है और उस पर रूलिंग रिज़र्व रख दी गई थी। तो मैं जानना चाहूंगा कि उसका क्या डिसीज़न हुआ ?

श्री अध्यक्ष : इसी पर इस विधेयक की कार्यवाही स्थगित रखी गई थी और अब स्थिति यह है कि गवर्नर महोदय की अनुमति आ गई है इसलिये इसको पुनः लाया जा रहा है।

श्री जनार्दनराय नागर : पहले के मन्तव्य में जिन सदस्यों को प्रवर समिति में रखा गया था उनमें से बहुत का इजाफा हो गया, कई ट्रेज़री बैंचेज़ में जा चुके इसलिये इस मन्तव्य को वापिस लाने की इजाजत दी जावे। मैं इसके स्थान पर दूसरा मन्तव्य रखना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : आप पढ़ दीजिये दूसरा।

श्री जनार्दनराय नागर : मैं प्रस्ताव करता हूं, कि "राजस्थान समाज शिक्षण बोर्ड विधेयक, १९५८ को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो कि अपना प्रतिवेदन अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्त तक प्रस्तुत करे। समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

(१) उप शिक्षा मंत्री,(२) श्री निरंजननाथ आचार्य,(उपाध्यक्ष),(३) श्री जनार्दनराय नागर, (४) डॉ० चन्द्रकला, (५) राव श्री नारायण-सिंह (मसूदा) (६) श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी, (७) श्री तेजपाल, (८) श्री गणपतलाल वर्मा, (९)श्रीमती कमला श्रोत्रिय,(१०)श्री रामचन्द्र, (११)श्री धर्मपाल, (१२)श्रीमती प्रभा मिश्रा,

(श्री जनार्दनराय नागर)

(१३)श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल,(१४) श्री दयाकृष्ण विजय,(१५)श्री मुरलीधर व्यास, (१६) श्री महेन्द्रसिंह पंवार, (१७) श्री गुलाबसिंह शक्तावत,(१८)श्री नरेन्द्रसिंह,(१६)श्री फूसजी भाई,(२०)श्री बहादुरसिंह, (२१) श्री मांगीलाल, (२२)श्री माणकचन्द कोठारी,(२३)श्री लादूराम, (२४) श्री लच्छूराम, (२५) श्री अनूपसिंह ।"

अध्यक्ष महोदय, इसका मुझे खेद है कि इतना महत्वपूर्ण विधेयक काफी दिनों के बाद इस सदन में आ पाया है। हमारे देश में समाज शिक्षण की जो स्थिति रही है वह स्वयं में आश्चर्य और अफसोस की कहानी है। हमने, फिर, माना कि देश की आजादी के बाद इसको हाथ में लिया जायगा। हमने,जिन्होंने अपने उद्देश्य में, अपने आदर्शों में और चिन्तन में यह माना है कि इस देश में समाज शिक्षण का कार्य हाथ में लेना सभी राज्यों का उत्तरदायित्व और परम कर्त्तव्य है, पर हमारा दुर्भाग्य यह है कि इस चिन्तन के होते हुए भी इस दिशा में राज्यव्यापी आधार पर कुछ करने का उपक्रम नहीं हो सका है। इस प्रश्न के लिये मैं थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि में जाना चाहूंगा।

गये मार्च में चार–पांच तारीख को दिल्ली में अखिल भारतीय केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार समिति की उप समिति के अधिवेशन में समाज शिक्षण के बारे में विचार किया गया। मैं उस समिति का सदस्य हूं। समाज शिक्षण के लिये काफी चिन्ता व्यक्त की गई। आज भारत के दूसरे राज्यों में कुछ सलाहकार समितियां हैं जो समाज शिक्षण के मामले में कुछ थोड़ा बहुत काम करती हैं। पर अनुभव ने सिद्ध किया कि उन छोटे छोटे छुटपुट मण्डलों के द्वारा समाज शिक्षण के बारे में जो हमारा मन्तव्य है, जो हमारा मकसद है उसे सम्पूर्ण रूप में पूरा नहीं किया जा सकता। इसमें कुछ ऐसी असुविधाएं हैं, ऐसी दुविधाएं हैं, ऐसे विचार और ऐसे मतमतान्तर हैं जिसके कारण समाज शिक्षण का सारा काम साक्षरता मात्र बन कर रह जाता है। कुछ प्रयोग शुरू हुए हैं। उनको देखें तो मानना पड़ेगा कि समाज शिक्षण का सारा का सारा स्तर एक मानिन्द होता चला जा रहा है। आज जरूरत इस बात की है कि इस काम के लिये काफी संस्थाएं और मण्डल गठित किये जावें जो समाज शिक्षण के काम को शास्त्रीय प्रगतिशील आधार पर, वैज्ञानिक स्तर पर इस काम को चलावें। इस बात को असेम्बली ने पसन्द किया, केन्द्रीय शिक्षण सलाहकार परिषद् ने सिफारिश भी की कि इस विचार की जांच की जावे। लेकिन हमारा सद्भाग्य था कि हमने इस सदन में इस बात का प्रयत्न आज से सवा साल पहले किया कि राजस्थान में एक स्वायत्त समाज शिक्षण बोर्ड का गठन हो और जहां तक राजस्थान राज्य में सरकारी और गैर सरकारी समाज शिक्षण की प्रवृत्तियां हैं, समितियां हैं, आन्दोलन हैं, उनके कार्य हैं उनको समन्वित करके राज्य में निश्चित और स्थाई आधार पर समाज शिक्षण का काम आरम्भ किया जाये। मुझे इस बात की खुशी है, अध्यक्ष महोदय, कि ऐसी देरी से ही सही, पर ऐसा हम कर पा रहे हैं और मैं इस सदन के माननीय सदस्यों और सहयोगियों से कहना चाहता हूं कि यह जो विधेयक आपके सामने

(श्री जनार्दनराय नागर)

प्रस्तुत है वह आज की स्थिति में न केवल राजस्थान राज्य की दृष्टि से बल्कि अन्य राज्यों की दृष्टि से भी संज्ञा प्राप्त कर चुका है। जब यह बात दूसरों को मालूम हुई तो उन्होंने कहा कि राजस्थान राज्य का यह कदम दूसरे राज्यों के लिए मार्ग दर्शन होगा। इसलिये अत्यन्त विनय के साथ और नम्रता के साथ मैं एक आशा को लेकर यह विधेयक प्रवर समिति में भेजे जाने के लिये आपके सामने प्रस्ताव के रूप में रख रहा हूं।

यह सही है कि हमारे नवोदित जनतंत्र के विकास के लिए और उसकी उन्नति के लिए यह अनिवार्य हो गया है कि हम अपने देश की वयस्क जनता को शिक्षण दें। आज जहां तक ब्लॉक्स में शिक्षण का सवाल है हमारे शिक्षण का कम पद्धतिबद्ध हो चुका है और देश के बदलते हुए हालात में उसके अन्दर काफी सुधार और परिवर्त्तन किये जा रहे हैं। राज्य ने मान लिया है और समाज ने मान लिया है कि ब्लॉक में वयस्कों को शिक्षण देना राज्य का अनिवार्य कर्त्तव्य है, लेकिन मुझे क्षमा किया जाये, अध्यक्ष महोदय, कि वयस्कों के शिक्षण के बारे में राज्य में केवल तमन्ना ही तमन्ना है और यह मन्शा अभी तक घर नहीं कर पाई है कि वयस्कों का अभिनव विकास होता जाये। अध्यक्ष महोदय, यदि हम निरसन्देह चाहते हैं कि जनतंत्र भारत की जनता में प्रवाहित होने लगे और वह पूर्ण रूप से विकसित हो तो हमारे सामने दूसरा रास्ता नहीं है कि हम अपने देश का और देश की जनता का निरन्तर पद्धतिबद्ध शिक्षण का संचालन करें। पर आज राज्य ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि आज हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समाप्ति में और तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में हैं लेकिन मेरी ऐसी मान्यता है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में हमारे लिए आवश्यक हो जायगा कि हमें जनता को राज्य के विकास के लिए और राज्य की क्षमता के लिए शिक्षित करना पड़ेगा। जनतंत्र की गहराई तब तक नहीं आ सकती जब तक कि हम अपनी वयस्क जनता को शिक्षित न करें।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक दृष्टिकोण सदन के सम्मुख रखना चाहता हूं कि जो प्रबन्ध हमने शिक्षा के लिए किया है और जो आज हम शिक्षा ६ से ११ वर्ष की उम्र वालों को दे रहे हैं और उनकी संख्या हम देखें तो वह कोई १०-११ लाख से ज्यादा नहीं है, जब कि राजस्थान में वयस्कों की संख्या कम से कम १ करोड़ मानी जानी चाहिए। आज एक करोड़ वयस्क जनता की शिक्षा के लिए, जब तक वह वयस्क हो जाते हैं और मृत्यु पर्यन्त शिक्षण होता चले यह इतना बड़ा काम है कि जिसको राज्य को समझना और उसका निर्वाह करना चाहिए। आज जनतंत्र को पनपाना चाहते हैं तो वह केवल वयस्कों को शिक्षित करने से ही हो सकता है। केवल युवकों को ब्लॉक्स में अच्छे शिक्षण के जरिये और जहां तक वयस्कों के शिक्षण का सम्बन्ध है मैं इतना ही कह देता हूँ, अध्यक्ष महोदय, कि छोटे-मोटे आन्दोलन और छोटी-मोटी संस्था और राज्य का एक, दो विभाग जिसमें यदाकदा काम होता रहे, इससे काम नहीं चलेगा और न ही हम अपने लक्ष्य की पूर्ति कर पायेंगे। मैं मानता हूं कि सरकार ने आज समाज की सारी आवश्यकताओं को नहीं समझा है। इसीलिए

(श्री जनार्दनराय नागर)

मैंने साहस के साथ यह विचार किया कि समाज शिक्षण हेतु एक बोर्ड की स्थापना की जानी चाहिए। जैसे कि हायर सेकिन्डरी एज्युकेशन का बोर्ड है, जैसे कि विश्वविद्यालय का आटोनॉमस संगठन है उसी तरह से इस सदन की आज्ञा से एक स्वायत्त समाज शिक्षण बोर्ड होना चाहिए तथा राजस्थान में समाज शिक्षण के विकास के लिए, समन्वय के लिए और उसको शास्त्रीय आधार पर लाने के लिए निरन्तर काम करते रहना चाहिए। मैं इसको आज कई दृष्टियों से आवश्यक मानता हूं। जो आॅल इन्डिया एडल्ट एज्युकेशन कॉन्फ्रेन्स की बैठक डलहौजी में हुई थी वहां पर सेमीनार के अन्दर एक प्रस्ताव पास किया कि सारे भारत में समाज शिक्षण के नाम से जो स्थिति है वह शोचनीय है और ठीक नहीं है। भारत के विभिन्न राज्यों में कहीं छोटे सलाहकार मण्डल हैं और कुछ राज्य के दो, एक विभागों में उनके द्वारा समाज शिक्षण का बहुत ही साधारण सा काम होता रहता है और हमारे विकास खण्डों के द्वारा, समाज शिक्षण का काम तो उसको नहीं कहना चाहिए, विकास खण्डों के द्वारा साक्षरता का मण्डप निर्माण करने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार की ओर से प्रत्येक ब्लॉक को समाज शिक्षण के काम के लिए १०-१२ हजार रुपया दिया जाता है और वहां केवल कुछ स्लेटें वयस्कों को दी जाती हैं; बाकी तो कुछ सेमीनार किये जाते हैं, शिविर किये जाते हैं, कुछ पारितोषक दिये जाते हैं तो यह तो केवल यह बताने के लिए कि विकास खण्डों के द्वारा समाज शिक्षण का काम होता है। वह वास्तव में समाज शिक्षण का काम नहीं होता है। वह तो केवल साक्षरता प्रसार का काम हो सकता है और वह भी ठीक तरह से नहीं चलाया जाता है। एक भारी और विस्तृत योजना और वह भी समस्या के रूप में हमारे सामने है और यह हमारे राज्य का हमारे समाज पर सम्मिलित उत्तरदायित्व है।

हमको फैसला करना पड़ेगा कि हमारे देश में जनतंत्र निरन्तर शक्ति प्राप्त करता चले और निरन्तर चेतना प्राप्त करता रहे और निरन्तर आलोकित होता रहे। आज की शिक्षण पद्धति में वयस्क आलोकित होता नहीं चलता है। यदि सारे समाज की करनी ऐसी नहीं है कि वह स्वयं शिक्षा प्राप्त करता चले तो मेरी ऐसी मान्यता है कि जनतंत्र हमारा नीचे से शक्तिशाली नहीं होगा और फिर ऐसे कमजोर जनतंत्र को लेकर चलने से तो अच्छा है कि हम उसको लेकर ही न चलें। इसलिए यह आवश्यक है कि हम समाज शिक्षण के काम को विस्तार के साथ चलायें और पूरी निष्ठा के साथ चलायें और यदि हम ऐसा करना चाहते हैं तो मेरी मान्यता है कि यह कार्य स्वायत्त बोर्ड के बिना नहीं कर सकते।

अभी मुझे जो सेन्ट्रल डेवेलपमेंट आॅर्गेनाइज़ेशन है उसके साथ बात करने का अवसर मिला था, मैंने उनसे भी कहा कि आप जो समाज शिक्षण का काम करवाना चाहते हैं वह ठीक नहीं है और जो आप ब्लॉक्स को १०-१२ हजार रुपया देकर समाज शिक्षण का काम चलाना चाहते हैं वह नहीं चल सकता। इसके साथ ही जो विकास खण्डों के अधिकारी होते हैं वे बी० डी० ओ० के स्तर के होते हैं और थोड़ा बहुत काम करने के बाद में वे विकास के कामों में लग जाते हैं और कुछ सरकारी और कुछ गैर सरकारी संस्थायें राजस्थान में

(श्री जनार्दनराय नागर)

हैं जो कि समाज शिक्षण का काम करती हैं। जहां तक गैर सरकारी संस्थाओं का सम्बन्ध है उनके पास साधनों की बहुत कमी है और फिर राजस्थान राज्य में कोई ऐसी केन्द्रीय एजेन्सी नहीं कि जिसके द्वारा उन गैर सरकारी संस्थाओं का समन्वय कर सके। जो शिक्षा विभाग है उसकी कार्यवाहियां बहुत सीमित हैं और वे ऐसी हैं कि दस-पांच पुस्तकें खरीद ली और कुछ थोड़े इधर-उधर परिवर्त्तन कर दिए और कुछ अधिकारियों को शिक्षा दे दी। मुश्किल से हलके-फुलके दो, ढ़ाई हजार के स्टाफ का विभाग है, आज उसमें क्षमता नहीं है कि वह सारे राजस्थान राज्य का प्रबन्ध कर सके। इसलिए यह जरूरी है कि हम सरकारी और गैर सरकारी समाज शिक्षण की प्रवृत्ति, उसके आन्दोलन, उसकी संस्था और समितियों का समन्वय करें। दूसरी ओर, हम राज्य के अन्दर एक केन्द्रीय मार्ग दर्शन की और निरन्तर अभ्यास देने वाली एजेन्सी कायम करें जिससे सारे समाज शिक्षण संस्थाओं का समन्वय हो जाये और पूरे जोर के साथ राज्य में समाज शिक्षण का काम आरम्भ हो।

मेरी ऐसी मान्यता है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ के साथ साथ हमारे राज्य को जो सबसे बड़ी आवश्यकता होगी वह यह होगी कि हमारा वयस्क इसको जाने कि राजस्थान कहां तक विकसित हो चुका है, और आगे विकास करने का क्या दौर है, क्या मन्सूबे हैं, क्या मनोरथ है ? उसके संबंध में हमारा क्या कर्त्तव्य है, क्या उत्तरदायित्व है ? कर्तव्य और उत्तरदायित्व के ज्ञान को देश की स्वतन्त्रता की रक्षा की भावना के अनुरूप मैं समझता हूं कि हमको जीवन के व्यवहारिक उद्देश्यों के साथ साथ महत्व देना चाहिए।

डेनमार्क एक छोटा सा देश है, अध्यक्ष महोदय, लेकिन डेनमार्क का विचित्र इतिहास है। उसकी विचित्र कहानी चलती है। वह कहानी यह है कि डेनमार्क ने अपने प्रजातन्त्र का विकास सारे का सारा तलवार के जोर पर नहीं किया, केवल विधान सभा के जरिये विकास नहीं किया लेकिन समाज शिक्षण के व्यापक आधार पर आन्दोलित चेतना के द्वारा अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा की, सारी की सारी चेतना और राष्ट्रीयता का कायाकल्प कर दिया। संसार में डेनमार्क के जनता कॉलेज और जनता हाई स्कूल मशहूर हैं। हमारी सरकार ने भी देश में जनता कॉलेज व दूसरी संस्थाओं की डेनमार्क से प्रेरणा प्राप्त की, लेकिन जनता कॉलेज हमारे देश में चल नहीं पाये, वे समाज शिक्षा नहीं दे पाये। देश में कहीं पर ब्लॉक डवेलपमेंट ऑफिसर समाज शिक्षण के लिए व कार्यकर्त्ताओं के शिक्षण के लिए साधन मान लिये गये। डेनमार्क में जो जनता कॉलेज स्थापित किये हैं वे ट्रेनिंग सेन्टर्स हैं जहां पर दुनियां भर के लोग, शिक्षा शास्त्री प्रेरणा व प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए आते हैं। हमारे देश से भी एक टीम वहां गई थी। वहां की संस्थाओं को देख कर वापिस लौट कर भारत सरकार को सुझाव दिये कि हमारे देश में भी इस प्रकार डेनमार्क के नमूने की समाज शिक्षण और लोकशिक्षण के नमूने की संस्थाएं उत्पन्न होनी चाहिए, कॉलेजेज़ होने चाहिए। उसका एक प्रयोग भारत सरकार ने पहली पंचवर्षीय योजना में शुरू किया। हमने भी राजस्थान के एक भाग में जनता कॉलेज उसी प्रयोग के आधार पर चला रखा

(श्री जनार्दनराय नागर.)

है। दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय यह महसूस किया जाने लगा कि ये कॉलेजेज़ और आन्दोलन सफल सिद्ध नहीं हुए। वे इस प्रकार के प्रयोग नहीं कर सके। ये एक समाज शिक्षण का मामूली प्रयोग हमारे देश में नहीं कर सके। इसका मुझे कुल मिला कर यह कारण मालूम होता है कि हमारे देश में समाज शिक्षण की केवल भावना ही भावना है। वह केवल कुछ सामाजिक और राजनैतिक हेतु को पूरा करने की दृष्टि से इसको एक आन्दोलन का रूप देते हैं, एक साधन के रूप में लेकर चलते हैं। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूँ कि समाज शिक्षण केवल आपकी राजनैतिक, सामाजिक या दूसरे प्रकार के हेतुवाद की पूर्त्ति का साधन नहीं है। वह हमारे देश की आत्मा के विकास का निरन्तर साधन है। वह किसी समय हमारे देश में सांस्कृतिक शिक्षण का बहुत बड़ा प्रावधान था। जमाना बदल गया। साधन और प्रक्रियाओं को शायद प्राप्त नहीं कर सके। इस संबंध में मुझे टैगोर का एक गीत याद आता है। एक प्रात: काल एक भिक्षु एक गृहस्थ के घर पर जाता है। वह गीत गाता है मीरां या कबीर का। टैगोर कहते हैं कि आज सवेरे सवेरे ही जब कि सूर्योदय हो चुका है, सारी दिशाएं मधुमय हैं, ऐसे समय में भिक्षु कबीर या मीरां के गीत गाता है। टैगोर कहते हैं कि वह समाज शिक्षण का काम कर रहा है। वह थोड़ा सा आटा मांगता है, थोड़ी सी भिक्षा मांगता है। प्रतिदान में वह मीरां की देववाणी तुल्य गीत देकर जाता है, कबीर की साखी देकर जाता है। इस प्रकार के सामाजिक और नैतिक शिक्षण की हमारे संतों और फकीरों के द्वारा, ओलियाओं और नबियों के द्वारा निरन्तर क्रमिक प्रवाहमय योजना थी। वह योजना गिर गई। हमारे यहां कथाएं होती थीं, या कीर्त्तन होते थे, प्रसंग होते थे, मौलूद होते थे। हमारे मंदिर, मस्जिद और गिरजाघरों में इस प्रकार के समारोह निरन्तर हुआ करते थे, जिससे समाज की बहुत सी रीतियों में सुधार हो, समाज का अपने आप शिक्षण के मामले में चेतना और विकास हो, लेकिन सारी बातें चली जा रही हैं। नये उपक्रम और नये वैज्ञानिक समाज के अविर्भाव के साथ साथ नये नये उपक्रमों की तलाश हुई। सन् १६३६ में देश में साक्षरता का आन्दोलन जारी हुआ। केवल यह बताया गया कि समाज शिक्षण का केवल काम है कि हम व्यस्कों को अक्षर ज्ञान बता दें। सारे देश में भी आन्दोलन चला। हमने भी राजस्थान, उस समय के राजपूताने के एक हिस्से में इस आन्दोलन को करने का उपक्रम किया है। उस समय के राज्य इस आन्दोलन के महत्व को जानते थे। हमने साक्षरता प्रसार के लिए कमेटी बनाई तो शासन के सामने बड़ा गम्भीर प्रश्न खड़ा हुआ कि अगर ये वयस्कों को पढ़ा देंगें तो वे शासन के जुए के अन्दर नहीं रहेंगे। उनमें उतनी चेतना आयेगी। वे संसार की नयी नयी बातों को जानेंगे, नये नये देशों की बातें पढ़ेंगे तो पंचायत राज्य की मांग करेंगे, पंचायती समाज की मांग करेंगे और वे उन सब सुख-सुविधाओं की मांग करेंगे जिनको पुराना राज्य नहीं देना चाहता था।

अध्यक्ष महोदय, मुझे वह दिन याद है। सन् १६३६ का वह दिन मुझे याद है कि हमारे जैसे व्यक्तियों के लिए कहा गया

(श्री जनार्दनराय नागर)

कि इस कमेटी के सदस्य नहीं बन सकते हैं। एक भावनामय साक्षरता का वायु-मंडल बना। देश के अन्दर उसके बाद आज साक्षरता की क्या स्थिति है? स्थिति दो तरह से आंकी जाती है। राज्य के विभागों के द्वारा, सलाहकार बोर्ड के द्वारा, समाज के प्रयत्नों के द्वारा और कुछ संस्थाओं द्वारा। कुछ संस्थाओं और राजकीय विभागों द्वारा साक्षरता प्रचार का सरंजाम रखा जाता है, वह नहीं चला है। इस देश में समाज शिक्षण के कुछ प्रयोग हो रहे हैं। आज ऐसी स्थिति तक पहुँच चुके हैं कि सारे समाज शिक्षण का अर्थ जीवन के शिक्षण को माना जाय। देश में आॅल इंडिया एडल्ट एजुकेशन की जो संस्था है उसके द्वारा सारे समाज पर दिन प्रति दिन विधि और प्रयोगों के द्वारा निरन्तर काम किया जा रहा है। मुझे खुशी है कि हमारे राजस्थान विश्व विद्यालय के उपकुलपति उसके सभापति हैं। मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि हमने इस बात का निश्चय किया है कि देश में समाज शिक्षण का जो कार्य हो रहा है सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा उनके कामों का मूल्यांकन किया जाय, जो इस संबंध में काम करने वाली संस्थाएं हैं उनसे सारा हवाला प्राप्त किया जाय और भारत सरकार से निवेदन किया जाय कि समाज शिक्षण के काम के लिए तृतीय पंचवर्षीय आयोजन में काफी धन राशि सहायता के रूप में दी जाय। आज समाज शिक्षण के प्रयोगों को देखते हैं तो यह निस्संदेह सफल दिखता है। एक तहसील के अन्दर १०-१५ कॉम्युनिटी एजुकेशन सेन्टर्स की स्थापना होनी चाहिए हमारे यहां एक्सटेन्शन सेन्टर्स होने चाहिए। इस प्रकार के प्रयोगों की इन्फॉर्मेशन इस प्रक इन्स्टीट्यूशन्स को दी जाय। वयस्कों के स्कूलों का प्रयोग दिल्ली में जामिया मिलिया के द्वारा चल रहा है। मैं चाहता था कि राजस्थान में भी इस प्रकार के प्रयोग शुरू हों। हमारी एक छोटी सी संस्था ने सायंकाल कॉलेजेज़ का प्रयोग उदयपुर में श्रमजीवी कॉलेज के रूप में चालू किया है। वह प्रयोग सिद्ध हुआ है। वहां पर वयस्क छठी क्लासेज़ से, बी. ए. की शिक्षा प्राप्त करते हैं और राजस्थान विश्वविद्यालय से प्रमाणित होते हैं।

अब, हमारा समाज शिक्षण क्या है? साक्षरता प्रसार है या नहीं? इस प्रकार की विवेचना के लिए गुन्जाइश नहीं रही है। इस बात को मान लिया है देश के सामाजिक कार्यकर्त्ताओं ने। देश के सामाजिक चिन्तको ने इस बात को मान लिया है कि समाज शिक्षण देश के वयस्कों का निरन्तर शिक्षण है। इस निरन्तर शिक्षण का प्रयोग कई राज्य कर रहे हैं। हमने जो नये समाज की चेतना को स्वीकार किया है उस शक्ति को, उस चेतना को वयस्क धीरे धीरे अपने अन्तर्मन में, अपनी मनसा में आत्मसात् करता चले। इसीलिये हम चाहते हैं कि हर तहसील के अन्दर कॉम्युनिटी एजुकेशनल सेन्टर्स हों, एक्सटेन्शन सेन्टर्स हों, एडल्ट स्कूल्स का प्रोविज़न हो, इन्स्टीट्यूशन्स हों और हम समाज शिक्षण का निरन्तर प्रयोग करते जा रहे हैं तो समाज शिक्षण का साहित्य हो। मैं बराबर राजस्थान सरकार को १०-११ वर्षों से कहता आया हूं कि ऐसी व्यवस्था करें कि समाज शिक्षण का साहित्य निरन्तर रूप से तैयार हो। कम से कम स्टेट में एक एडल्ट एजुकेशन का रिसर्च डिपार्ट-

(श्री जनार्दनराय नागर)

मेंट हो। इस रिसर्च विभाग में निरन्तर रूप से समाज शिक्षण का प्रयोग करके वह यह देखे कि समाज शिक्षण के साहित्य का निरन्तर क्रमिक प्रगतिशील विकास हो। ऐसे निर्माण से ऐसी सामग्री सामने आती है कि जिसकी वजह से समाज शिक्षण के काम करने वालों और जिनके लिए यह काम किया जा रहा है उन दोनों को लाभ हो। हमारे राज्य ने इस प्रकार की एक-दो पुस्तकें निकलवाई थीं। मैंने उन पुस्तकों को पढ़ा। उनको इनाम भी दिया गया है, १००) रु० या १५०) रू० का। जब समाज शिक्षण के साहित्य की बात आती है तो इसका मतलब समझते हैं कि कुछ पुस्तकें लिखवादी जायं। वे भी इस दर्जे की पुस्तकें हैं कि बिल्कुल ही नीचे दर्जे की। उनको अगर प्रात्साहन देते हैं तो समाज के सामने किस तरह का समाज शिक्षण का साहित्य तैयार होकर आता है? समाज शिक्षण का साहित्य तैयार करवाने का काम बहुत ही ऊंचे दर्जे का काम है।

यदि आप विश्वविद्यालय से पी. एच.-डी. प्राप्त करने के लिये कोई लेख लिखते हैं, डी. लिट के लिये कोई थीसिस लिखते हैं तो उससे भी ज्यादा कोमल और गहरा समाज शिक्षण का काम है। इसके लिये मानव जीवन का अध्ययन होना आवश्यक है। मैं चाहता हूं कि राजस्थान में हम इस प्रकार का कोई संस्थान शुरू कर सकें जिसमें मानव की आत्मा का अध्ययन कर सकें। वयस्कों को उनके घनघोर ऐतिहासिक परम्पराओं से मुक्त करके नये वातावरण में ले आने का प्रयत्न करना है। आज भारतीय जनता पर इतिहास का प्रभाव पड़ता है। जब हम इस इतिहास को देखते हैं तो हमें लगता है कि हम व्यावहारिक, सामाजिक और धार्मिक प्रक्रिया पर चलते आ रहे हैं। १६४७ के बाद में भारतवर्ष नवोदित जन राज्य के रूप में परिणत हो गया। तीन हजार वर्ष के इतिहास के बाद भारतीय नागरिक का नया इतिहास शुरू हुआ। हमारे सामने कई कठिनाइयां आई। उनको पार करके हम नागरिकों का क्रमिक विकास करने का प्रयत्न करने लगे। आज हमारे देश में हर प्रकार का अध्ययन हो रहा है। ईंधन के लिये प्रयोग शालाएं खोली गई हैं, कपड़ों की डिज़ाइन के लिये संस्थाएं खोली गई हैं, वैज्ञानिक विश्लेषण के लिये प्रयोगशालाएं हैं, खाने की चीजों के लिये प्रयोगशालाएं हैं, जीवन की प्रत्येक आवश्यकता के लिये इस प्रकार का प्रयोग चल रहा है। लाखों रुपये खर्च करके वैज्ञानिक अनुसंधानशालाएं खोली जा रही हैं, लेकिन हमारी जो मानव शक्ति है उसमें सहज रूप में जनतंत्रीय वातावरण में लाने के लिये, उनके मार्ग-दर्शन के लिये और शक्ति का अध्ययन करने के लिये कोई अनुसंधानशाला नहीं है। मैं चाहता हूं कि राजस्थान को मानव-शक्ति को जनतांत्रिक क्षेत्र में अधिक से अधिक मार्ग-दर्शन मिले। कुल मिलाकर, अध्यक्ष महोदय, समाज शिक्षण का काम शास्त्रीय काम है, मुश्किल काम है। इसमें धैर्य की आवश्यकता है, निरंतर विचार करने की आवश्यकता है और सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि हमें अपनी वयस्क जनता के साथ तादात्म्य लाना जरूरी है। हमने अब तक उनको उपदेश दिये हैं, उनके साथ चर्चा की, बातें कीं, राजतंत्र के विरूद्ध विज्ञापन किया, लेकिन, अध्यक्ष महोदय, शताब्दियों तक भारत के किसी राजा, नरेश

(श्री जनार्दनराय नागर)

या किसी भी सत्ता ने या उपदेशकों ने इस देश की जनता के साथ आत्म साक्षात्कार नहीं किया है। हमारे यहां आत्म साक्षात्कार ईश्वर के अवतार के साथ करना बताया गया। इस देश में एक व्यक्ति के अलावा किसी ने इन दिनों में ईश्वर का अवतार नहीं लिया। यदि ईश्वर अवतार नहीं लेता है तो भारत की जनता ईश्वर से साक्षात्कार कैसे कर सकेगी ? भारत की जनता के साथ साक्षात्कार करने का उत्तरदायित्व राज्य को लेना होगा। वे केवल उपदेश देकर देश सेवा नहीं कर पावेंगे। जिस तरह से ईश्वर से साक्षात्कार करने के लिये आराधना करनी पड़ती है, उसी तरह से जनता के कल्याण के लिये, उसकी मंगल कामना के लिये और उसमें चेतना का विकास करने के लिये, उसकी महिमा को सारभूत करने के लिये जो उपासना करनी है वह उपासना भारत की जनता के लिये है। यह उपासना स्कूलों और कॉलेजों में नहीं होने वाली है और नये पुराने ढच्चर की विश्वविद्यालयों के द्वारा नहीं हो सकती है, यह हो सकती है समाज शिक्षण के मिशन के जरिये। समाज शिक्षण के लिये मिशनरी स्पिरिट होनी चाहिये। इसके लिये देश में लाखों की तादाद में काम करने वाले नवयुवक चाहियें जो गांवों में, घर-घर में और गली-कूचों में जावें और ढोल और मजीरों के साथ जावें, ताल और वीणा के साथ जावें। वे जावें, उनकी पुस्तकें जावें, नये चरित्र और नये विधान के साथ जावें और वहां की जनता के साथ साक्षात्कार करें और अपनी प्रतिभा जनता के चरणों पर रखें।

आज जब हम मन्दिर में जाते हैं तो अपने देवता के सामने नैवेद्य आदि चढ़ाते हैं क्योंकि वहां आत्म ज्योति है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जन-देवता की कौनसी आरती उतार कर आत्म ज्योति प्रज्वलित करते हैं ? हम चाहते हैं कि उसके लिये उसी तरह की आरती हो ? हमें उसके लिये राज्य चलाना है, उसके लिये ही सत्ता है और उसको जागरूक करना है। हम उसके लिये थोड़ा बहुत विकास का काम करते हैं। आपने हर जगह कुएं, बांध आदि बनवाये हैं। लेकिन जो व्यवस्था आज है उसमें अंधकार को दूर करने के लिये आपके पास कौनसा प्रकाश और शक्ति है जिसके द्वारा उनके दिमाग के अंधकार को दूर कर सकते हैं ? हमारे उपक्रम ऐसे हैं कि एक बहुत अच्छे स्तर पर पब्लिसिटी करने के लिये विज्ञापन लगा रहे हैं। यदि अच्छे विज्ञापन के जरिये हम मानते हों कि जनता का विकास कर सकेंगे तो इस प्रकार के बोर्ड की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम सब जानते हैं कि हमारे व्यावहारिक मानस में अंधकार छा गया तो जीवन में शक्ति आ नहीं सकती जीवन विकास की क्षमता नहीं आ सकती इसलिये मैं मित्रों से कहना चाहता हूं कि आप निरंतर उपासना कर सकते हैं तो समाज शिक्षण के कार्य में भी इसी तरह से जुटना होगा। राजस्थान सरकार की मामूली लुंज-पुंज, अधिलचर, पंचर नीति से हम यह नहीं कह सकते कि हम समाज शिक्षण कर सकते हैं। मैं यह मानता हूं कि विकास खंडों में कुछ समाज शिक्षण का कार्य हो रहा है लेकिन वह अधूरा है। समाज शिक्षण का कार्य राजस्थान में जनतंत्रीय प्रणाली को विकसित करने के लिये हमें प्रारम्भ करना है। इसलिये हम चाहते हैं कि इस काम को

(श्री जनार्दनराय नागर)

राज्य कर्त्तव्य के रूप में ले और इस मुश्किल कर्त्तव्य को निभाने के लिये समाज शिक्षण बोर्ड कायम किया जाय। जिस तरह से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसी तरह से इसे भी कायम किया जाय।

मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या शिक्षा का मतलब हम यह समझ बैठे हैं कि सीमित समाज में थोड़ा बहुत शिक्षण दे दिया जाय जैसा कि आजकल राज्य सेवा के लिये नागरिकों को दिया जाता है? लेकिन यदि जनता की सुख सुविधा के लिये राज्य को चलाना है तो राज्य के मालिकों को शिक्षा देने का हमारा कर्त्तव्य है। इस कर्त्तव्य के प्रति हम पूर्ण जागरूक नहीं हुए हैं। कहीं कहीं पर हम समाज शिक्षण का थोड़ा बहुत काम प्रारम्भ करके मालिकों से कहना चाहते हैं कि हम काम कर रहे हैं जो संतोषजनक है। जो नौकर हैं, जो भित्तु हैं उन्हें मालिकों के साथ अच्छे इरादे से काम करना चाहिये। मैं नहीं चाहता कि सरकार किसी प्रकार के दबाव में आकर काम करे। यह बिल कई दिनों तक पड़ा रहा विचार करने के लिये, इसके लिये मुझे अफसोस है। मैं नहीं चाहता कि किसी प्रकार का दबाव डाला जाय। सरकार अपने होश-हवास में विचार करे। मैं यह चाहता हूं कि इसमें जो भावना है और इसका जो लक्ष्य है उसको मान ले। मैं जानता हूं कि सरकार को इसके लिये अधिक पैसा देना पड़ेगा। मुझे मालूम है कि इधर-उधर से अधिक फंड लाना पड़ेगा। इसके लिये मेरी कल्पना है। आज तक समाज शिक्षण का जो कार्य हुआ है उसको मैं ज्यादा महत्व नहीं देता। हमने इस तरह की कल्पना की है कि जिस तरह से सेकन्डरी बोर्ड चलाते हैं, विश्वविद्यालय चलाते हैं उसी प्रकार से इसको भी चलाना होगा। राज्य को अपना पूरा उत्तरदायित्व समझ कर समाज शिक्षण करना है। यदि करना है तो मुकर नहीं सकते और यदि करना है तो इस प्रकार के बोर्ड के बिना नहीं किया जा सकता।

अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि कोई यह न समझे कि विकास और समाज शिक्षण अलग अलग वस्तु है। इसका प्रारम्भ ऑल इंडिया नेशनल सेमिनार मे होता है। उस नेशनल सेमिनार के ११ वर्ष के विषयों को देखें तो पता लगेगा कि समाज शिक्षण अविभाज्य है राज्य, समाज की हर प्रवृत्ति से, हर पहलू से। नेशनल सेमिनार की छठी सेमिनार का मैं सदस्य रह चुका हूं। उसका विषय बड़ा दिलचस्प था। वह क्या था, समाज शिक्षण का राष्ट्र के पुनर्निर्माण में क्या भाग हो सकता है? तो समाज शिक्षण राष्ट्र पुनर्निर्माण के विधिवत् विकास के लिए, निर्माण के लिए आवश्यक समझा जाता है, इसी प्रकार श्रमिकों की समस्या में, महिलाओं और बालकों के मामले में, पुस्तकालयों और पुस्तकालयों के आन्दोलन के विकास के मामले में यह आवश्यक समझा जाता है। यही नहीं, अध्यक्ष महोदय, हमारे सामने समस्या है कि निरन्तर वयस्कों के शिक्षण के लिए हम क्या करें? यदि आप सेमिनार के विषयों का अध्ययन करें तो स्वयं मान लेंगे, कि समाज शिक्षण और उसका विकास, नये प्रबन्ध के लिए, नये विचार के लिए अनिवार्य हो गया है। यदि राष्ट्र का विकास करना है, राष्ट्र का पुनर्निर्माण करना है तो वयस्कों को सिखाना

(श्री जनार्दनराय नागर)

पड़ेगा कि राष्ट्रीय विकास का महत्व क्या है ? तो मैंने काफी इस विषय को स्पष्ट किया है।

अन्त में मैं एक विश्वास के साथ कि इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजा जाय, यह प्रस्ताव करना चाहता हूं, मैं यह प्रस्ताव कर रहा हूं। मुझे विश्वास है इस सदन का मेरा प्रत्येक मित्र और सहयोगी राजस्थान की जनता की आराधना की आवश्यकता को महसूस करता है, उनको यदि आत्म संतोष प्राप्त करना है, जनकल्याण को इस मंगल के द्वारा प्राप्त करना है, तो मेरी मान्यता है कि वह समाज शिक्षण के मिशन के जरिये ही प्राप्त कर सकते हैं। इस आशा और विश्वास के साथ कि इस सदन के मेरे मित्र और सहयोगी समाज शिक्षण को जानते हैं और मानते हैं कि राजस्थान में समाज शिक्षण बोर्ड बनना चाहिए। मैं मानता हूं कि राजस्थान सरकार ने जनतंत्रीय प्रणाली को पूर्ण रूपेण राजस्थान में लागू करने के लिए विकेन्द्रीकरण के द्वारा जनता के हाथ में सत्ता दी है और भारत के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसलिए यह दलील राजस्थान में से चली गई है कि दूसरे राज्यों में होने दो, तब आगे चलेंगे। हमें इस क्षेत्र में भी देश का नेतृत्व करना चाहिए और गौरवशाली कार्यों में इसके द्वारा और वृद्धि करेंगे। इस सदन ने अनेक विधायें बनाई हैं और सुधार किये हैं। वे इस सदन के गौरवशाली और महिमामय कार्य कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि इस सदन के एक सेवक के नाते, इस सदन के इतने गौरवशाली और महिमामय कार्यों में एक कड़ी और जोड़ने का मैंने प्रयत्न किया है। यह पुष्प है जो राजस्थान की जनता की आराधना के लिए है, जो मेरे समाज शिक्षण के अगाध विश्वास का प्रतीक है। यह सदन अपनी महिमा और गौरव के लिए बहुत अच्छा कार्य राजस्थान में सबसे पहले कर सकता है, देश में सबसे पहले कर सके, इस भावना के साथ मैंने इस विधेयक, इस कमल पुष्प को सदन के सामने रखा है, इस विचार के साथ कि इस विधेयक को सदन पारित कर ले और पारित करके देश के सामने समाज शिक्षण की दृष्टि से न केवल एक उदाहरण रखे, बल्कि देश का मार्ग–दर्शन देगा। इस आशा के साथ मैं इसे सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : अध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान शिक्षण मंडल विधेयक जो सदन के समक्ष प्रस्तुत हुआ है, इसका मैं समर्थन करता हूं। समाज शिक्षण का जो यह प्रस्ताव आया है, इसको मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि यह कोई नया आया हो, बल्कि मैं समझता हूं कि हमारे देश की पुरानी परम्परा और इस देश की शिक्षा की जो पृष्टि भूमि रही है उसको देखते हुए यह एक प्राचीन पद्धत्ति को ही एक नवीन रूप में रखने का विधेयक है। यह एक निश्चित बात है कि आज हम अपने देश की शिक्षा के आंकड़े देखते हुए अपने देश को सबसे पिछड़ा हुआ शिक्षा की दृष्टि से मानते हैं। यह एक विदेशी सरकार की देन है अन्यथा इससे पहले हमारे देश में शिक्षा का पूरा पूरा प्रचार था। एक युग था, जब इस देश के गांव गांव के अन्दर पाठशालायें होती थीं। कितने ही गांवों के बीच में गुरुकुल हुआ करते थे और बहुत बड़े क्षेत्र को लेते हुए विश्व

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

विद्यालय हुआ करते थे। उस समय के राजाओं का नियम था कि कोई माता पिता अपने बच्चे बच्ची को निरक्षर, बिना पढ़ा लिखा नहीं रख सकेगा। हमारी स्मृति और पुराने शास्त्रों में इस प्रकार का विधान है। इस दृष्टि से निश्चित है कि एक युग था जब हमारे देश के शत प्रतिशत पुरुष और स्त्री पढे लिखे होते थे, वे ऊंचे विद्वान होते थे, खाली साक्षर ही नहीं होते थे, बल्कि बड़े ऊंचे विद्वान होते थे और उनका संसार के शिक्षित लोगों में विशेष स्थान होता था। लेकिन एक युग आया, खास तौर से अंग्रेजी साम्राज्य के प्रसार के साथ, हमारे देश में शिक्षा का ह्रास हुआ। इसके साथ साथ शिक्षा का उद्देश्य बदला और उसका परिणाम यह हुआ कि हमारे देश में एक ओर निरक्षरता बढ़ी और दूसरी ओर जो साक्षरता हुई, जो शिक्षा का प्रचार हुआ वह दूषित हुआ, अपंग हुआ और हमारे देश की प्राचीन पद्धति को देखते हुए, प्राचीन प्रणाली को देखते हुए वह सर्वथा दूषित सिद्ध हुआ। अध्यक्ष महोदय, मैं यह बतलाऊं, जो देश में पुराने शासक थे, उनका यह नियम था कि वहां के सभी पुरुष और स्त्री, बच्चे और बच्चियां पढे लिखे रहें। इस अंग्रेजी साम्राज्य का प्रभाव हमारे उन नरेशों पर पड़ा। मैं दूर जाना उचित नहीं समझता। हमारे राजस्थान का ही मुझे ध्यान है कि एक महाराजा अपने राज्य में शिक्षा का प्रचार नहीं करना चाहते थे बहुत कम जिनके राज्य में शिक्षा थी और उनसे किसी एक देश के नेता ने पूछा कि आप अपने यहां शिक्षा प्रसार क्यों नहीं करते, तो उस वक्त महाराजा साहब का उत्तर था, जो आज भी हमारे लिए कौतुहल का विषय है। उन्होंने कहा था :

"When they are uneducated, they agitate so mcuh and if they are given education, they will not let us have a sound sleep." उन्होंने यह स्पष्ट कहा कि बिना पढे लिखे लोग आन्दोलन करते हैं, यदि इन लोगों को शिक्षा दे दी जायगी तो हमें पूरी नींद नहीं सोने देंगे। हमारे शासकों का भी समय के अनुसार इस प्रकार का एक विचार बन गया, लेकिन यह अवस्था ज्यादा दिन रहना उचित नहीं थी। इसलिए हमारे देश के स्वतंत्र होने के उपरान्त ही हमारे देश में इस प्रकार की भावना जाग्रत हुई और इसके लिए पहले से ही तैयार रहे कि देश के स्वतंत्र होने के बाद जहां एक ओर साक्षरता का प्रचार होगा वहां शिक्षा का उद्देश्य भी बदलेगा। इस दृष्टि से, मैं समझता हूँ कि जहां हमारे संविधान में इस बात का प्रावधान किया गया है कि एक निश्चित अवधि के अन्दर देश के एक एक बच्चे, एक एक बच्ची, सबको पढ़ाने का राज्य का कर्त्तव्य होगा। उसके साथ साथ वह शिक्षा किस प्रकार की हो, इसके लिए भी समय समय पर आयोजन होते रहे और इस ओर प्रयत्न किया जा रहा है। लेकिन यह देख कर दुःख होता है कि इतने दिन होने के उपरान्त न शिक्षा का वह स्तर ला सके हैं और न वह प्रणाली ला सके हैं। जिसके द्वारा सच्चे मायने में जनता को शिक्षित कर सकें। इस देश, लम्बे-चौड़े देश के नागरिकों को शिक्षित कर सकें, इसके लिए आवश्यक है कि हम जो वर्तमान विश्व विद्यालयों के अन्तर्गत, बोर्डस के अन्तर्गत, वर्तमान उच्च स्तरीय कॉलेजेज़, उच्च स्तरीय स्कूल्स आदि चला रहे हैं, इसके उपरान्त शिक्षा की व्यवस्था

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

कायम करें, जिसमें एक एक व्यक्ति को पूर्ण रूप से शिक्षित कर सकें। यह हम मानते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य वह होना चाहिए जिसमें कि हम अपने राष्ट्र का पूर्ण रूपेण विकास कर सकें, एक एक व्यक्ति का पूर्ण, सर्वांगीण विकास कर सकें। वर्तमान जो शिक्षा पद्धति है, वर्तमान जो स्कूल और शिक्षण संस्थायें हैं, वे पूरी तरह इसे निभा नहीं पा रही हैं। इसके लिए आवश्यक है कि हमें शिक्षा पद्धति को बदलना होगा। आज देश का दुर्भाग्य है कि अंग्रेजों के जमाने में ये शिक्षण संस्थायें कायम हुईं, पब्लिक स्कूल के नाम से जो संस्थायें चलती हैं, जिनमें अपनी दृष्टि से शिक्षा दी जाती है, वहां जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, उनका विकास करने की चेष्टा करते हैं, लेकिन मुझे यह कहते हुए खेद होता है, वे पब्लिक स्कूल्स छोटी और बड़ी जरूर हैं, उनमें पाश्चात्य प्रभाव है, वह खर्चीली हैं। एक बात हमारे प्रधान मंत्री ने कही थी कि मैं दून स्कूल और दूसरे दून कॉलेज को ठीक नहीं समझता, क्योंकि उनमें जो बच्चे जाते हैं वे बड़े बड़े धनाढ्यों के जाते हैं और उनमें गरीबों के बच्चे शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हमारे जयपुर में सेंट जेवियर, सेंट एंजला खुला हुआ है, महारानी गायत्री स्कूल खुला हुआ है, लेकिन इन सब के सब को यदि हम देखते हैं कि इनके अन्दर पाश्चात्य प्रणाली से पढ़ाई होती है, पाश्चात्य रूप से रोज उन्हें शिक्षा देते हैं, इसके अलावा वे बहुत ही खर्चीली हैं। इसलिए आवश्यक है कि हमारे यहां ऐसी पद्धति हो, जो रेज़िडेन्शियल स्टूडेन्ट्स, स्थानीय विद्यार्थियों को शिक्षा दे, और जो स्कूल और शिक्षण संस्थायें हैं उनमें अच्छे अच्छे अध्यापक हों। उनमें सारी चीजें होतीं........

श्री अध्यक्ष : यह विधेयक केवल समाज शिक्षण के बारे में है।

१० म. पू.

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : यह समाज शिक्षा के बारे में है।

श्री अध्यक्ष : यह सामान्य शिक्षा के बारे में नहीं है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी: इसलिए समाज शिक्षण के लिए यह जरूरी है कि आज लोगों को सामाजिक ज्ञान के लिए शिक्षा दी जाए। हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली अपूर्ण है। हमारी आवश्यकतानुसार नहीं है। यह शिक्षा प्रणाली पुरानी अंग्रेजी की शिक्षा पद्धति के अनुसार चल रही है। आज केवल इस प्रकार की शिक्षा की ही आवश्यकता नहीं है कि लोग साक्षर बनें। हम चाहते हैं कि लोग शिक्षित हों लेकिन इसके साथ साथ हम यह भी चाहते हैं कि लोग देश के सच्चे नागरिक बनें और इससे भी ज्यादा हम यह चाहते हैं कि वे सबसे अधिक सच्चे नागरिक के साथ साथ अच्छे मानव बनें। इसलिए हमारे यहां इस प्रकार की शिक्षा की बहुत जरूरत है और हमारी मौजूदा शिक्षा पद्धति इस प्रकार की है कि है कि शिक्षित होते हुए भी वह लोगों को बेकार बनाती है। इसलिए मैं यह आवश्यक समझता हूं कि सामाजिक शिक्षण के साथ साथ प्रारंभ में दूसरे जरूरी जरूरी सारे विषयों का समावेश हो जिससे लोगों को शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ उनका शारीरिक विकास, मानसिक विकास और आध्यात्मिक विकास भी हो सके।

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

इसके साथ साथ कुछ इस प्रकार की हस्तकला और दूसरी चीजों में भी शिक्षा दी जानी चाहिये जिससे उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के बाद बार बार नौकरी के लिए भटकते फिरना न पड़े। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के सभी विषयों का समावेश इसमें करना चाहिये। मैं समझता हूं कि समाज शिक्षण बोर्ड होगा वह इसके लिए ध्यान रखेगा कि उसमें सांस्कृतिक, कृषि सम्बन्धी और समाज सुधार की सारी बातें हों। इस प्रकार का बोर्ड अवश्य कायम हो और उसमें इस प्रकार की सारी बातों का समावेश हो और इस प्रकार की शिक्षा दी जावे जिससे लोगों को ज्यादा फायदा मिले। जो काम हम कानून के द्वारा नहीं कर सकते उनको पूरा किया जाय। हमारी सरकार ने पंचवर्षीय योजना में यह रखा है कि हमारे प्रदेश के सभी नागरिकों को साक्षर बनाया जाय और वह बनाएगी। लेकिन फिर भी यह बहुत बड़ी संख्या रह जाती है उसका क्या होगा? मैं समझता हूं कि समाज शिक्षण बोर्ड बनेगा वह निश्चित आय के बाद में जितने लोग बच रहेंगे उनको हर प्रकार से शिक्षित करेगा और इस पद्धति से करेगा कि उनको केवल पुस्तक मात्र का ही ज्ञान न हो बल्कि समाज में हमारे क्या कर्त्तव्य हैं, देश के प्रति क्या कर्त्तव्य हैं, इन बातों का ज्ञान कराएगा। लोगों को इस प्रकार का ज्ञान कराएग कि देश-वासियों में आपस में किस प्रकार का भ्रातृ प्रेम होना चाहिये। इस प्रकार की अनेक बातें हैं जिनका ज्ञान कराएगा। जब उनको इस प्रकार का ज्ञान कराएगा तभी हमारा देश सर्वांगीण उन्नति कर सकता है। इसलिए इस विधेयक को इसी दृष्टिकोण से लाया गया है। इसका मैं हृदय से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि इसको उत्साह के साथ सभी सदन के माननीय सदस्य स्वीकार करेंगे और पारित करेंगे।

श्री रामचन्द्र (डग–मु०) : अध्यक्ष महोदय, इस सदन के माननीय सदस्य आज समाज शिक्षण बोर्ड की स्थापना के लिए विधेयक लाये हैं। वह बहुत ही उपयुक्त और सामाजिक है। मैं तो यह समझता हूं कि इस प्रकार के बोर्ड की स्थापना आज से कुछ समय पहले ही हो जानी चाहिये थी क्योंकि समाज शिक्षण की देश के लिए बहुत बड़ी आवश्यकता है। वैसे तो शिक्षा के बारे में सरकार ध्यान देती है ही लेकिन राजस्थान का शिक्षा के बारे में एक लिमिटेड क्षेत्र है। अब तक राजस्थान सरकार केवल सामान्य शिक्षा और टेक्निकल की तरफ ही विशेष ध्यान देती रही है। सामाजिक शिक्षा इन दोनों से भिन्न है। यह एक सम्पूर्ण समाज के लिये है और यह जो दी जाती है वह ६ वर्ष से २५ वर्ष की अवस्था तक भिन्न भिन्न क्षेत्रों में दी जाती है। और उसके बाद जो जैसी शिक्षा की आवश्यकता होती है उसके लिये इस विधेयक में प्रावधान किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहूंगा कि शिक्षा की कोई सीमा नहीं होती। मनुष्य जब तक जीवित रहता है तब तक वह हमेशा एक अध्ययनशील केरूप में है। वह हमेशा शिक्षा प्राप्त करने के लिए लालायित रहता है। इसलिये अगर मैं अपनी शिक्षा की सीमा केवल २५ वर्ष या इससे पूर्व रखूं तो उससे यह नहीं समझना चाहिये कि हमारी शिक्षा का क्षेत्र पूरा हो गया। मैं यह कहूंगा कि हमको ऐसी शिक्षा प्रणाली की योजना करनी चाहिये जो हमारे समाज के प्रत्येक व्यक्ति को

(श्री रामचन्द्र)

अन्य प्रकार की शिक्षाओं का अध्ययन करने में मदद दे।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर इस प्रकार के बोर्ड की स्थापना करने की इसलिए आवश्यकता हो गई कि हम एक स्वतन्त्र देश के नागरिक हैं। हम लोगों को अपने जीवन को इस प्रकार के ढांचे में डालना है जिससे हम दूसरे उन्नत देशों के लोगों के समान जीवन व्यतीत कर सकें। इसलिये यह आवश्यक हो जाता है कि हमारे यहां हमारे राज्य के व्यक्ति के लिए चाहे वह गरीब हो, चाहे वह अमीर हो या बड़ा हो, जब तक वह जीवित रहे उसको इस प्रकार की शिक्षा मिलती रहनी चाहिये जिससे वह अपने देश का अच्छा नागरिक साबित हो और इसलिए जो विधेयक माननीय सदस्य ने प्रस्तुत किया है उसको देखने से पता चलता है कि आपने इस शिक्षा का प्रभाव और स्तर को समझ कर ही इसका गठन किया है। इसमें सभी प्रकार के महानुभावों की सेवा को शामिल करने के लिये प्रावधान रखा है जिससे कि उनके द्वारा समाज शिक्षण में हमारा देश प्रगति कर सके।

अध्यक्ष महोदय, हमको यह नहीं समझना चाहिये कि समाज शिक्षण कोई नई चीज़ है। हमारे यहां पर भिन्न भिन्न रूप से इस प्रकार की शिक्षा होती आई है। मगर इसके द्वारा हम यह चाहते हैं कि समाज शिक्षण का कार्य एक संगठित रूप से और एक ढांचे के अनुसार हो ताकि नागरिक उससे शिक्षा प्राप्त करके एक देश के अच्छे से अच्छे नागरिक बन सकें।

अध्यक्ष महोदय, इस समय हमारे यहां शिक्षा की कमी है। इस बात का इससे पता चलता है कि हमारे यहां लिट्रेसी का कितना लो पर्सेन्टेज है। उसको भी उन्नत करने के लिए यह बोर्ड अधिक सहायक हो सकता है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि बोर्ड के विधेयक को अवश्य बनाया जावे। आज की स्थिति में समाज के लिए सोश्यल एजुकेशन के क्षेत्र में एक प्रकार से मौका देना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए मैं इस विधेयक का बहुत समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि इस पर भली प्रकार से विचार करके इसको पारित किया जाए।

(श्री हरिप्रसाद यादव के खड़े होते ही करतल-ध्वनि)

श्री हरिप्रसाद यादव (वल्लभनगर-सु०) : अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्य श्रीमान् जनार्दनराय नागर द्वारा विधान सभा में प्रस्तुत राजस्थान समाज शिक्षण बोर्ड विधेयक, १६५८ को प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने का प्रस्ताव रखा गया है उसका मैं समर्थन करता हूं व उसका समर्थन करते हुए मैं कुछ निवेदन करूंगा

(करतल-ध्वनि)

माननीय अध्यक्ष, समाज शिक्षण बोर्ड के लिए जो हमारे श्री नागर साहब ने फरमाया कि यह नई चीज है, मैं यह कहूंगा कि यदि हम भारतवर्ष के इतिहास को देखें तो मालूम होगा कि यह बहुत प्राचीन काल से शुरू है। यदि हम इसमें आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि समाज के प्रत्येक जाति के लोग समाज शिक्षण के प्रति रूचि रखते थे। परन्तु हमारे सवर्ण भाइयों ने हरिजन भाइयों

(श्री हरिप्रसाद यादव)

को ऊपर नहीं उठने दिया और हमेशा उनका शोषण करते आये....

श्री अध्यक्ष : आप विधेयक पर ही बोलें। दूसरी बातों पर बहस करने के लिए अभी समय नहीं है।

श्री हरिप्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय मैंने उदाहरण आपके सामने रखा है। हमारे यहां पर शिक्षण पहले होता था उसको भूल गये हैं। यदि हमारे यहां बोर्ड के सदस्य जिस समय बनाये जावें उस समय सभी जातियों के प्रतिनिधियों को लोगों के सुधार के लिए समाज शिक्षण बोर्ड जब कायम हो जावे उस समय हरिजन भाइयों और आदिवासियों का भी ध्यान रखा जावे ऐसी मेरी भावना है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने के पक्ष में हूं। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि हजारों वर्षों से कुचली हुई जातियां उनके सांस्कृतिक प्रोग्राम आपको रखने की नीति रखनी होगी। बड़े बड़े हिन्दुस्तान के पर्व मनाये जाते हैं। वे जातियें अपने अच्छे ढंग से कार्यक्रम को मनाती हैं। लेकिन हमारे देश के बड़े बड़े सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं। उनमें इन जातियों को अपने प्रोग्राम करने और दिखाने का अवसर नहीं दिया जाता है।

वैसे मैं आपके सामने उदाहरण पेश करता हूं कि जैसे रेडियो स्टेशन पर एक कवि चाहे किसी कवि की कविता की नकल कर लाया हो फिर भी उसको तीन तीन प्रोग्राम मिलते हैं! पिछली जाति के लोग लोक गीत, विवाह-शादी के मौके पर गाते हैं। राजस्थान प्रदेश में कई इलाकों में मंडलियां घूम घूम कर काफी अच्छी तरह प्रदर्शन करती हैं लेकिन शिक्षण संस्थाओं में उनको प्राथमिकता नहीं दी जाती है। मैं यह निवेदन करूंगा कि यह बोर्ड बनाया जाय, मैं इसके पक्ष में हूं लेकिन सब ही जातियों का उसमें अधिकार हो। मैं यह निवेदन करूं कि यह बिल जब पास हो जायगा और जो सुधार होंगे, जैसे इसी सदन में मेरे से पूर्व वक्ताओं ने अपने भाषण में जोरदार और जोशीले शब्दों में कहा हमारे प्रदेश को उठाना है, सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाओं का सुधार करना है तो यह बोर्ड बना कर प्रदेश का सुधार करना है। लेकिन आज तक जितनी शिक्षण संस्थायें प्रदेश में चल रही हैं उनमें भेदभाव बरता जाता है। मैंने देखा है और मैं अपने अनुभव से निवेदन करूं कि आज तक १५ वर्ष से लगातार इन संस्थाओं का अध्ययन कर रहा हूं। इस नये बोर्ड को बना कर राजस्थान प्रदेश को खुशहाल बनायें, राजस्थान की सामाजिक, सांस्कृतिक और औद्योगिक स्थिति में सुधार लायें, तो बहुत अच्छी बात होगी। इस बोर्ड का एक जबरदस्त सहयोग होगा। यह सहयोगी साबित होगा लेकिन मैं, अध्यक्ष महोदय, एक बात आपके द्वारा सदन से निवेदन करना चाहता हूं और वह यह है कि इस बोर्ड के नीचे जितनी भी संस्थायें हैं उनसे वे भेदभाव न बरतें। रिज़र्वेशन का १० वर्ष के लिए अधिकार हमको मिला है। इस प्रकार दस वर्षों में इन संस्थाओं के सांस्कृतिक, सामाजिक प्रोग्रामों में पिछड़ी जाति के लोगों को सम्मिलित होने का मौका दिया जावे। इस बिल को मैं बहुत महत्वपूर्ण समझते हुए समर्थन करता हूं और निवेदन करता हूं कि इसको प्रवर समिति में भेज कर शीघ्र ही पास कराया जाय।

श्री लादूराम मुलाणिया (दूदू–सु०) : माननीय अध्यक्षजी, आज राजस्थान समाज शिक्षण बोर्ड विधेयक प्रवर समिति के सुपुर्द करने के लिए हाउस में पेश किया गया है। मैं इस विषय में कुछ सुझाव सदन के समक्ष रखना चाहूंगा कि इस बोर्ड का गठन हो रहा है, अच्छा हो रहा है और होना चाहिये पर जो इसके अन्दर कई प्रकार की कमियां हैं उनको पूरा करने के लिए मैं कुछ सुझाव पेश करता हूं और वह यह है कि जो बोर्ड का गठन किया जा रहा है इसमें आम तौर पर जो चुने हुये लोग हैं उनको न लेकर सरकारी अधिकारियों को लिया जा रहा है, यह अनुचित है। सरकारी अधिकारी ज्यादा लेने के बजाय जनता के प्रतिनिधि, जो जनता की सही स्थिति को जानते हैं, जो गांवों और शहरों में रह कर वहां के जितने लोग हैं उनकी हालत को अच्छी तरह से जानते हैं, उन चुने हुए प्रतिनिधियों को इस बोर्ड में ज्यादा से ज्यादा लेना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि बोर्ड में जितने भी लोग लिये जाते हैं उनमें अधिक तौर पर संख्या उन लोगों की होती है जो आज तक देश को आगे लाने में, उसका उत्थान करने में रोड़ा बन कर बैठे रहे हैं और जब हमारा देश आजाद हुआ है तो इन लोगों के हाथ में बागडोर दी जाती है जो कि देश के विकेन्द्रीकरण में बाधक बने हैं और बनते रहे हैं। इन लोगों को ध्यान नहीं रहता है कि हमारे देश में जो भयंकर तपेदिक की बीमारी है तो उसको कैसे मिटाई जाय और वह क्या है? उनको तो सिर्फ यह ध्यान रहता है कि हमारे बच्चे, रिश्तेदार के बच्चे और परिवार सम्बन्धित जाति के बच्चे शिक्षा प्राप्त करके बड़े बड़े ऑफिसर्स बन जांय। इसी में ज्यादा भला समझते हैं। लेकिन मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन करूंगा कि इससे हमारा देश आगे जाने वाला नहीं है। आज हमारे देश में भंयकर बीमारी जात-पांत और छुआछूत की है और जब तक इसको नहीं मिटाया जायगा इस देश का सम्मान नहीं होगा। परिगणित जाति के लोगों को इस बोर्ड में नहीं रखा गया है। इसके लिए सुझाव पेश करूंगा कि इस बोर्ड के सदस्य हों, और अन्य जो छोटी २ संस्थायें बनाई जायं उनमें परिगणित जाति के लोगों के लिए रिजर्वेशन न किया जाय जैसा कि आज कल किया जाता है १०० में से २० और २० में से ५ उनमें लिये जायं और उनको अधिकार देना चाहिये जिससे कि आनेवाले भविष्य में वे अपने बच्चों को विद्याध्ययन का अच्छा मौका प्रदान कर सकें। पिछले १२ वर्षों में पिछड़ी जाति को सरकार द्वारा फेसीलिटीज़ दी गईं वे नाकाफी हैं, बड़े २ हाई स्कूल्स, हायर सेकिन्डरी स्कूल्स, मिडिल स्कूल्स हैं उनमें भी नियम लागू हैं कि पिछड़ी जाति के बच्चों को छात्रवृत्ति दी जावे और उनसे पूरी फीस न ली जावे। मैं निवेदन करूं कि हमारे बच्चों से फीस ली जाती है अपके द्वारा सदन को कई बार बताया भी गया है, बड़ी बड़ी फीस उस परिगणित जाति के बच्चों से ली जाती है, उनके साथ पक्षपात बरता जाता है और जोरदार पक्षपात बरता जाता है। जिस स्कूल में २० परिगणित जाति के बच्चे हैं तो २ बच्चों को तो छात्रवृत्ति दे देते हैं और बाकी के लिए टालमटोल कर देते हैं। बहरवा जाति शिड्युल्ड कास्ट में आ गई है। ५९.६० में छात्रवृत्ति दी गई, बहरवा शब्द लिखा होने पर भी छात्रवृत्ति वापिस

Page No.38

(श्री लादूराम सुलाणिया)

कर दी। भारत सरकार की लिस्ट में बहरवा जाति घोषित हो गई है। वे जानते भी हैं लेकिन देते नहीं। इस प्रकार के लोग बैठे हुए हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि समाज शिक्षण बोर्ड बनाया जाय तो उसको ज्यादा से ज्यादा फेसीलिटीज़ दी जायं। चेयरमैन चुना हुआ व्यक्ति हो, सरकारी अधिकारी न हो और वे लोग हों जो कि जनता की कठिनाइयों को जानते हैं और उनकी कठिनाइयों को सामने रख कर देश के भावी बच्चों को अच्छी विद्या देकर आगे बढ़ा सकें, देश का उत्थान कर सकें। यह मेरी राय है।

जितनी कमेटियां बोर्ड की बनने जा रही हैं और सुझाव हमारे सामने आये हैं और विश्वस्त सूत्र से पता लगा है राजस्थान के किसी एक कोने में ज्यादा बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर उदयपुर को ले लीजिये। क्या वहां के लोग ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं? वहां ही ऐसी संस्थायें क्यों बनाई जाती हैं? बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं तो परिवार नियोजन लागू करें।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : मेरे माननीय मित्र भ्रम में हैं। यह कहीं नहीं लिखा है कि बोर्ड कहां पर होगा। यह सरकार पर छोड़ दिया गया है। इसमें 'उदयपुर' शब्द कहीं पर भी बता दें तो शायद....

श्री लादूराम सुलाणिया : कमेटी के चेयरमैन हैं उनको इसमें घबराने की बात नहीं है। यह मेरा सुझाव है कि पक्षपात नहीं बरतना चाहिये। वहां के लोग बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं तो पहले वहां बनाया जाय, लेकिन यह जरूर निवेदन करूंगा कि राजस्थान के जितने भी डिवीज़न्स हैं उनमें बच्चों की मर्दुमशुमारी के हिसाब से आप संस्थायें खोलें। सब को बराबर का अधिकार मिलता है तो मैं यह निवेदन करूंगा कि इस बोर्ड में लोगों का विश्वास हो सकता है। राजस्थान के अशिक्षित लोग हैं वे भी ज्यादा शिक्षा प्राप्त करने के लिये आगे आयेंगे। लोग जब फेसीलिटीज़ नहीं मिलती हैं तो आगे नहीं आते। अनिवार्य शिक्षा हमने लागू की है और उसमें हमें काफी सफलता भी मिली है। लेकिन विशेष तौर से मेरा सुझाव इसमें यह है जिन लोगों के अधिकार छीने हुए हैं उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा इसमें शामिल किया जाय। जो बोर्ड आप बनाते हैं उसके अन्दर इनके भी नुमायन्दे आने चाहिये उनको लेना चाहिये जिससे वे सुझाव दे सकें और उससे इन जातियों के लोगों का भला हो सके।

आज हमारे राजस्थान में जितने भी गांवों के विकास के काम होते हैं उनमें ग्राम सेवक, बी० डी० ओ० द्वारा या अन्य चुने हुए व्यक्तियों द्वारा जो काम होता है उस पर भी हम उनसे सुनते हैं कि आज गांवों में शिक्षा की बहुत कमी है। गांवों के लोग इतना विकास होने के पश्चात् भी, पढ़ाई-लिखाई का इन्तजाम होते हुए भी, प्रौढ़ शिक्षा का इन्तजाम होते हुए भी सारे राजस्थान में दो प्रतिशत से ज्यादा प्रौढ़ लोगों ने शिक्षा का लाभ नहीं उठाया है। इसका कारण यह है कि लोग अनभिज्ञ हैं। यह खुशी की बात है कि ऐसे लोगों के अन्दर ज्ञान का प्रसार करने का काम इस बोर्ड के अधीन होगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि बोर्ड का गठन किया जाय वह इस तरह से

(श्री लादूराम सुलाणिया)

किया जाय जो ज्यादा से ज्यादा मजबूत हो सके। इसमें चुने हुए व्यक्ति पंचायतों के पंचायत समितियों के, जिला परिषदों के ग्राम पंचायतों के मुखिया-सरपंच, म्युनिसिपैलिटियों के चेयरमैन ऐसी संस्थाओं के व्यक्तियों को इसमें शामिल किया जाय। यह इसलिये आवश्यक हो जाता है क्योंकि ये लोग जनता से काफी निकट रहते हैं इसलिये जनता की कठिनाइयों को ज्यादा जानते हैं। इसलिये इनका सहयोग लेना आवश्यक है। इनकी राय के मुताबिक और परिगणित जाति के लोगों को जो इसमें नहीं लिया गया है वह भी लिया जावे और एक नहीं; अधिक से अधिक लोग परिगणित जाति के लिये जावें। जब नाथद्वारा प्रबन्धक बिल पास हुआ था उस समय मैंने यह निवेदन किया, इसके लिये जो कमेटी बनाई जा रही है उसमें हरिजनों का भी एक प्रतिनिधि अवश्य लिया जाना चाहिये। वह इसलिये कि छूआछूत को जब हम मिटाने जा रहे हैं वैसी हालत में राजस्थान का ही नहीं सारे भारतवर्ष के प्रसिद्ध नाथद्वारा मन्दिर में जो एक धार्मिक मन्दिर है उसके अन्दर जो प्रबन्ध कमेटी है जिस पर लाखों करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है उसके लिये परिगणित जाति के दरवाजे बन्द हैं और भी दूसरे मन्दिरों के दरवाजे बन्द हैं। मैं नहीं सोचता; ये कब तक बन्द रहेंगे? क्या इससे राजस्थान की बदनामी नहीं होती है? जो लोग विदेशों में जाते हैं क्या उन लोगों को बाहर के देशों में शर्मिन्दगी नहीं उठानी पड़ती है? इस बात के लिये क्या बड़े बड़े लोगों का इससे सिर नीचा नहीं होता है? ये छोटी छोटी बीमारियां हैं इनको जल्दी से जल्दी मिटाने की ओर ध्यान देना चाहिये और बोर्ड को अधिकार दिया जाय जिससे यहां के बच्चे विद्याध्ययन करके शिक्षित हो सकें।

उधर से एक माननीय सदस्य बोल रहे थे उनका कहना था कि राजाओं के समय में और बहुत पुराने समय से यह प्रथा चली आ रही है कि पिछड़ी जाति के लोगों को विद्याध्ययन का मौका नहीं मिलता था। यह सच नहीं हो सकता। मैं आपको मिसाल के तौर पर अर्ज करना चाहता हूं, देश के भाग्यविधाता, सारे भारत का संविधान बनाने वाले श्री भीमराव अम्बेडकर जो परिगणित जाति के थे उनको महाराजा गायकवाड़ ने विद्याध्ययन करवाया। इससे पता चलता है कि पहले राजाओं के समय में भी यह भेद-भाव नहीं था। आज लोग यह कहते हैं चार वर्ण के आगे पांचवा वर्ण भी बना रहे हैं। आज से लाखों वर्ष पहले से, जो सदियों से गरीब और नीच गिना जाता था आज देश के आजाद होने पर भी हम देखते हैं उनकी स्थिति में विशेष अन्तर नहीं आया है। आपको चाहिये कि उनको फेसीलिटीज़ दें, उनको प्रतिनिधित्व दें। ऐसी शिक्षण संस्थाओं में जिनका समाज शिक्षा का आधार होता है परिगणित जाति के लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में लिया जाय। इसके साथ साथ यह भी निवेदन करूंगा कि यह बहुत आवश्यक और अच्छा विधेयक है, हमें इसको जितना जल्दी हो सके पास करना चाहिये।

श्री मोतीलाल (डीडवाना) : अध्यक्ष महोदय ....

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) :

Page No.40

(श्री भैरोंसिंह)

अध्यक्ष महोदय, पौने ग्यारह बजे तक का समय इसके लिये निर्धारित है, अभी मिनिस्टर महोदय का जवाब बाकी है।

श्री अध्यक्ष : नियत समय पर खत्म हो जायगा, आप चिन्ता न करें।

श्री मोतीलाल : अध्यक्ष महोदय, यह बिल जो सदन में प्रस्तुत हुआ है और इसको जो सिलेक्ट कमेटी में भेजने के लिये कहा गया है उसके समर्थन में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। जिस समय बजट पर वाद–विवाद हो रहा था उस समय भी मैंने कहा था कि राजस्थान को अगर हमें शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है तो समाज शिक्षा और एडल्ट शिक्षा को प्रोत्साहन देना होगा। हमने एक सबसे बड़ा कदम उठाया और प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया। ६ साल से ११ साल के बच्चों के लिये जो अनिवार्य शिक्षा का हमने कदम उठाया यह कदम शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा कदम कहा जा सकता है। इससे पहले राजस्थान के अन्दर हमने डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइज़ेशन की ओर कदम उठाया। सहकारी राज्य की ओर हम बढ़ रहे हैं। जिस समाज के अन्दर आर्थिक सामाजिक व्यवस्था के अन्दर क्रान्तिकारी परिवर्त्तन नहीं होता है तब तक समाज आगे बढ़ नहीं सकता। आज हमें चिन्ता गरीबी की नहीं, आर्थिक हालत की नहीं है लेकिन समाज का जो रूप है उसको हम देश में चल रहे कार्यक्रम के अनुसार कैसे बना सकते हैं, इसकी ज्यादा चिन्ता है। यह तब तक हो नहीं सकेगा जब तक हम समाज शिक्षा का प्रसार न करें। इसके लिये मुझे सबसे ज्यादा खुशी है कि जिन माननीय सदस्य ने यह विधेयक रखा है मैं उनको बधाई देना चाहता हूं और इसके साथ ही उन्होंने जो सलेक्ट कमेटी में भेजने का जो विचार साथ में रखा है वे और भी ज्यादा बधाई के पात्र बन गये हैं। इसके साथ साथ मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जिस भावना से वे इस विधेयक को लाये हैं उसी भावना को, उसी दृष्टिकोण को सामने रखते हुए विशेष तौर से किसी विशेष हिस्से को, किसी विशेष अंग को ख्याल में न रखते हुए सारे राजस्थान को अपने दृष्टि में रखते हुए सब जगह समान रूप से इसका फायदा मिले, इस बात का भी वे ध्यान रखेंगे। जहां आप सलेक्ट कमेटी में इसको भेजने जा रहे हैं वहां आपको सारे राजस्थान को ध्यान में रखते हुए हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर डिविज़न के लोगों की स्थिति वहां होने वाली सहकारी व्यवस्था, विकेन्द्रीकरण की व्यवस्था का ध्यान रखते हुए हमें प्रोग्राम तय करना चाहिये।

इस विधेयक की सबसे ज्यादा जरूरत इसलिये भी है कि अब सात हजार पंचायतों मे काममें करने के लिये १०-१५ हजार सहकारी समितियों में काम करने वाले लोगों को हमें आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था का ज्ञान कराना है, उनको हमें कन्ट्रोल करना है। सात हजार पंचायतों में काम करने के लिये दो–तीन लाख लोग चाहिये जो इनमें काम कर सकें। इसी तरह से सहकारी समितियां भी बनेंगी उनमें भी जब हर गांव में हम सर्विस कोऑपरेटिव कायम करना चाहते हैं वैसी हालत में ३५ हजार गांव हैं और एक एक कोऑपरेटिव में ११ मेम्बर होते हैं उस तरह से करीब ६–७ लाख आदमी होने चाहिये तभी सर्विस कोऑपरेटिव अच्छी तरह चल सकती हैं। इसलिये इस बिल में इस

Page No.41

(श्री मोतीलाल)

प्रकार की व्यवस्था हो, यह आवश्यक और जरूरी है। ऑर्डिनेन्स, लॉज़ भी लागू कर सकते हैं लेकिन जितना जल्दी हो सके हर एक पंचायत को अपने सर्कल के अन्दर इस प्रकार के शिक्षित आदमियों को एकत्र कर लेना चाहिये जो सर्विस कोऑपरेटिव, विलेज पंचायत और तहसील पंचायत को चला सकें। इसके साथ साथ मैं सरकार से यह निवेदन करूंगा कि जितना जल्दी हो सके सलेक्ट कमेटी से ज्यों ही रिपोर्ट आये उसको कार्यान्वित करने की जल्दी से जल्दी कोशिश करें तभी राजस्थान की उन्नति हो सकती है। जितना जल्दी हम पास करके बोर्ड की व्यवस्था कर दें यह ज्यादातर बोर्ड के सिलेबस पर आधारित रहेगा कि किस प्रकार की शिक्षा उस सिलेबस में है और उसी शिक्षा के आधार पर सहकारी राज्य कामयाब हो सकेगा।

अब मैं अन्त में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि इस बोर्ड की व्यवस्था और इस बोर्ड का गठन किस तरह से होगा। तो बोर्ड बनाना महत्वपूर्ण जरूर है। पर बनाने से ही हमारा काम नहीं हो जाता है। इसलिये सिलेक्ट कमेटी यह भी तय करे कि इसके लिये सिलेबस और माध्यम क्या होगा? अब मूवर महोदय भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, हिन्दी–संस्कृत की बात करते हैं और बिल लाते हैं अंग्रेजी में! बातें करते हैं समाज शिक्षा की और बातें करते हैं अंग्रेजी की! अच्छा होता वे बिल भी हिन्दी में लाते।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली): यह बिल तो हिन्दी में है, अंग्रेजी में तो अधिकृत अनुवाद है।

श्री मोतीलाल: तो उनकी भावना अच्छी है। वे समाज शिक्षण के कार्यक्रम की ही बात न करें, सिलेबस भी लावें, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस पर भी रिपोर्ट दे प्रवर समिति। इसके कन्स्ट्रक्शन में भी आपने अफसरों को, सरकारी वर्ग के कर्मचारियों को रखा है, अच्छा है, एग्ज़ीक्यूटिव मेम्बर की हैसियत से वे एडवाइस कर सकते हैं, पर उनको वोटिंग पावर न दें। टेक्निकल एडवाइस देने के लिये भले ही रखें। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण काम होगा। एग्ज़ीक्यूशन का काम उनको देंगे तो आपकी गाड़ी नहीं चलेगी। फिर इसमें कई संस्थाएं आपने रखी हैं। उनके आदमी इसमें हैं। उदयपुर के मैं खिलाफ नहीं हूं; पर कहना चाहूंगा कि आप इसमें उदयपुर की ही संस्थाओं के आदमी न रक्खें, और भी अच्छी संस्थाएं हैं जो इस दिशा में काम कर रही हैं। उनके नाम इसमें आपने नहीं दिखाये। मैं बताऊं सांगरिया की एक संस्था है, काफी काम उसने शिक्षा के क्षेत्र में किया है। उसका आपने इसमें नाम नहीं दिया, राजस्थान के स्तर पर, राज्य–स्तर पर काम करने वाली संस्था है, बनस्थली है, महिला शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम किया है तो इस तरह की राजस्थान के स्टेन्डर्ड की बहुत सी संस्थाएं हैं। ऑल इण्डिया रेडियो ने भी समाज शिक्षण में काफी योगदान दिया है। उसका प्रतिनिधि होना चाहिये। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है, पंचायत विभाग है वे भी समाज शिक्षण में सहयोग और पंचायत तन्त्र की शिक्षा देने में काफी योगदान दे रहे हैं, उनके प्रतिनिधि आप इसमें लीजिये। रुपया भी इन सहकारी संस्थाओं के पास में

(श्री मोतीलाल)

है। पंचायतों के प्रधान और सरपंच आदि हैं उनको भी आप प्रतिनिधि रखिये। इनके अलावा और कुछ संस्थाएं हैं जो राजस्थान लेवल पर काम कर रही हैं। सहकारी संघ है वह आज भी सहकारी की ट्रेनिंग देने के लिये सामाजिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है, जगह जगह इसके सेन्टर उसने कायम कर रखें हैं। उन संस्थाओं से आपको बल मिलेगा, धन भी मिलेगा। आपकी आर्थिक कठिनाइयों के रहते हुए भी वे आपका काम करती रहेंगी। तो इन सबकी तरफ ध्यान दिलाता हुआ मैं चाहूंगा कि प्रवर समिति इस ओर भी गौर करे और इनका भी ध्यान रखे।

सिनेमा आपके काम में काफी उपयोगी साबित हो सकता है। इसकी मार्फत जनता को शिक्षित करने की व्यवस्था करें। इसके लिये राजस्थान के सिनेमाओं को नेशनेलाइज़ कर लिया जावे और उनकी मार्फत विशेष रूप से प्रोग्राम रखा जावे। सिनेमा में दिखाई जाने वाली पिक्चरों में ५, १०, १५ मिनट के लिये समाज के दृष्टिकोण से पिक्चरें रखी जावें। तो सारे सिनेमा सरकार के हाथ में हों या ओटोनोमस बॉडी या बोर्ड के रूप में हों उसके हाथ में हों या कोऑपरेटिव के हाथ में हों तो इस दृष्टि से मैं माननीय मूवर से निवेदन करूंगा कि अकेले आपके बोर्ड से ही यह काम पूरा नहीं होने वाला है, इन सारी बातों को और इन सारी संस्थाओं के सहयोग को भी आप ध्यान में रखें। राज्य का कल्याण विभाग है, शिक्षा विभाग है इनसे भी आप सहयोग लें। और इस तरह एक नोन ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इसको लावें। ये सब मिलकर जितनी जल्दी समाज शिक्षण का काम कर सकेंगे वह जल्दी होगा, अच्छा होगा, दृढ़ होगा, स्थायी होगा और प्रभावकारी होगा। इससे आपका मन्तव्य पूरा होगा। इसमे शिक्षण की व्यवस्था भी सुन्दर होगी। इसके साथ ही कोऑपरेटिव का सहयोग अगर आप लेंगे तो आर्थिक कठिनाइयों के रहते हुए भी आपका काम ठीक चलेगा। आपकी रिपोर्ट होते ही काम शुरू हो सकता है। तो अगर बोर्ड ही बनाना है तो बहुत बोर्ड्स आज भी हैं और उनके काम भी हम देखते हैं, सेकन्डरी एजुकेशन बोर्ड की मिसाल हमारे सामने है। पर मुझे दिखता नहीं कि पिछले पांच सालों में विकेन्द्रीकरण के दृष्टिकोण से या सहकारी समाज की भावना के दृष्टिकोण से क्या, कितना काम उसने किया। एक भी सिलेबस में यह चीज उनके नहीं आई। फल यह होता है कि जो लड़के निकल कर आते हैं वे नहीं जानते कि कोऑपरेटिव क्या चीज है, विकेन्द्रीकरण क्या वस्तु है, कलेक्टिव फार्मिंग क्या है और मार्केटिंग सोसाइटी क्या बला है ? तो बी. ए. पास होने के बाद में भी कोऑपरेटिव विभाग को कोऑपरेटिव की ट्रेनिंग के लिये उसे और आगे भेजना पड़ता है ! उसको उस समय की तनख्वाह देकर सिखाते हैं। तो इस तरह से केवल बोर्ड बनाने से काम नहीं चलेगा। सिलेबस अच्छा होना चाहिये। इन सारे सुझावों के अनुसार आप चलेंगे तो समाज शिक्षण का काम आप पूरा कर सकेंगे और पंचायत और सहकारी समाज की भावना की तरफ भी आप कदम उठा सकेंगे।

श्री जयसिंह राणावत (आसिन्द) : अध्यक्ष महोदय,........

Page No.43

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जिन्होंने यह बिल प्रस्तुत किया है, कृपया इसका जवाब देंगे।

श्री जनार्दनराय नागर(मावली): मैं सबसे पहले तो सहयोगी मित्रों के प्रति इसके लिये बड़ा आभार प्रकट करना चाहता हूं कि इस विधेयक के पक्ष में विचार प्रकट किये।

श्री अध्यक्ष : आभार प्रदर्शन कर रहे हैं कि विरोध नहीं किया।

(हंसी)

श्री जनार्दनराय नागर : एक माननीय सदस्य ने कहा कि इसके अभ्यास क्रम में विकेन्द्रित पंचायती समाज को चलाने के लिये भी कुछ अभ्यास क्रम रखा जाय। मैं मानता हूं; हमें इस दृष्टिकोण से भी प्रबंध समिति में विचार करना होगा। एक ने सुझाव दिया कि पंचायत समिति के प्रधान और प्रमुखों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाय। मैं इसे भी मानता हूं। जन प्रतिनिधि होने चाहिये। बात यह है कि जिस वक्त यह प्रस्ताव रखा गया था उस समय विकेन्द्रीकरण नहीं हुआ था। पर अब मेरा मानना है कि इस रूप में इसमें परिवतन करना अच्छा होगा। मैं मानता हूं कि माननीय सदस्यों द्वारा सुझाये गये महत्वपूर्ण सुझाव हैं और उन पर विचार किया जाना जरूरी है।

मैं मानता हूं कि इसके प्रचार व प्रसार के लिये विविध संस्थाओं का निर्माण या संस्थापन करके विविध प्रकार के अभ्यास क्रम का विधि-विधान करके उनको प्रचलित करना होगा और जो अभ्यास क्रम बनेंगे वे कई प्रकार के बनेंगे और उन अभ्यास क्रमों के द्वारा समाज के प्रगतिशील आवश्यक अनुभवों के बारे में शिक्षण देने की व्यवस्था होगी। इस सम्बन्ध में मैं बिल का उद्देश्य आपको पढ़ कर सुना देना चाहता हूं। इसके द्वारा हम निश्चित रूप से एक कार्य क्रम लागू करना चाहते हैं। इस बोर्ड की विभिन्न कमेटियां हैं एक केरीकुलम समिति है, संस्थाओं को स्वीकृति देने सम्बन्धी समिति है, समाज-शिक्षण का कार्य करनेवालों के प्रशिक्षण के लिये अलग समिति है, इस तरह कई समितियां हैं। परीक्षा लेकर सर्टीफिकेट देने की व्यवस्था हैं। तो इस प्रकार से काफी विधि-विधान की बातें हैं। यदि आप समाज शिक्षण का अर्थ इसमें देखें तो वह देख कर स्पष्ट हो जायेगा। मैं थोड़ा सा पढ़ कर सुना देता हूँ :

"'Social Education' means spreading of literacy and adult education work, community education and experiments relating thereto, creating material literature of social education,activities relating to information and importing of social education, co-ordinaton and miscellaneous organizational activities pertaining to social education, and all such works, activities, writings, editions, inscriptions and compilations, which with their continuous and dynamic development, and which with and through their full objects, parts, organisations and facts, ingredients and experiments, come under or are according to or in conformity with practical and organisational aspects of social education." तो मैं यह मानता हूँ कि प्रयोग की दृष्टि से, प्रबन्ध

Page No.44

(श्री जनार्दनराय नागर)

की दृष्टि से और गतिविधियों की दृष्टि से नये समाज शिक्षण के नमूने और परिवर्तन के उत्पन्न करने की दृष्टि से और समाज शिक्षण के साहित्य को उत्पन्न करने की दृष्टि से काफी इसमें प्रावधान किया है। एक कमेटी बने और वह कमेटी समाज शिक्षण के साहित्य की उत्पत्ति और प्रकाशन के लिए रहेगी। जिस आधार पर यह बनी है उसी आधार पर समाज शिक्षण का बोर्ड हो और उसमें हर पहलू पर काम हो और समाज शिक्षण का काम व्यवस्थित रूप से चले....

कुछ माननीय सदस्य : समय हो गया है।

श्री जनार्दनराय नागर : मैं समझता हूँ कि यही मेरा लक्ष्य है और यही इस बिल में भी रखा गया है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान समाज शिक्षण बोर्ड विधेयक, १९५८ को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाये जिसकी आज लिस्ट प्रस्तुत की जा चुकी है ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया

वर्तमान नाथद्वारा टैम्पल बोर्ड को भंग करने सम्बन्धी अशासकीय संकल्प

श्री अध्यक्ष : अब अशासकीय संकल्प लिया जायेगा। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि समय जो निर्धारित किया गया है वह १२॥ बजे तक का है। उसी समय की परिधि के अन्दर माननीय मंत्री महोदय सरकार की ओर से उसका उत्तर देंगे। इसलिए कृपया संक्षेप में बोलें और संकल्प के ऊपर ही बोलें ताकि ज्यादा से ज्यादा माननीय सदस्य इस बहस में हिस्सा ले सकें और काफी माननीय सदस्य ऐसे हैं कि जो इस बहस में हिस्सा लेना चाहेंगे। इसलिए उनको एकोमोडेट करने का यही तरीका हो सकता है कि माननीय सदस्य टू दी पाइन्ट बोलें और संक्षेप में बोलें।

(विराम)

श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर के बोलने हेतु खड़े नहीं होने पर)

श्री भैरोंसिंह।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं इस सदन के प्रति यह आभार प्रदर्शित करूंगा कि सरकार के विरोध के बावजूद भी इस सदन ने इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया।

श्री अध्यक्ष : ऐसा नहीं मानना चाहिए कि सरकार का इसमें कोई विरोध था। अगर सदन ने स्वीकार किया तो सरकार की ओर से सरकार के व्हिप के द्वारा ही यह व्यवस्था प्रस्तुत की गई थी जो कि सदन ने स्वीकार की।

श्री मोतीलाल (डीडवाना) : आप उसे उल्टा क्यों मानते हैं ?

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में जो प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता हूं वह इस प्रकार से है :

(श्री भैरोंसिंह)

"इस सदन की सम्मति है कि वर्तमान नाथद्वारा टेम्पल बोर्ड नाथद्वारा मन्दिर की व्यवस्था करने में अयोग्य सिद्ध हुआ है, अतः इस बोर्ड को भंग किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय, इस बोर्ड के सम्बन्ध में जो नाथद्वारा मन्दिर के प्रबन्ध के सम्बन्ध में है राजस्थान के समस्त नागरिकों की रुचि २५ दिसम्बर, १९५७ को नाथद्वारा मन्दिर का जो गुप्त खजाना खुला उसके बाद में बढ़ी है। उसी विषय को लेकर....

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : How this is relevant here ?

श्री भैरोंसिंह :....नाथद्वारा इन्क्वायरी कमीशन की रिपोर्ट हुई और इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की गई....

श्री श्रीभानसिंह : On a Point of Order Sir,

श्री अध्यक्ष : Order! Order please !! Order !!!

श्री श्रीभानसिंह : अयोग्य साबित हुआ है तो उसमें २५ दिसम्बर को खजाना मिला। सन् ५७ में वह इस रिज़ोल्युशन से या जो स्टेचुटेरी कमेटी बनी है उससे यह कैसे कनेक्टेड है ...

श्री अध्यक्ष : Let the Hon'ble Member proceed, how he connects.

श्री श्रीभानसिंह : But he should...

श्री अध्यक्ष : But let us see how he connects.

श्री श्रीभानसिंह : How he will have the liberty to connnect all the extranuous matter with that ?

श्री अध्यक्ष : There should not be any such interruptions.

श्री श्रीभानसिंह : But these interruptions will be there if such extranuous matter comes.

श्री अध्यक्ष : But he has not spoken even for half a minute...

(बाधाएं)

श्री भैरोंसिंह : He should not interrupt.

श्री श्रीभानसिंह : I have a right to speak.

श्री भैरोंसिंह : मैं यह निवेदन कर रहा था कि उस सारी परिस्थिति के अन्दर मैंने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उस प्रस्ताव को हमें देखना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव प्रस्तुत करने की शायद मुझे आवश्यकता ही महसूस नहीं होती यदि माननीय राजस्व मंत्री महोदय ने जो तारीख १-३-६० को इस विधान सभा में भाषण देते हुए यह बताया कि नाथद्वारा इन्क्वायरी कमीशन का प्रतिवेदन प्रस्तुत होने के बाद सरकार को जितना काम करना चाहिये था वह किया है और यदि कोई काम बाकी रहता है, जिस काम को टेम्पल बोर्ड को करना चाहिये था वह सारी बातें टेम्पल बोर्ड के जिम्मे की हैं। उन्होंने मुझे इस प्रकार की बातें कही तो इस बात का निश्चित रूप से सन्देह होता है कि हमें इस बात की जानकारी दें कि नाथद्वारा

(श्री भैरोंसिंह)

टेम्पल के सम्बन्ध में जो उनको इन्क्वायरी कमीशन के प्रतिवेदन के अनुसार कार्यवाही करनी चाहिए थी वह की है या नहीं ? इस विषय में आने से पहले मैं सदन को यह जानकारी देना चाहूंगा कि हमने नाथद्वारा टेम्पल बोर्ड के सम्बन्ध में एक नाथद्वारा टेम्पल एक्ट सन् १९५९ को पारित किया था और उसी कानून के अन्तर्गत हमने राज्य सरकार को यह अधिकार दिया कि राज्य सरकार इस टेम्पल की व्यवस्था के लिए एक बोर्ड का गठन करे और साथ ही हमने राज्य सरकार को यह अधिकार भी दिया धारा १० के अन्तर्गत कि यदि उस बोर्ड की व्यवस्था के अन्दर, मन्दिर के प्रबंध के अन्दर किसी प्रकार की ड्युटीज़ ऑफ नेग्लिजेन्स करने या अन्य प्रकार की बातें सामने आयें, जिनके कारण हम इस नतीजे पर पहुंचें कि टेम्पल बोर्ड ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है तो राज्य सरकार को यह अधिकार होगा कि राज्य सरकार उस बोर्ड को भंग कर दे। उस स्थिति के अन्दर और नाथद्वारा इन्क्वायरी कमीशन की रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद जब राज्य सरकार को इस प्रकार का अधिकार है कि बोर्ड के गठन के बाद में, यदि बोर्ड की कार्यवाही में किसी प्रकार की शिथिलता आई है, जिस शिथिलता का असर नाथद्वारा की प्रोपर्टी के ऊपर पड़ता हो तो इस सदन को अधिकार है कि सरकार यदि नहीं चाहती हो तो सदन के द्वारा यह प्रस्ताव पारित किया जाकर सरकार को इसके लिए बाध्य किया जाये कि वह इस बोर्ड को भंग कर दे।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रसंग के अन्दर सबसे पहले टेम्पल बोर्ड के ऊपर यह अभियोग, अभियोग तो नहीं बल्कि इस प्रकार की बात कहने की तैयारी करूंगा कि नाथद्वारा इन्क्वायरी कमीशन की रिपोर्ट के अन्दर किन किन बातों की ओर कमीशन ने इंगित किया है और हमारे टेम्पल बोर्ड की किस किस प्रकार की जिम्मेदारियां होती हैं। यह बात सही है कि इस टेम्पल बोर्ड के अध्यक्ष श्री कृष्णराज ठाकरसी हैं। श्री कृष्णराज ठाकरसी आज से इस बोर्ड के सदस्य नहीं हैं बल्कि इससे पहले जो मैनेजिंग कमेटी बनी हुई थी उस कमेटी के अन्दर भी चेयरमैन के रूप में काम करते थे। मैं चाहूँगा, अध्यक्ष महोदय, कि उनको हटाये जाने के संबन्ध में या बोर्ड को भंग किये जाने के संबन्ध में थोड़ी सी इस पृष्टभूमि की जानकारी दूं कि उन्होंने इस सारे नाथद्वारा काण्ड के सम्बन्ध में किस प्रकार से योग दिया है या किस प्रकार की कार्यवाही की है ताकि सदन को विश्वास हो जाये कि मन्दिर की प्रोपर्टी के इन्टरेस्ट में उन्होंने २५ दिसम्बर, १९५७ को जो खजाना टूटा उनको इस बात की जानकारी २ जनवरी, १९५८ को मिली और उस २ जनवरी, १९५८ से लेकर २ फरवरी, १९५८ के बीच में अध्यक्ष के बीच और महाराज श्री के बीच में कॉरेस्पोन्डेन्स चलती रही और वह इस प्रकार से चलती रही ताकि उससे यह अन्दाजा लगाया जा सके कि समय निकालने की गरज से सारी बातें की जा रही हैं।

२ फरवरी, १९५८ को फिर एक मीटिंग होती है मैनेजिंग कमेटी की....

श्री श्रीभानसिंह : I rise on a point of Order, Sir, I would like to have a Ruling of the Chair. Only two issues can be raised with regarding to it. First is, that in implemennt-

(श्री श्रीभानसिंह)

tion of the recommendation of the Commission. the Board has not done that and this issue...

इस प्रस्ताव के दो भाग हैं। उनका प्रस्ताव है मैनेजिंग कमेटी के बारे में तो उनको बतलाना चाहिये : उसका मैनेजमेंट अच्छा रहा या नहीं है और उन्होंने कमीशन की रिकमन्डेशन को इम्पलीमेंट किया या नहीं किया है, फर्स्ट इश्यू यह रेज कर सकते हैं माननीय सदस्य। दूसरा इश्यू यह रेज़ कर सकते हैं कि प्रेक्टिकल, डे टू डे वर्किंग में बोर्ड ठीक तरह से मैनेजमेंट नहीं कर सकता है : इसलिए बोर्ड को भंग किया जाय। यह दो तरह के इश्यूज़ रेज़ कर सकते हैं। अब खजाना मिल गया था या वह हो गया; इस बात का आर्गुमेंट एक्स्ट्रेनुअस मैटर होगा। उससे बोर्ड के मैनेजमेंट में किसी तरह की सुविधा या असुविधा पैदा नहीं होती है। मैं रूलिंग चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय। एक इश्यू तो यह रेज़ कर सकते हैं माननीय सदस्य और दूसरा यह इश्यू बोर्ड को भंग करने के बारे में है। माननीय सदस्य जो कह रहे हैं वह ठीक तरह से रिज़ोल्यूशन में नहीं आता है। यह रिज़ोयूलशन को कवर नहीं करता है।

श्री भैरोंसिंह : माननीय अध्यक्ष,इसमें किसी बोर्ड को डिज़ोल्व करने का प्रस्ताव है। डिजोल्युसन के अन्दर जब तक जिन लोगों को डिज़ौल्व किया जायगा उनकी सारी बैकग्राउन्ड की जानकारी इस सदन को नहीं दी जायगी तो सदन को विश्वास नहीं हो सकता है कि डिज़ॉल्व करने की आवश्यकता है या नहीं। यह प्रश्न रेफरेन्स के अन्दर है। मैं समझता हूं कि उस पॉइन्ट का जिक्र करने की आवश्यकता होती है इसलिए जिक्र कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि इस प्रकार की बातें सदन के अन्दर दोहराई जायं। यदि माननीय सदस्य अपने दल या सरकार पर इस प्रकार का दबाव डाल कर यह व्यवस्था करते कि नाथद्वारा कमीशन की रिपोर्ट की सदन में चर्चा हो जाती तो मैं समझता हूँ कि उन सब को इस बात की जानकारी मिलती कि इस रिपोर्ट के अन्दर किन किन डॉक्युमेंट्स की ओर सदन का ध्यान आकर्षित कराया जा सकता है। माननीय सदस्य को खुद को ध्यान रखना चाहिए....

श्री श्रीभानसिंह : अध्यक्ष महोदय,....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल(जौहरी बाजार, जयपुर) : He should ask him not to interrupt.

(व्यवधान)

श्री श्रीभानसिंह : It is my right.

श्री भैरोंसिंह : It is no right.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : This is not the right.

श्री भैरोंसिंह : मैं, अध्यक्ष महोदय, चाहता हूं कि इस तरह से इन्टरप्शन करके रोका जायेगा....

श्री श्रीभानसिंह : On a Point of Order, Sir....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बड़ी मुश्किल से डिबेट के लिए १. ४५ मिनट रखे गये हैं उसमें भी आधा घन्टा इस तरह से इन्टरप्शन करके खराब कर दिया जायगा तो....

श्री श्रीभानसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं पोइन्ट ऑफ ऑर्डर यह रेज़ करना चाहता हूं कि जिस ट्रेज़र के लिए बार बार इश्यू रेज़ करना चाहते हैं उस पर हाई कोर्ट का जजमेंट हो गया है, वह ट्रेज़र महन्तजी की पर्सनल प्रोपर्टी है, then the matter again becomes extraneous.

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : अध्यक्ष महोदय.... इस तरह से बीच बीच में

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !! माननीय सदस्य ने यह आपत्ति उठाई है कि किसी बोर्ड के किसी सदस्य को यह साबित करने के लिये कि वह अयोग्य हैं उसके बारे में पिछला जो उनका रोल रहा है वह यहां रिलेवेन्ट है या नहीं; इस पर मेरी व्यवस्था है कि किसी मेम्बर या चेयरमैन का जिस बोर्ड के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, उनका कन्ड कैसा, किस तरह का रहा है उसके ऊपर थोड़ा सा पासिंग रेफरेन्स होना बिल्कुल रिलेवेन्ट है।

(विपक्ष की ओर से करतल–ध्वनि)

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, उस सारी स्थिति के अन्दर मुझे यह निवेदन करना पड़ रहा था कि २ फरवरी, सन् १६५८ को मैनेजमेंट कमेटी की जो बैठक हुई है उस बैठक में पास होकर मैनेजमेंट कमेटी के चैयरमैन की ओर से एक स्टेटमेंट प्रकाशित किया गया मैं अपनी सारी बातों को उस स्टेटमेंट तक ही सीमित रखूंगा और उस स्टेटमेंट में जिन बातों का उल्लेख आया है उन बातों की तुलना इन्क्यावरी कमीशन ने अपनी जो फाइंडिंग्स दी हैं उनसे करूंगा और फिर सदन के अन्दर यह साबित करने की चेष्टा करूंगा कि मैनेजमेंट कमेटी ने किस प्रकार से मिसचीवियस स्टेटमेंट देकर जनता को मुगालते में डालने की चेष्टा की थी और उस चेष्टा के फलस्वरूप उन्होंने नाथद्वारा की प्रोपर्टी को जो उस समय मंदिर के अधिकार में आनी चाहिये थी उसको इस प्रकार से छोड़ दिया कि आज भी उस प्रोपर्टी पर जो मन्दिर का अधिकार है उसके अधिकार में नहीं रख सके और उसके कारण से परिस्थिति दिन प्रति दिन गम्भीर बनती गई। अध्यक्ष महोदय, वह स्टेटमेंट उन्होंने २ फरिवरी को दिया, जिसके अन्दर सबसे पहले उन्होंने इस बात का उल्लेख किया था कि नाथद्वारे का जो खज़ाना खोला गया वह खजाना मंदिर के कोठे की मरम्मत कराने की गरज से खोला गया था। मैं सिर्फ पेज का नम्बर दे देता हूं। उन सारे एक्सट्रेक्ट्स को पढ़ कर सुनाना नहीं चाहता। नाथद्वारा कमीशन ने इस बात को स्वीकार किया है कि नाथद्वारे का वह खजाना मंदिर के कोठे की मरम्मत कराने की गरज़ से नहीं खोला गया था, लेकिन वह खज़ाना खोला गया उसमें से माल निकालने की गरज़ से। उनका जो पहला कन्टेन्शन था वह नाथद्वारा इन्क्वायरी कमीशन ने स्वीकार नहीं किया है।

दूसरा उनका कन्टेन्शन था कि उस कोठे पर महाराज श्री गोविन्दलालजी की माताजी भगीरथी बहूजी की सील लगी हुई थी। अध्यक्ष महोदय, भगीरथी बहूजी की वह सील २५ दिसम्बर, सन् ४७ को कोठा खोला गया था और उसके बाद २१ जनवरी, १६५८ को जिस समय श्री ठाकरसी मंदिर का इन्सपेक्शन करने के लिए गये तो उसके बीच में दूसरे कागजों के साथ में मिली और उन्होंने उठा कर इस चीज़ को स्वीकार कर लिया कि निश्चित रूप से यहां पर भगीरथी

(श्री भैरोंसिंह)

बहूजी की सील लगी हुई थी। मैं, अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में नाथद्वारा कमीशन के कुछ रेफरेन्सेज़ आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। पेज ७५ पर दिया गया है :

"Kanahiya Lal's evidence is that the pieces of cloth which covered the locks were placed in a niche of the wall above the door frames and thereafter when Shri Krishna Raj Thakersey and other members of the Committee went to inspect the GahanaGhar, they were noticed by them and then taken away by Shri Krishnaraj Thakersey." यह उन चीजों के बारे में है जो कि वहां पर मिली थीं। आगे लिखा है : "I am inclined to the view that there was no seal of Bh girathi Bahuji Maharaj on the cloth which covered the locks of the door of Kotha A and that the cloth bearing the seals was planted some time at a later stage after the Kotha A was opened on the 25th December, 1957." और इसके बाद फिर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है : "Shri Thakersey had not the opportunity to apply his mind to all those materials to which my attention has been pointedly drawn during the course of this investigation. Ex-facio when he picked up those pieces of cloth bearing the seals from room "B" of the Gahanaghar, he thought that they were put on the locks of Kotha A. On the other hand, there is Shri Mulraj, who was astitute enough to see that..."

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, आपने जो रूलिंग दिया है कि पासिंग रेफरेन्स कर सकते हैं, लेकिन it is solely based on that Report and hence it should not be allowed. आप देखेंगे कि सारे डिटेल्स पासिंग रेफरेन्स के लिए देना ठीक नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : बिल्कुल पासिंग रेफरेन्स इसलिए दिये जा रहे हैं...

श्री श्रीभानसिंह : Then the report should be discussed...

(बाधाएं)

श्री सोहनलाल भटनागर : सारी रिपोर्ट को यहां पर डिस्कस करना चाहते हैं। ....

श्री भैरोंसिंह : बोर्ड के चेयरमैन के विषय में मैं बता रहा हूं कि उन्होंने स्टेटमेंट दिया है वह कितना गलत स्टेटमेंट था। यह मैं निवेदन कर रहा था। आगे लिखा है :

"On the other hand, there is Shri Mulraj, who was astitute enough to see that there was the possibility of the seals being planted. I am inclined to agree with his observation in his letter dated 7th February, 1958 with reference to the seal of Bhagirathi Bahuji, the mother of Maharaj Shri and the insistence of Maharaj Shri on the present of the seal. He says : "It is surprising that this seal did not occur to him for five weeks and it appears that this has been planned at

(बाधाएं)

(श्री भैरोंसिंह)

अब एक लाइन पढ़ कर बन्द कर रहा हूं : "the last moment to save himself and to claim the valuables."

अध्यक्ष महोदय, यहां हमें यह देखना पड़ेगा कि आखिर भगीरथी बहूजी की सील के लाने का प्रश्न जो पैदा हुआ यह किस प्रकार से पैदा हुआ । इन्क्वायरी कमीशन की फाइन्डिंग्स के अनुसार शायद इस प्रकार की एवीडेन्सेज़ हमारे सामने आई हैं उन एवीडेन्सेज़ के अनुसार आज इस बात के ऊपर पहुँचा जा सकता है कि इस प्रकार की सील लगाने का मतलब केवल यह था कि महाराज श्री को बहूजी के बजाय माल दे दिया जाय और मैनेजिंग कमेटी पर किसी प्रकार का लांछन न आये । यह सारी स्थिति हो गई और श्री ठाकरसी ने पढ़ा कि सील गलत हो गई तो उसके बाद में ठाकरसी महोदय ने एक स्टेटमेंट में कहा कि महाराज श्री से फ्रैंक और फ्री डिस्कशन किया है ! फ्रैंक और फ्री डिस्कशन के पश्चात् जो महाराज श्री ने जितनी प्रोपर्टी मंदिर की निकाली थी वह सारी प्रोपर्टी डिस्क्लॉज़ की है । मैं दुबारा उसको नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन माननीय सदस्य जानते हैं कि सारी नाथद्वारा कमीशन रिपोर्ट के अन्दर इस बात की सिफारिश की गई है, इस बात का नतीजा निकाला गया है कि सारी प्रोपर्टी डिस्क्लॉज़ नहीं की गई थी । उनकी फाइडिंग्स के अनुसार सारी प्रोपर्टी डिस्क्लॉज़ नहीं की गई थी । उनकी बात को कमीशन ने छोड़ दिया । लास्ट में यह कहा था कि इस माल पर महाराज श्री का अधिकार है । इस बात को इन्क्वायरी कमीशन ने अस्वीकार कर दिया । कमीशन ने लिखा है कि महाराज श्री कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट के नाते काम करते थे । वे माल के अधिकारी नहीं हैं । इसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि यह जो सारी स्थिति पैदा हुई उस स्थिति के अंदर म्युचुअल अन्डरस्टेंडिग के बेसिस पर करीब १ लाख का सामान महाराज श्री को दे दिया ।

(११ म० पू०)

और जो माल मंदिर के काम आना चाहिये था वह मंदिर में मिल गया । इस प्रकार की सारी व्यवस्था के बाद उन्होंने इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया और उसके बाद जिस समय नाथद्वारा इन्क्वायरी कमीशन के सामने पेश हुए तब क्रोस एग्ज़ामिनेशन के जरिये उन्होंने माना कि यह स्टेटमेंट सारे डेलीबरेशन के बेसिस पर नहीं दिया था बल्कि वैष्णव कॉम्युनिटी में नाथद्वारा के सम्बन्ध में जिस प्रकार की आस्था और भावना बनती जा रही थी और उनका दिमाग एजिटेट कर रखा था उसको ठंडा किया जाय, इस भावना से दिया था । मैं यह मान सकता हूं कि जिस व्यक्ति पर इल्जाम आने वाला हो और जिसको अयोग्य सिद्ध किया जाय वह व्यक्ति इस प्रकार के स्टेप्स ले सकता है । मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि उन्होंने जो स्टेटमेंट २ तारीख को इश्यू किया है उसमें और बाद के कमीशन के फाइन्डिंग्स में रात-दिन का अंतर है और मैं कह सकता हूं कि उनका एक शब्द भी नाथद्वारा इन्क्वायरी कमीशन के फाइन्डिंग्स के अनुसार सही साबित नहीं हुआ, बल्कि गलत साबित हुए और आपने इस आदमी को चेयरमैन बना कर बैठा दिया, जिसने गलत स्टेटमेंट देकर जनता को धोखा दिया है । इसलिये इसमें मांग की जाती है कि उसको हटाया जाय ।

(श्री भैरोंसिंह)

अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं; इस कमीशन की फाइन्डिंग्स के अनुसार जिस तरह से राजस्व मंत्रीजी ने बताया कि जो कुछ सरकार को करना चाहिये था वह सरकार ने किया और जो कुछ टेम्पल बोर्ड को करना चाहिये, वह टेम्पल बोर्ड करेगा। कमीशन की रिपोर्ट में लिखा है कि महाराज श्री से माल बरामद करने के लिये उनके साथ क्रिमिनल या सिविल एक्शन किस प्रकार से लिया जायगा; यह काम उन्होंने सरकार पर नहीं छोड़ा, बल्कि उन्होंने लिखा है कि :

"It would be for the Vaishanav community, the Temple Board or the Government to consider what proper civil, criminal action should be taken against him for recovery of these valuables and property of the diety which he has removed."

अब यहां यह प्रश्न पैदा होता है कि नाथद्वारा इन्क्वायरी कमीशन के फाइन्डिंग्स के अनुसार केवल सरकार का ही कर्त्तव्य नहीं था कि क्रिमिनल एक्शन या सिविल एक्शन लिया जाय बल्कि यह टेम्पल बोर्ड की भी ड्यूटी थी, वैष्णवों की भी ड्यूटी थी कि क्रिमिनल, सिविल या और किसी तरह का एक्शन जो डिज़ायरेबल था वे ले सकते थे। लेकिन इसके बारे में सरकार ने ही अपने सिर पर सेहरा बांधा है। उन्होंने दफ्तरी और सीतलवाड़ की राय ले ली और यह कहा कि यह सिविल नेचर का है, क्रिमिनल नेचर का नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन को नुकसान पहुँचाने से यदि सरकार बचकर निकलना नहीं चाहती है, उसको डर नहीं था तो उसको टेम्पल बोर्ड के लिये क्यों नहीं छोड़ा। टेम्पल बोर्ड लीगल राय लेता और क्रिमिनल केस की आवश्यकता पड़ती तो क्रिमिनल केस करते और यदि सिविल की आवश्यकता थी तो सिविल केस करते। लेकिन सरकार को वहम था कि कहीं उन्होंने इन्डिपेन्डेन्ट ओपीनियन ले ली तो जिस प्रकार से हम बचना चाहते हैं नहीं बच सकते। यदि सरकार यह समझती है कि वह स्टेचुटरी बॉडी है तो सरकार को इस प्रकार की बात न करके इस प्रकार का व्यू लेना था कि वह बॉडी इन्डिपेन्डेन्ट एक्शन ले सकती है। आज यह कहा जाय और १२ अक्टूबर, ५६ को नाथद्वारा कमीशन की रिपोर्ट पेश हुई उसके बारे में राजस्व मंत्रीजी ने बताया कि १६ तारीख को एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लिया गया। चार दिन बाद मामला केबिनेट के सामने रखा गया और केबिनेट ने सबसे बड़ा डिसीज़न यह लिया कि कन्हैयालाल और पन्नालाल को निकाल दिया, जिसके बारे में नाथद्वारा इन्क्वायरी कमीशन रिपोर्ट में लिखा कि जिन व्यक्तियों के सहयोग और अनुचित कार्य से नाथद्वारा के महन्त श्री ने खजाने पर कब्जा किया। यदि कमीशन के सुझाव के बाद इस प्रकार का स्टेप सरकार लेती है तो अच्छा स्टेप नहीं लेती है। सरकार को यदि कोई स्टेप उनके खिलाफ लेना था तो उस समय लेना चाहिये था, कई माननीय सदस्य जो आज मेरे खिलाफ में बोलने को तैयार होंगे और जो उस समय सरकार पर मिसमैनेजमेंट का आरोप लगाते थे वे शायद आज इसके पक्ष में बोलें, लेकिन जिस समय हमने कहा था कि इनको हटा

(श्री भैरोंसिंह)

दिया जाय उस समय यह कहा कि मामले की जांच हो रही है; इसलिये हम नहीं हटायेंगे। लेकिन उस जांच का नतीजा क्या हुआ कि पन्नालाल और कन्हैयालाल को नहीं हटाया गया। उसका नतीजा यह हुआ कि जिस समय कमीशन का काम शुरू हुआ उस समय इन लोगों ने सारे रिलेवेन्ट पेपर्स गायब कर दिये। जिस समय पता चलता है....

श्री श्रीभानसिंह : On a Point of Order, Sir, how this is relevant to the resolution ?

श्री भैरोंसिंह : मैं यह निवेदन कर रहा था ...

श्री श्रीभानसिंह : अब ये लोग रिमूव हो गये, उस टाइम नहीं हुए तो अब यह कैसे रिलेवेन्ट है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल आपने अपने वरिष्ट नेताओं के भाषण पढ़े या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : भाषण जारी रखिये।

श्री श्रीभानसिंह : अध्यक्ष महोदय, पहले इस पर रूलिंग हो जाय, प्रेजेन्ट रिज़ोल्यूशन में यह इश्यू कैसे रिलेवेन्ट है ?

श्री अध्यक्ष : The whole thing has to be taken as one single transaction. You cannot take one matter and forget all those things which went before it.

श्री श्रीभानसिंह : All those things which went before it have to be ignored. Only the present constitution of the Board and it's failure to implement the report and to manage the temple affairs can be disussed. Those members who have been removed, how do they figure in now on the resolution ? I cannot understand the logic of the Hon'ble Member.

श्री भैरोंसिंह : मैं इसके लिये निवेदन कर रहा था कि उनको बहुत जल्दी हटाना चाहिये था और उनके खिलाफ क्रिमिनल केस दायर करना चाहिये था। इसलिये कहने की आवश्यकता हुई। मैं इस संबंध में निवेदन करूं कि उनको नहीं हटाने में भी एक प्रकार की चाल थी। इसके बारे में मैं कुछ सेन्टेन्सेज़ रिपोर्ट में से पढ़ कर सुनाऊंगा, अध्यक्ष महोदय, : "It is also for them to consider what action, civil or criminal they should take against the then Executive Officer Shri Keshri singh Ranawat, and the present Gahna Ghar Officer. Pt. Kanhaiya Lal and some others who assisted and abetted them. In my opinion, Shri Ranawat should have been suspended by the Committee immediately after the happening and later dismissed. The question of his dismissal, however, does not arise since he has already submitted his resignation, and gone out of the management ....I also think that people of the type of Mukhiya Panna Lal who disobeyed the order of the Committee and handed over the 28 bales of valuable cloth (Prasadi Vastra) to the Tilkayat should not also be allo-

Page No.53

(श्री भैरोंसिंह)

wed to be there and the question of the appointment of the Mukhiya..."

आगे कहा है,

"I further think that a strict vigilance should be maintained about the Bhents offered to the Temple, which should be all recorded in regular course before storing them in their proper places, and periodically the records should be checked and verified with the valuables and presents. This may even be done by qualified auditors."

यह इस बात का संकेत करता है, अध्यक्ष महोदय, कि इस बात की अपेक्षा बहुत पहले की जाती थी कि इस प्रकार के लोगों को निकाला जायगा। माननीय मंत्रीजी ने अपने जबाब में यह तो कह दिया कि महाराज श्री का क्रिमिनल प्रोसीक्युशन नहीं हो सकता और अब शायद यह कह दें कि महाराज श्री का क्रिमिनल प्रोसीक्यूशन नहीं हुआ तो राणावत का भी नहीं होगा और पन्नालाल और कन्हैयालाल का भी प्रोसीक्यूशन नहीं होगा, बावजूद इसके कि उन्होंने खजाने का ताला तोड़ा हो, चाहे अबेटमेंट हुआ हो, चाहे उनके खिलाफ पूरे सबूत हों लेकिन उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जायगा। मैं समझता हूं जैसा कि कमीशन ने कहा कि जिस व्यक्ति ने खजाना तुड़वाया उसको तुरन्त बर्खास्त करना चाहिये था लेकिन उस समय नहीं किया और इन्क्वायरी कमीशन का काम शुरू होने के बाद, कुछ समय निकलने के बाद श्री राणावत ने अपना रेज़िनेशन पेश किया और उसको भी देते ही स्वीकार नहीं किया गया बल्कि ३ महीने के बाद स्वीकार किया गया। यह इस बात का सबूत है कि जो फैक्ट्स कमीशन के सामने आ सकते थे, कागज निकल सकते थे, पुराने बही-खाते निकल सकते थे, वे सारे पुराने कागजात, पुराने रेकॉर्ड उन्होंने मिल कर गायब कर दिये और वे कमीशन के सामने नहीं आ सके जिससे स्पष्ट पता नहीं लग सका कि कितना माल निकाला गया है, कितना गायब हुआ है, महाराज श्री ने कितना माल रखा है कितना माल गायब किया है, कितना माल डिस्क्लोज़ नहीं किया, बचा कर निकाल दिया, ऐसी स्थिति में कौन अन्दाज लगा सकता है कि उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया ? मैं ऐसा समझता हूं कि नाथद्वारा का पुराना इतिहास उठा कर देखें, महाराज श्री की पुरानी कार्यवाही की ओर दृष्टिपात करके देखें, तो हर एक को महसूस हो जाता है कि जिस समय यह खजाना खोला उस समय यह पहला इन्सीडेन्ट नहीं था, उसके कई दिनों बाद तक और उसके कई दिनों पहले से महाराज श्री इस प्रकार की कार्यवाही करते आये हैं। उनमें २८ बेल्स का जिक्र आता है, उसके साथ साथ घोड़ा घर, हाथी घर का सामान ले गये, जिसका जिक्र नाथद्वारा इन्क्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में आया है कि ऐसी घटनायें हुई हैं, जिनको लेकर भूतपूर्व राजस्थान सरकार ने पहरा लगा दिया था और ऐसा आदेश दे दिया था कि महाराज श्री राजस्थान सरकार की इजाजत के बिना नाथद्वारा टेम्पल में घुस नहीं सकते हैं। सौभाग्यवश वह सरकार बदल गई और दूसरी सरकार आई और दूसरी सरकार के आने के साथ जो उनको रियायत मिलनी चाहिए थी वह मिल गई और वह इस हद तक पहुँच गई कि गुप्त खजाने को तोड़ कर

(श्री भैरोंसिंह)

लाखों रुपये की सम्पत्ति पर अधिकार कर लिया। अध्यक्ष महोदय, यह माना जाय नाथद्वारा इन्क्वायरी कमीशन की फाइन्डिंग्स के अनुसार कि माल महाराज श्री का नहीं था, माल निकालने की गरज से खजाने को तोड़ा, खजाने पर उनका अधिकार नहीं था, वह माल टेम्पल का था। उसकी बिना पर समझ में आता है कि इस माल को वापिस किस प्रकार लिया जाय। उसके सम्बन्ध में सरकार कितनी ही सफाई दे कि हमने अच्छे अच्छे वकीलों की राय ली है, चाहे कितनी ही सफाई दे कि हमने लीगल एक्सपर्ट्स की ओपीनियन ली है, लेकिन साधारण जनता की समझ में यह बात नहीं आ सकती क्योंकि १६५७ की २५ दिसम्बर से लेकर आज तक की तारीख तक, जिस माल के ऊपर उनका कब्जा नहीं था वह माल अपने कब्जे में रखा, क्या वह माल अब पड़ा होगा ? माल खाने वाले खा गये होंगे, माल को डिस्पोज़ ऑफ, जिस प्रकार किया जा सकता है, वह कर दिया है। कुछ आमेर में प्रोपर्टी पकड़ी गई थी, जिसके बारे में नाथद्वारा इन्क्वायरी कमीशन ने कहा है कि उसका कुछ हिस्सा खजाने से निकाला हुआ है, जो खजाना गुप्त खजाने के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसी स्थिति में महाराज श्री ने माल गायब कर दिया। वह बरामद नहीं होता है; जो माल निकला है, उस पर किसी रूप से सरकार जिम्मेदारी नहीं समझती है। इसकी जिम्मेदारी, अध्यक्ष महोदय मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, राजस्थान के मुख्य मंत्री, राजस्व मंत्री और टेम्पल बोर्ड के चेयरमैन ठाकरसी की है। उनकी जिम्मेदारी है कि नाथद्वारा मंदिर का १६५७ में गया हुआ माल आज १६६० तक वापिस नहीं आ सका है। मंत्री महोदय हैं, उन्होंने भाषण दिया था कि गिरफ्तार करने का एक तरीका होता है, गिरफ्तार यूं ही नहीं किया जा सकता है। उनकी लिबरटी पर एन्क्रोचमेंट नहीं हो, यह देखा जाता है। मैं निवेदन करूंगा कि आये दिन गिरफ्तारियां होती हैं, आये दिन लोगों की इज्जत बिगाड़ी जाती है, वहां किसी प्रकार का कानून लागू नहीं होता है। उनके लिए आपके दिल में सोफ्ट कोर्नर क्यों है ? उनकी लिबर्टी का सवाल क्यों पैदा हो गया ? उनके लिए लीगल ओपीनियन लेने की आवश्यकता क्यों हुई जब कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने लिखा है कि क्रिमिनल एक्शन लिया जा सकता है। यह ग्राउन्ड है जिस पर क्रिमिनल प्रोसीक्यूसन हो सकता है। मैं कोई नई बिना नहीं बताता, इस बेसिस पर आप कर सकते हैं। लेकिन क्रिमिनल और सिविल, इस प्रकार डिस्क्रिमिनेशन करने की शक्ति दी है, उसका पूरा पूरा फायदा आपने उठाने की चेष्टा की है। अध्यक्ष महोदय, नाथद्वारा का जो टेम्पल बोर्ड बना हुआ है, उसके बारे में अभी ३१. २. ६० को वैष्णव कमेटी ने प्रस्ताव पास किया है, वह प्रस्ताव वहां के एक बेरिस्टर हैं, श्री आर० एस० दीक्षित बम्बई के प्रसिद्ध बेरिस्टर हैं, उनकी अध्यक्षता में पास हुआ है, जिसको श्री जयनारायण व्यास ने एड्रेस किया था। श्री जयनारायण व्यास की अध्यक्षता में जिस समय मीटिंग हुई थी, ठाकरसी के आदमियों ने भंग करने की चेष्टा की थी; क्योंकि मीटिंग के पीछे सारा वैष्णव समाज था। ऐसी स्थिति में जिन्होंने हुल्लड़ किया था, उन्होंने स्टेज के ऊपर आकर माफी मांगी और कइयों ने कह दिया कि बहकाने में

Page No.55

(श्री भैरोंसिंह)

आकर हमने ऐसी कार्यवाही की है। वह रिज़ोल्युशन, मैं समझता हूं, सदन के अन्दर यह विश्वास दिलाने के लिए कि वैष्णव कॉम्युनिटी उनके साथ नहीं है, पढ़ कर सुना दिया जाय, तो मैं समझता हूं, पर्याप्त होगा। यह रिज़ोल्युशन पास हुआ है:—

"Resolution passed on 31.3.1960 at the public meeting held at Congress House, People's Jinnah Hall, Bombay, under the auspices of Shri Akhil Bharatiya Vaisanav Ultkarsh Samaj and under the presidentship of Barrister Shri R. S. Dixit.

1. This meeting resolves that Members of Temple Board did not oppose the application made to Court by Shri Tilkayat to take possession of Shri Nathdwara jewelleries and ornaments and that the Members of the Temple Board did not oppose the application and did not bring to the notice of the Court that the action of Shri Tilkayat in connection with the breaking open of the treasuries at the Nathdwara Mandir was Criminal. In these states of affairs the Temple Board is blame-worthy and deserves to be censured. The Temple Board has acted against the interests of the Mandir and all Vaishanavas openly declare that the Temple Board has lost confidence of the said Vaishanavas and conduct of the Members of the Temple Board deserves public censure and is blameworthy.

2. This meeting further requests the Rajasthan Government to promptly act according to the directions and findings of Chief Justice, Shri Sarjoo Prasad made in his report of Nathdwara Inquiry Committee and signed on 11th October, 1959."

यह प्रस्ताव उन्होंने पास करके हमारी राज्य सरकार के पास भेजा है। अब इसके बाद यह अगर केवल कोई प्रस्ताव........

श्री अध्यक्ष : समय हो गया है।

श्री भैरोंसिंह : मैं दो-एक मिनट और लूंगा।

मैं यह बताना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि आमेर में कुछ प्रोपर्टी पकड़ी गई। आमेर की प्रोपर्टी जिस समय पकड़ी गई उस समय से लेकर यह मामला कोर्ट में चल रहा था। इस बीच में महाराज श्री की तरफ से हाई-कोर्ट में रिट दायर की गई थी, उसके द्वारा उन्होंने इस बात की कोशिश की कि उन्हें माल वापिस मिल जाय। लेकिन बदकिस्मती ऐसी हुई कि जो उन्होंने रिट की थी, उसके द्वारा, जो माल महाराज श्री का नहीं था, जिसके ऊपर मंदिर का अधिकार था, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, वह माल मंदिर में जाना चाहिए था, लेकिन वह माल मंदिर में नहीं गया। उसके लिए टेम्पल बोर्ड की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की गई। श्री दीक्षित के जजमेंट से यह स्पष्ट रूप से साबित होगा :

"It is significant that no report of any Criminal Offence having been committed in respect of this property has so far been lodged with the Pol-

(श्री भैरोंसिंह)

ice. Even in the claim filed on behalf of the committee of management, it was not alleged that any such offence has been committed. A long time has elapsed since the property was seized. Under the circumstances, no further enquiry by the City Magistrate is warranted in this case. I accordingly allow the application and direct that the City Magistrate shall return the said property to the Tilkayat Govind Lal ji forthwith."

ऐसी स्थिति में जो यह प्रोपर्टी पकड़ी गई, उसका इन्तजाम नहीं हो सकता है। इसके अलावा इस समय मैं यह बताना चाहूंगा कि हमारे कृष्णराज ठाकरसी का बाकी के बिज़नेस में किस प्रकार का रोल रहा है। बम्बई में शोलापुर मिल के बारे में एक इन्क्वायरी कमेटी बैठी थी। उस समय जो इन्सपेक्टर थे, उन्होंने यह इल्जाम लगाया था कि जो फैक्ट्स इनको कमेटी के सामने रखने चाहिए, वे फेक्ट्स नहीं रखे बल्कि उन्होंने गलत बयान दिया। इसलिए दिया गलत बयान कि गलत बयान देने से कई प्रकार का नाजायज निजी रूप से फायदा उठा सकें। अगर सदन के कोई माननीय सदस्य देखना चाहें, तो सोलापुर की रिपोर्ट मेरे पास है, मैं उसके उद्धरण समय की कमी के कारण पढ़ नहीं सकता। इतना ही नहीं; उनके खिलाफ भारत के इन्कम टैक्स डिपार्टमेंट के टैक्स इवेज़न के सम्बन्ध में कई केस चल रहे हैं, एक केस नहीं है, कई केसेज चल रहे हैं। इनके ऊपर फॉरिन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के मातहत जबरदस्त जुर्माना हुआ है। इन सब को देखें, तो ये इस प्रकार के व्यक्ति नहीं हैं जो इस प्रकार की डीलिंग से व्यक्तिगत लाभ किसी व्यक्ति को नुकसान करके, मन्दिर के काम में कोई कोताई करके, महाराज श्री को ऑब्लाइज करके, किसी प्रकार नाजायज़ फायदा नहीं उठा सकते हों।

इसी प्रकार बृजलाल वासनजी लालजी जो सेक्रेटरी हैं, जो पाउडर गोल्ड के मामले के सम्बन्ध में पकड़े गये थे; इसको हमारी सरकार ने मामूली समझा है लेकिन बम्बई सरकार के चेरिटी कमिश्नर ने उस इल्जाम पर, माधव बाग ट्रस्ट के, जिसके ये सेक्रेटरी थे, उस पद से चेरिटी कमिश्नर ने इन्हें हटा दिया। इतना ही नहीं; इसके बाद किसी प्रकार के ट्रस्ट में मेम्बर रखने से डिस्क्वालीफाई कर दिया है। इस प्रकार कृष्णराज ठाकरसी जो बोर्ड के चेअरमैन होना चाहते थे, उनको शोलापुर के इल्जाम के बारे में, टैक्स इवेज़न के कारण, कई प्रकार की और जो आशंकायें की जाती हैं, वहां सदस्य नहीं रखा जाता है, वे नहीं रखे गये।

इसके बाद तीसरे सदस्य वृन्दावन पुरुषोत्तम कापड़िया, हैं, जो महाराज श्री की जिस समय से मैनेजिंग कमेटी बनी है, उस समय से अब तक चलते आ रहे हैं। जिस सदस्य के लिए महाराज श्री ने बयान में स्वीकार किया है कि यह सदस्य मेरी ओर से मेरा नामजद किया हुआ है, उस सदस्य को इस टेम्पल बोर्ड में मेम्बर रखा है।

अब मैं आखिर एक बात निवेदन करूंगा; जो सबसे मोटी बात है। अध्यक्ष महोदय, वह यह है कि १२ अक्टूबर, १९५९ को यह रिपोर्ट पेश हुई और सरकार के सामने १६ तारीख को एक्शन लेने की बात आ गई और टेम्पल बोर्ड की बैठक १७

(श्री भैरोंसिंह)

तारीख को हुई। उसमें केवल तीन मेम्बर्स उपस्थित थे, एक ब्रजलाल वासनजी लालजी, कृष्णराज एम. डी. ठाकरसी और सांवलदान उज्जवला। बाकी के मेम्बर्स इकट्ठे नहीं हुए। वे इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देते। वे तो मन्दिर की सेवा में लगे रहते हैं वे बोर्ड के काम में कोई दखल नहीं देते हैं। ऐसी स्थिति में ये तीनों ही सब करता धरता हैं। नाथद्वारा इन्क्वायरी कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में इस बात को बताया है बाकी के सदस्यों का कोई संबंध नहीं था। ठाकुरजी के भोग-पूजा आदि का प्रबन्ध होगा या नहीं, ठाकुरजी के यहां जो कुछ हुआ इन सारी स्थिति में ये तीनों व्यक्ति ही जिम्मेदार हैं: नाथद्वारा के खजाने से माल को निकाला जाना और महाराज श्री को दिलाना और उनसे वापिस नहीं लेना, जिन लोगों को प्रोसीक्यूट कराना चाहिये, नहीं कराया गया, उनको गिरफ्तार नहीं कराया गया, जो नौकरों में सुधार की बातें होनी चाहिये और उनमें सुधार करना चाहिये नहीं किया गया। मंदिर के मजदूरों और कर्मचारियों को निकाला गया और उनको तनख्वाह नहीं मिलती है। इस प्रकार बहुत परेशान किया गया।

अंत में मैं यही कहूँगा कि यह सारी स्थिति क्यों पैदा हुई? मैं बताना चाहता हूं, नाथद्वारा इन्क्वायरी कमीशन ने एक जगह पर लिखा है कि there was some conspiracy of silence. यह सारी स्थिति इस कारण से हुई। सब लोग चुप रहे। इस बात को कमीशन ने स्वीकार किया है और इस स्थिति में ऐसा षडयन्त्र मोन का है।

श्री श्रीभानसिंह : यह मोन का षडयन्त्र नहीं, शायद वकील का है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : यदि किसी वकील ने कहा है तो श्री हजेला ने कहा है।

श्री भैरोंसिंह : यह रिपोर्ट में है। आप रिपोर्ट देख लें।

श्री अध्यक्ष : आपने काफी समय ले लिया है।

श्री भैरोंसिंह : दो मिनट और लूंगा।

ऐसी स्थिति में मैं निवेदन करूंगा कि आज यह जो सारी स्थिति बनी है यह उन्हीं के कारण बनी है। सरकार के प्रतिनिधियों और टेम्पल बोर्ड के सदस्यों का आपस में एक जबरदस्त सहयोग रहा। एक दूसरे को बचाने की कोशिश करते थे। उसका नतीजा यह निकला है कि महाराज श्री के खिलाफ टेम्पल बोर्ड कोई एक्शन नहीं ले रहा है। सरकार ने महाराज श्री को आश्वासन दिया था कि हम न तो तुम्हारा माल लेंगे और न तुम्हें गिरफ्तार करेंगे और इसी कारण महाराज श्री ने सच्ची बात नहीं कही। इस समझौते और आश्वासन के आधार पर सरकार बच कर निकली है। ऐसा न हो कि कहीं यह समझौता भंग हो जाए। इसी समझौते के कारण महाराज श्री ने जो सच बात थी वह नहीं कही।

इसी प्रकार श्री राणावत, जिनके लिये आपके माननीय राजस्व मंत्री और मुख्य मंत्री ने कहा और उनकी काफी तारीफ की है, उनका कन्डक्ट कैसा रहा है; यह सभी

(श्री भैरोंसिंह)

जानते हैं। कमीशन ने इस आदमी के कन्डक्ट को बहुत बुरा माना है और इस प्रकार के शब्द कि इस आदमी ने सारी गड़बड़ की है, कहे हैं। मगर ये सब बातें पहले से ही तय थीं कि तुमको सही बात बताने की जरूरत नहीं है। अगर कमीशन लिख देगा तो भी हम तुम्हें बचा लेंगे। तुम्हारे खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीक्युशन नहीं हो सकेगा। इस प्रकार का उसको आवश्वासन दिया गया था। तात्पर्य यह कि सभी की मिली भगत के कारण यह सब हुआ।

नाथद्वारा इन्क्वायरी कमीशन की जो माकूल जांच अब तक हो जानी चाहिये थी वह नहीं हुई। सरकारी परिधियों से टेम्पल बोर्ड बच नहीं सकता। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जहां लाखों वैष्णवों की लाखों की संपत्ति का प्रश्न है, इस प्रकार के बोर्ड के हाथों में नहीं दी जावे। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि इस बोर्ड को भंग कर दिया जावे। बस, इतना ही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

(विपक्ष की ओर से करतल-ध्वनि)

श्री अध्यक्ष : डॉ० चन्द्रकला का संशोधन है।

(अनुपस्थित)

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : अध्यक्ष महोदय, नाथद्वारा टेम्पल बोर्ड के मन्तव्य को लेकर जो प्रस्ताव माननीय सदस्य ने सदन में रखा है, मैं समझता हूं कि उसके पीछे नाथद्वारा टेम्पल बोर्ड को अयोग्य होने के कारण उसको भंग करने का जो प्रवचन का लाभ उन्होंने सदन में दिया है उससे ऐसा साबित होता है कि आपको नाराज़गी नाथद्वारा टेम्पल बोर्ड पर अधिक नहीं है, लेकिन नाथद्वारा इन्क्वायरी कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई है उस पर है और उसको लेकर कुछ तथ्य प्रस्तुत किये परन्तु जो वे चाहते थे वह सिद्ध नहीं हुआ। मैंने उनके प्रवचन को ध्यानपूर्वक सुनने की कोशिश की; यदि कोई ऐसी बात हो तो मैं उनके प्रवचन से प्राप्त करूं और उनके प्रवचन का समर्थन करूं, लेकिन अफसोस यह है कि ऐसा एक भी तथ्य नहीं, एक भी फैक्ट ऐसा नहीं मिला जिससे मैं यह कह सकूं कि उनके प्रवचन की मंशा को किसी प्रकार से दाद दे सकूं और उनके प्रस्ताव का समर्थन कर सकूं। इसलिये मुझे मजबूर होकर इस संकल्प का विरोध करना पड़ रहा है। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं। जब विरोध करते हैं तो विरोध स्पष्ट होना चाहिये। यदि आप यह चाहते कि नाथद्वारा कमीशन की रिपोर्ट पर बहस हो तो यह साफ कहना चाहिये, मगर जिस बात को हम रखने की कोशिश करने के बाद भी ठीक तरह से नहीं रख पाये और सिद्ध नहीं कर पाये। चूंकि हमारे पास में तथ्य नहीं थे। जब हम उसको सिद्ध नहीं कर सके तो अब हम किसी भी प्रकार से येन-केन प्रकारेण, हम इस सदन में उस सारी स्थिति को वापिस लाना चाहते हैं। अगर आप उसको वापिस गुजारना चाहते हैं तो आपको साहस के साथ कहना चाहिये कि अमुक काम नहीं किया जा रहा है, इसे करना चाहिये। वे यह चाहते हैं कि नाथद्वारा काण्ड को वापिस लाया जावे और इस भूत को जिन्दा रखा जावे और उसकी कोशिश हमारे

(श्री जनार्दनराय नागर)

मित्र कर रहे हैं, भूत को इंजेक्शन देकर जिन्दा करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उसके पुंज को सारे के सारे राजस्थान में बहाया जावे और कहा जावे कि नाथद्वारा का भयंकर काण्ड हुआ और नाथद्वारा काण्ड को लेकर सरकार और दूसरे लोगों ने भयंकर कुकृत्य किये हैं। इन सारी बातों को जिन्दा रखने के लिये यह कोशिश की गई। इसके पीछे यही एक मन्तव्य है जो हमारे सामने है। यह कहा गया है कि नाथद्वारा टेम्पल बोर्ड अयोग्य है और इसको भंग किया जाना चाहिये। लेकिन मेरे मित्रों की नापसन्दगी की राय के अलावा आपने बम्बई की कमेटी में पारित प्रस्ताव के आधार पर यह बताया है कि यह टेम्पल बोर्ड अयोग्य है और आपने टेम्पल बोर्ड के अध्यक्ष पर अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने उनकी व्यापारिक और व्यक्तिगत बातों को लेकर यहां पर कई बातें कहीं। मैं कहता हूं कि जनतन्त्र की परम्परा है कि किसी व्यक्ति का झगड़ा और व्यक्तिगत समितियों का जिक्र इस स्थिति में नहीं किया जा सकता। अगर टेम्पल बोर्ड के सदस्यों के मार्ग-दर्शन की नीति, टेम्पल बोर्ड का काम उचित नहीं हो तो उसकी आलोचना करना उचित था। मगर आपने बताया कि उन्होंने बम्बई में व्यापार में क्या किया और इस कारण वे टेम्पल बोर्ड में रखने के लायक नहीं, अयोग्य हैं, यह तो उपयुक्त नहीं है।

हमें देखना यह है कि टेम्पल बोर्ड कैसे कायम हुआ? जब नाथद्वारा एक्ट सदन में लाया गया था उस समय हमारे माननीय मित्रों ने इसका घोर विरोध किया था। वे नहीं चाहते थे कि नाथद्वारा के मन्दिर का जनतन्त्र में जनता द्वारा प्रबन्ध हो सके। उनके भारी विरोध को सह कर सदन ने सबसे बड़ा महत्वपूर्ण यह कार्य किया और उसको पास किया। उस एक्ट के आधीन यह बोर्ड बना। उसके बनने के बाद में, देखना यह है कि उन्होंने इस कार्य को अपने हाथ में लेने के बाद क्या ऐसा कार्य किया जिससे....

११.१८ म० पू०

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

आप उनको अयोग्य साबित करते हैं। आपकी भावना मात्र से ही कोई योग्य और अयोग्य नहीं हो सकता। आपको तथ्यों से योग्य और अयोग्य साबित करना होगा।

यदि आप यह समझते हैं कि उनका इन्तजाम ठीक नहीं है तो आपको इसके लिये तथ्य देने चाहिये। आपने एक भी तथ्य नहीं दिया। आपके पास तथ्य नहीं हैं। आपके पास नाथद्वारा रिपोर्ट है उसके कुछ परिच्छेद आपने पढ़ कर सुनाये मगर मैं मेरे मित्र से निवेदन करूंगा कि नाथद्वारा टेम्पल बोर्ड के साथ वह नहीं है। नाथद्वारा खजाना काण्ड है, उसके तथ्यों से, प्रमाणों से, सिद्धान्तों से जो हमारे मुख्य न्यायाधीश इस निर्णय पर पहुंचे, उसमें तथ्य है। उसके बाद में कौनसी स्थिति पैदा हुई? अगर आप रिपोर्ट को नहीं मानना चाहते तो ऐसा कहें, यदि आप यह चाहते हैं कि दूसरी इन्क्वायरी कमेटी हो तो ऐसा कहें। लेकिन इन सारी बातों को लेकर आप यह कहें कि टेम्पल बोर्ड के सदस्य अयोग्य हैं इसलिये इस टेम्पल बोर्ड को भंग किया जाय, यह कथन मुझे अस्पष्ट मालूम होता है।

(श्री जनार्दनराय नागर)

सवाल यह है कि टेम्पल बोर्ड जिन परिस्थितियों में एक्ट के जरिये बना है उसके बाद उसने क्या किया ? आप मानेंगे, उपाध्यक्ष महोदय, जब से टेम्पल बोर्ड ने टेम्पल का चार्ज सम्भाला है उसके सामने दुरूह और गम्भीर स्थितियां रही हैं। नाथद्वारा खजाना काण्ड को लेकर दुरूह स्थिति थी। एक तरफ सरकार पर अभियोग लगाया जा रहा था और दूसरी तरफ कुछ और परिस्थितियां थीं। सरकार ने, उन माननीय मित्रों के धुंआ-धूं के कारण एक कमीशन नियुक्त किया जिससे माननीय सदस्य को बात करने का, जिरह करने का, प्रतिपक्ष के आरोपों को सिद्ध करने का पूरा मौका मिला। नाथद्वारा इन्क्वायरी कमीशन बैठाने का एक बाकायदा वातावरण पैदा हुआ, पैदा किया गया, अखबारों ने दिलचस्पी ली। उसके बाद जो तथ्य सामने आये वे सब इंगित करते हैं कि जो कमीशन ने निर्णय लिये हैं उनमें परोक्ष या अपरोक्ष शंका करना, मैं समझता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, न्याय द्वारा प्रदत्त जो शक्ति है ? उसका जो वर्चस्व है उसके प्रति शंका प्रकट करना है, उसके प्रति छाया प्रकट करना है और एक प्रकार का लांछन प्रकट करना है ।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : आपका मतलब यह है कि इन्क्वायरी में तथ्य नहीं है ?

श्री जनार्दनराय नागर : (अपना भाषण जारी रखते हुए) जो नाथद्वारा कमीशन की रिपोर्ट से सम्बन्ध नहीं रखता होगा लेकिन नाथद्वारा टेम्पल बोर्ड से सम्बन्ध रखता होगा। आपने सारी बातों को, नाथद्वारा टेम्पल बोर्ड के जो अधिकार हैं, काम हैं, उनके प्रति आपकी नाराजगी है और उसके कारण आपने उनको राग द्वेष से देखने की कोशिश की है।

(शोर गुल एवं व्यवधान)

श्री मदनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था दी है........

(पुनः शोर गुल एवं व्यवधान)

श्री जनार्दनराय नागर : (अपना भाषण जारी रखते हुए) मैं चाहता था, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मन्तव्यों को ध्यान से सुनूं ।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : Precedent has been set by your leader.

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !!

श्री जनार्दनराय नागर : मैं चाहता था, उपाध्यक्ष महोदय, उनके तथ्य को अंगीकार करूं, मैं चाहता था उनका साथ दे सकूं इस प्रस्ताव को पास कराने में, लेकिन अफसोस यह है कि वे एक भी तथ्य देने में नाकामयाब रहे हैं, असफल रहे हैं।

एक बात कही गई, उपाध्यक्ष महोदय, कमीशन ने निर्णय दिया कि अमुक अमुक लोगों को हटा देना चाहिये, उनके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिये, अब तक कारगर नहीं हुए। कुछ लोगों को हटाया गया है, लेकिन अब यह कहना कि माननीय मुख्य मन्त्री, राजस्व मन्त्री और टेम्पल बोर्ड की जिम्मेदारी है, वे कमीशन के निर्णय को कार्यान्वित कराने के लिए जिम्मेदार हैं जो अब तक नहीं किये गये हैं। देश के कानून

(श्री जनार्दनराय नागर)

के द्वारा प्रदत्त सीधे-सादे निर्णय हैं, जो तरीके हैं और आज तक चले आ रहे हैं उनका मेरे माननीय मित्र को ज्ञान नहीं है। ज्ञान है तो उनके प्रति आदर नहीं है और आदर है तो जान-बूझ कर उनका आदर करना चाहते नहीं हैं। नाथद्वारा इन्क्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में दिये गये निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए इसके लिए जो मुख्य एजेन्सी है वह है टेम्पल बोर्ड। कुछ तथ्यों को टेम्पल बोर्ड पूरी जिम्मेदारी के साथ कार्यान्वित करने के बारे में सोच रहा है, विचार कर रहा है। यह ठीक है कि टेम्पल बोर्ड को लेकर, आर. एस. दीक्षित, बैरिस्टर की अध्यक्षता में बोम्बे में कोई मिटिंग हुई हो। हो सकता है श्री जयनारायण व्यास ने उसमें भाषण दिया हो। टेम्पल बोर्ड क्या कार्यवाही कर रहा है, वापिस लेना है या मुकदमा दायर करना है, आज की स्थिति में शंका प्रकट कर सकते हैं। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, यह मानना पड़ेगा कि इस प्रकार की कार्यवाही एक जल्दबाजी में नहीं हो सकती, खास परिस्थिति में नहीं हो सकती। यदि कोई कार्यवाही करनी है तो वह अचूक होनी चाहिये और वह अदालत में पार पटकने की स्थिति में हो। मैं उदाहरण देना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, जो मामले इस सदन में उठाये गये वे हाईकोर्ट में जाकर तथ्यों से विपरीत हुए। आपको और हमको जिनमें शंका थी वहां हाईकोर्ट में जाकर बरी हो गये। ये सारे मामले अदालतों में जावेंगे, कहा जाता है कि क्रिमिनल केस में गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते महाराज श्री को ? मैं व्यक्तिगत रूप से सहमत हूं, उपाध्यक्ष महोदय, जिसने भी नाथद्वारा खजाने में गड़बड़ी की है उसको निश्चित रूप से दंड मिलना चाहिये। इसलिये कानूनी कार्यवाही करने की दशा में जो मुख्य चीजें हैं उनको सोच-समझ कर करना पड़ेगा और यह बात हमको माननी पड़ेगी। अब यह कह दिया जाय कि अमुक अमुक कार्यवाही नहीं हुई इसलिए टेम्पल बोर्ड अयोग्य है। अयोग्यता नापने की आपकी बुद्धि की बलिहारी है ! नानावटी केस चल रहा है। सारे देश के अखबारों में जिक्र है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट तक जा रहा है और कई तरीकों से निकल रहा है, कई तरह की बहस मुबाहसा हो रही है और कानून की दृष्टि से नयी परम्परायें हमारे सामने आ रही है। हम चाहते हैं कि तिलकायत पर मुकदमा चले। जो विधि विधान की कार्यवाही होनी चाहिये वह टेम्पल बोर्ड करने के प्रयत्न में हैं और माननीय सदस्यों को टेम्पल बोर्ड को समय देना चाहिये, उसको गुन्जाइश देनी चाहिये। कानून आपका और हमारा नहीं है। परम्परा से शक्ति प्राप्त की है। कानून की अदालत में सब समान हैं। आप चाहते हैं कि तिलकायतजी को जेल में भेज दिया जाय। यदि वे छूट जाते हैं तो भी आपको शंका रहती है। टेम्पल बोर्ड जिस हालत में था उसको दुनिया जानती है, राजस्थान और सारा हिन्दुस्तान जानता है। कि नाथद्वारा मंदिर का प्रबन्ध उचित नहीं था। मेवाड़ सरकार को भी व्यवस्था को लेकर एक सिर-दर्द बना रहा। मेवाड़ सरकार ने कोशिश की कि सरकार की निगरानी हो जाय। इसका प्रबन्ध उचित हो और सुचारु रूप से यह होना चाहिये। लेकिन मेवाड़ सरकार भी वैसा करने की स्थिति में नहीं थी। उस वक्त जनतन्त्र नहीं था, उस वक्त परम्परा ऐसी नहीं थी। मेवाड़

(श्री जनार्दनराय नागर)

की स्थिति आज की स्थिति नहीं होने से वह उस समय कानून नहीं बना सकती थी। लेकिन आज जनतन्त्रीय समाज के पास सीधी प्रभुसत्ता मौजूद है। इसके जरिये, नाथद्वारा टेम्पल के लिए टेम्पल बोर्ड को कानून बना कर अधिकार दिया। टेम्पल बोर्ड के पास आज नाथद्वारा मंदिर का चार्ज है। उनकी पृष्ठ भूमि को देखना चाहिये, लम्बाई-चौड़ाई को देखना चाहिये, गहराई और गुरूता को देखना चाहिये और उसकी उलझनों को भी देखना चाहिये और उसके बाद उन परिस्थितियों पर भी विचार करें कि किस प्रकार से मंदिर की व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने की कोशिश की है। क्या माननीय मित्र मानते हैं कि उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की चूंकि दो, चार बातें पूरी नहीं हो रही हैं ? एक हिन्दुस्तान के न्याय की ऑथोरिटी यह कहे कि सरकार कोई मुकदमा चलाने की कोई एजेन्सी थोड़े ही है, बोर्ड चाहे मुकदमा चला सकता है। आखिर इस बात पर तो विचार करना पड़ेगा। मुख्य मन्त्री, रेवेन्यू मिनिस्टर और टेम्पल बोर्ड का ठाकरसी केवल कुछ नहीं कर सकते। आपको खुश करने के लिए हो जाय तो मैं समझता हूं कि यह न्याय व्यवस्था के खिलाफ बात करनी है। आपकी प्रसन्नता के लिए मदद कर सकते हैं। लेकिन आपकी भावनाओं को खुश करने के लिए टेम्पल बोर्ड ऐसा नहीं कर सकता। आप अपने दिल पर हाथ रख कर कहेंगे कि टेम्पल बोर्ड ने चार्ज लिया उस वक्त से सुधार की ओर है या नहीं ? आप नहीं कहेंगे, आप नहीं कहना चाहते। सत्य को विकृत करने के लिए सफलता मुबारक हो, मैं आपकी दाद देता हूं। मेरे माननीय मित्र इतने प्रतिभाशाली हैं, सत्य को विकृत करके रखने में गजब के माहिर हैं। नाथद्वारा टेम्पल बोर्ड को अयोग्य साबित करने के लिए जो प्रस्ताव है अद्वितीय है, बड़ी भावना से रखा है। मेरे मित्र बड़े चिन्तित हैं, सम्पत्ति को वापिस लाना चाहते हैं, मैं दाद देता हूं आपके इरादे की कि उस इरादे को निरस्त करने का आपका यह कदम है। मेरे नादान दोस्त हैं, हित—अहित नहीं मिला।

श्री मदनसिंह : कुछ रुचि आपको मालूम हुई ?

श्री जनार्दनराय नागर : यदि नादान मित्र नहीं है तो आप इतने क्यों विकल हैं ?

इतने बड़े उलझे हुए इतिहास से निकल कर जब हम ऐसी परिस्थिति पैदा करते जा रहे हैं और कहा जाता है कि बंबई में विरोध है। टेम्पल बोर्ड का नेतृत्व जिन लोगों के हाथ में है उससे भी मेरे माननीय मित्र को विरोध है। कुछ लोग ने इकट्ठे होकर, जयनारायण व्यास का नाम लेकर यह प्रभाव डालना चाहते हैं। जहां और जिस मीटिंग में वे उपस्थित हो गये वह हमारे लिये वेद—वाक्य हो गया, श्रुति हो गई, वह स्मृति हो गई लेकिन आज यह स्थिति राजस्थान मानने को तैयार नहीं। हमें तथ्यों को देखना चाहिये। हम धैर्य से, सन्तोष के साथ कदम उठाना चाहते हैं। जितनी हानि आप महसूस करते हैं उससे कई गुना हानि हम भी महसूस करते हैं। आप तो इस बारे में अब चिन्तित हुए प्रतीत होते हैं हमने सदियों से, युगों से और बर्षों से इसकी चिन्ता रखी है। हम चाहते हैं कि श्रीनाथजी के प्रबन्ध में उनकी दिव्य झलक लोगों को मिले और जो यात्रीगण नाथद्वारा में आते हैं उनको सुख—सुविधा और शान्ति मिल सके।

(श्री जनार्दनराय नागर)

इस ओर हमारा सतत प्रयत्न रहा है । इस प्रयत्न के मुकाबले टेम्पल बोर्ड का कायम होना, उसके द्वारा नाथद्वारा मंदिर का चार्ज लिया जाना हमें बड़ा सन्तोष प्रद मालूम हुआ है। मेरे दोस्त पड़ोसी के नाते उसके साथ हमदर्दी रखते हैं । आप उसके छिद्र देखें और बिना किसी आधार के दोषारोपण करें और उसके द्वारा आप हम पर यह धाक जमाना चाहते हैं कि हम उनको छूट दे रहे हैं; इस तरह से कह कर आप उस उद्देश्य को पस्त करने की कोशिश करना चाहते हैं जो हम टेम्पल बोर्ड द्वारा पूर्ण होता हुआ देखना चाहते हैं

अन्त में मेरी उन माननीय सदस्य से अपील है कि आप नाथद्वारा कांड को राजनैतिक दृष्टिकोण से न देखें । आप जो इस प्रकार से बदनामी करने पर उतारू हो गये हैं उससे आप बचिये । आप जिन लोगों को उसमें घसीटकर बदनाम करने की कोशिश करना चाहते हैं उसकी तो अब इति हो चुकी है, उसके बारे में निर्णय मिल चुका है । सर्वोच्च न्यायाधीश का निर्णय है उस निर्णय के अन्दर किसी प्रकार से भी ननुनचु करने को तैयार नहीं हैं, आपका होसला नहीं ।.आप इधर-उधर के प्रसंगों को लेकर बोल लीजिये, इस सदन में आप चाहें जो भी बोल लीजिये लेकिन लिखित रूप में न्याय मूर्ति ने जो अपना निर्णय दिया है उसके आप किसी भी तरह इधर–उधर नहीं जा सकते ।

मेरे मित्र वकील नहीं हैं, फिर भी वकीलों के साथ उनका उठना–बैठना है । वे न्याय की गतिविधि को जानते हैं या जानते हुए भी उससे अपरिचित रहना चाहते हैं । न्याय की प्रतिष्ठा है उसको भी जानते हैं, उसकी पवित्रता को जानते हैं । जिस प्रकार से निष्पक्ष राय मिली है आप कितना ही जोर लगायें वह बदली नहीं जा सकती, वह अमिट है ।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : The Hon'ble Member has realised his mistake in moving the resolution.

श्री जनार्दनराय नागर : आपके टेम्पल बोर्ड में जो सदस्य रखे गये हैं उनसे विरोध है । उन पर आप दोषारोपण कर यह चाहते हैं कि वे वहां से हट जायं । जहां टेम्पल बोर्ड में बहुत ही प्रतिष्ठित लोग शामिल होकर सेवा दे रहे हैं, जहां उनके श्रम और शक्ति की प्रतिष्ठा आपको करनी चाहिये उनको आप यह सेहरा बान्ध रहे हैं । आज किन परिस्थितियों के अन्दर वे कार्य कर रहे हैं और कितनी तत्परता से कार्य कर रहे हैं इस ओर आपकी दृष्टि नहीं जाती । आपकी उन पर नाराजगी है; तो वह नाराजगी आप सदन में ही निकाल सकते हैं क्या उसका दूसरा स्थान नहीं है ? आपने इतनी बातें रखीं किन्तु उनमें तथ्य नाम की कड़ी भी नहीं है ।

श्री किशनलाल शर्मा (नाथद्वारा) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन के समक्ष नाथद्वारा टेम्पल बोर्ड को भंग करने का संकल्प फिर से उपस्थित हुआ है । मैं उन माननीय सदस्यों को बधाई देना चाहता हूं जो राजनैतिक तौर पर नाथद्वारा के साथ हमदर्दी हासिल करना चाहते हैं । एक तरफ तो वे माननीय सदस्य इसी सदन में गोस्वामी जी के खिलाफ उनको गिरफतार करने की मांग करते हैं दूसरी तरफ उन्हीं के दल के

(श्री किशनलाल शर्मा)

साथी नाथद्वारा में जब गोस्वामीजी तशरीफ लाते हैं उनका स्वागत करते हैं। इन सब बातों को देखने से यह अन्दाज होता है कि आखिर इन सब बातों के पीछे राज क्या है ? आज नाथद्वारा कमीशन के बारे में कई बातें कही गई और इसके साथ साथ बाहर भी कई प्रकार की बात कहते रहे हैं, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने, जब उनको मौका मिला उस समय वे पीछे क्यों रहे ? इस रिपोर्ट में भी यह चीज आई है कि जनसंघ के माने हुए नेताओं ने एक स्मरण-पत्र कमीशन के सम्मुख प्रस्तुत किया, लेकिन जब मौका आया तो उन्होंने कोर्ट के सामने आकर एक शब्द भी कहने कि हिम्मत नहीं की। अगर उनमें थोड़ा सा भी नैतिक साहस था तो उनको कमीशन के सामने आना चाहिये था और जो कुछ भी वे महसूस करते उसको कमीशन के नोटिस में लाना चाहिये था।

उपाध्यक्ष महोदय, एक किस्सा इसी तरह का आपकी आज्ञा से सदन के सम्मुख उपस्थित करना चाहता हूँ। सन् १९५९ में मार्च के अन्त में और अप्रेल के शुरूआत में जब गोस्वामीजी कमीशन के सामने गवाही देने के लिये आये तो हमारे जनसंघी नेताओं ने उनसे मुलाकात ली। मुलाकात लेकर कई तरह की बातें, कई तरह की धमकियां उनको दी, मगर सचाई तो सचाई ही रहनी थी। इसके साथ साथ एक बात और निवेदन कर देना चाहता हूँ कि जब तक उनकी मुलाकात महन्त श्री से नहीं हुई तब तक कमीशन के कार्य में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया और मुलाकात के बाद कमीशन में हिस्सा लेना शुरू किया।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : यह बिल्कुल झूठ बात है कि नाथद्वारा के महाराज श्री से मैंने और श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने कोई मुलाकात ली ! हमने उनसे सिवाय कोर्ट के कहीं भी कोई बातचीत नहीं की। यह जो माननीय सदस्य कह रहे हैं बिल्कुल झूठ है।

श्री किशनलाल शर्मा : जनसंघ के नेता आप दो ही नहीं हैं और भी साथी हैं आपके, नाथद्वारा में जाकर देख सकते हैं। आप भी नाथद्वारा पधारे हैं और आपने गवाह पेश करने की बहुत कोशिश की, लेकिन आपको गवाह कोई नहीं मिला। आप दिल पर हाथ धर कर देखें कि....

श्री भैरोंसिंह : जब आप जैसे वहां बैठे थे तो गवाह कहां से मिल सकता था ?

श्री किशनलाल शर्मा : मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि वे माननीय सदस्य जब भी मौका आता है जो चाहते हैं वे कहते रहते हैं लेकिन जब दूसरों के कहने की बारी आती है तो उनको चाहिये कि उनको सुनने में जरा हिम्मत और साहस रखें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर इस संकल्प की भावना क्या है ? इनके इतने लम्बे भाषण से मैं इतना ही समझ पाया हूं कि वे दो बातें चाहते हैं। एक तो वे चाहते हैं महाराज श्री को अयोग्य घोषित करने की, दूसरी मांग है उनके खिलाफ फौजदारी या पुलिस कार्यवाही

(श्री किशनलाल शर्मा)

करने की। उपाध्यक्ष महोदय, अभी थोड़े दिन पहले का कांड है। इसी सदन में गत वर्ष जिस माल के बारे में बड़े जोरों के साथ कुछ बात कही गई और उस केस का फैसला हाईकोर्ट ने दिया उस वक्त, मैं गलती नहीं करता तो मुझे याद है यह बात कही गई थी, इतने लाख का माल है लेकिन जब मौका आया किसी भी माननीय सदस्य ने इस बात की कोशिश नहीं की कि वह कितना माल है; कितना है, उसको साबित करवाते। उस किस्से का फैसला हाई कोर्ट द्वारा हुआ। उसके बाद जनसंघ के साथियों ने नाथद्वारा में दीवाली मनाई। मैं उनसे यह पूछना चाहता हूँ कि राजनैतिक पार्टी कोई भी हो लेकिन जहां तक पार्टी के डिसिप्लिन का सवाल है सभी पार्टियों में एक सा होता है। एक तरफ तो उस पार्टी के सदस्य चाहते हैं और सदन में मांग करते हैं कि उनके खिलाफ इस तरह की कार्यवाही हो और दूसरी तरफ उसी पार्टी के सदस्य इस प्रकार की कार्यवाहियां करते हैं। यह तो सदन के सोचने की बात है कि आखिर इसके पीछे क्या राज हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं केवल दो बातें कहना चाहता हूं। किशनदास ठाकरसी जो इस टेम्पल बोर्ड के चेयरमैन हैं उनके बारे में भी बातें कही गई। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो मौजूदा चेयरमैन हैं वे बंबई के प्रतिष्ठित व्यापारी हैं। उनकी साख बंबई में है। जहां इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं वहां सदस्यों को उनकी दिक्कतों की तरफ भी ध्यान देना चाहिये। उनके अधीन जब बोर्ड का काम आया है, उनको कितनी ही दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। जिस स्थिति में से वे गुजर रहे हैं उनकी दिक्कतों की तरफ ध्यान देते हैं तो जिस ढंग से वे चल रहे हैं आज की परिस्थितियों में इससे ज्यादा अच्छे तरीके से चलना मुमकिन नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह हो सकता है कि उनके और नाथद्वारा के कर्मचारियों में झगड़े हों। नाथद्वारा का मसला मामूली नहीं है। जैसे अभी मेरे पूर्व वक्ता ने बताया कि नाथद्वारा का झगड़ा काफी पुराने अर्से से चला आ रहा है और वह भी वहां के कर्मचारियों और मैनेजमेन्ट के बीच में झगड़ा है। इसके बारे में कर्मचारियों ने अपना रिप्रेज़ेन्टेशन भी उनके सामने दिया है। पर इसका यह कारण नहीं कि हम उसको लेकर कह दें कि बोर्ड को भंग कर दिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि आज जिस तरह का वातावरण इस सदन में बनाया जाता है इस मसले को लेकर वैसा आज से दो वर्ष पूर्व भी इसी तरह का प्रश्न यहां लाकर बनाने का प्रयत्न किया गया था। आज हम महसूस कर रहे हैं कि इसका फैसला हो चुका। उनके आरोप लगाने पर हमारे नेताओं ने एक साहसिक कदम उठाया था और जांच कमीशन बैठाया। अब उसकी रिपोर्ट आने के बाद इन लोगों के पास कोई चीज़ नहीं रह गई, फिर उस तरह का वातावरण बनाने का। यह सब होते हुए भी वे कुछ न कुछ नाथद्वारा के बारे में कहना ही चाहते हैं। इसके कई एक कारण हो सकते हैं। मैं उन कारणों में यहां नहीं जाऊंगा। मैं तो यही निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो राजनैतिक कलर नाथद्वारा को दिया जाता है, भारतीय संस्कृति

(श्री किशनलाल शर्मा)

की दुहाई देने वालों को यह शोभा नहीं देता ।' अगर उनके मन में नाथद्वारा के प्रति, भारतीय संस्कृति के प्रति, इस धार्मिक स्थल के प्रति उनकी किञ्चित् मात्र भी हमदर्दी है तो इसे राजनैतिक कलर देने की वे कोशिश न करें। राजनैतिक दांव–पेच खेलने के तो कई क्षेत्र और कई अन्य मौके हैं। वे इसको सुलझाने में और सुधारने में सहयोग दें। नाथद्वारा की प्रगति में, वहां की धार्मिक प्रवृत्ति में सहयोग दें। तो इस दृष्टि से यहां इस नाथद्वारा पर विचार करना मैं उचित नहीं मानता। मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस संकल्प का विरोध करता हूँ और सदस्यों से निवेदन करता हूं कि इसको पास न करें।

(दो–तीन माननीय सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : Yes, Shri Satishchandra Agarwal.

(करतल–ध्वनि)

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : बस, एक ही ताली ?

(हंसी एवं करतल–ध्वनि)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री उपाध्यक्ष : He will please conclude it at twelve.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, नाथद्वारा टेम्पल बोर्ड के सम्बन्ध में जो संकल्प श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, समय के अभाव के कारण मैं उन सम्पूर्ण तथ्यों के सम्बन्ध में सदन के सामने कुछ नहीं कहूंगा जो नाथद्वारा इन्क्वायरी कमीशन के बारे में हैं।

जब एक माननीय सदस्य बोल रहे थे तो नाथद्वारा इन्क्वायरी कमीशन के सम्बन्ध में और नाथद्वारा इन्क्वायरी कमीशन की फाइन्डिंग्स के सम्बन्ध में यह बात कही थी, मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने कि जुडिशियल इन्क्वायरी के सिलसिले में जुडिशियरी की हाइएस्ट ऑथोरिटी का डिसीज़न हो गया। उपाध्यक्ष महोदय, वे इस संकल्प का ऐसा विरोध कर रहे थे और मुझे तो ऐसा मालूम पड़ रहा था कि जैसे कि मानो यह संकल्प किसी साहित्य अकादमी के डिज़ोल्युशन के सम्बन्ध में हो और वे उससे घबरा कर कह रहे हों कि इस पर तो जुडिशियरी का हाइएस्ट डिसीज़न हो गया अब कुछ लेना–देना नहीं, अब कोई उस बारे में बात मत करो। यह सही है, उपाध्यक्ष महोदय, ऑटोनोमस बॉडी के डिज़ोल्युशन के सम्बन्ध में कानून में व्यवस्था की गई है कि कहीं अनियमितताएं पाई जावें तो उसके डिज़ोल्युशन पर विचार किया जाना आवश्यक है। यह अच्छा होता और ज्यादा हितकर होता कि सदन के अनेकों माननीय सदस्य इस पर अपने विचार प्रकट कर देते।

लोक सभा और विधान सभा की परम्पराएं हैं कि जब कभी कोई कमीशन विधान सभा द्वारा या लोकसभा द्वारा अपोइन्ट किया जावे तो उसकी रिपोर्ट पर, उसकी फाइन्डिंग्स पर विधान सभा और लोकसभा द्वारा बहस की जाती है। लोक सभा और विधान सभा के सदन

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

के पटल पर उसकी रिपोर्ट रखी जाती है। इस सम्बन्ध में आप लोक सभा का इतिहास उठा कर देखें तो पता लगेगा कि जितने भी कमीशन्स अपोइन्ट हुए हैं उनके द्वारा उनकी सब रिपोर्ट लोकसभा के पटल पर रखी गई है और उन पर विचार हुआ है। यही विधान सभाओं की परम्परा रही है। पर आज सख्त अफसोस की बात यह है कि हमारे राजस्थान के माननीय मुख्य मन्त्री और हमारे देवस्थान मन्त्री, राजस्व मन्त्री उस रिपोर्ट की फाइन्डिंग्स की आड़ को लेकर भले ही कितना ही अपनी बचत का सर्टिफिकेट लेकर कहते फिरें कि हम बच गये हैं, हमारा इसमें कोई हाथ नहीं रहा है, हमें इन्क्वायरी कमीशन ने सर्टिफिकेट दे दिया है, बरी कर दिया है, वे कितना भी अपनी निर्दोषिता का दावा करते फिरें, पर आज उनमें हिम्मत नहीं है यह कि उस परम्परा को निभाते हुए उस कमीशन की रिपोर्ट को इस सदन में प्रस्तुत करें और उस पर वाद-विवाद किया जा सके। आज बड़ी मुश्किल से हमें इस टेम्पल बोर्ड के नाम पर विचार करने का थोड़ा बहुत मौका मिला है, बल्कि यों कहना चाहिये कि किसी तरह से मौका लाया गया है, पर इस पर भी केवल १॥। घंटे का समय रखा है। मैं समझता हूं कि इस पौने दो घंटे के समय में और उसमें भी जो कुछ थोड़ा सा समय हमें बोलने को मिला है हम किसी प्रकार सारे तथ्य सदन के सामने रख नहीं सकते। इस १॥। घंटों के समय में भी मुझे केवल आठ–दस मिनट का समय दिया गया है। इतने कम समय में मैं किसी भी प्रकार से इस प्रस्ताव को अच्छी तरह सदन के सामने रखने में जस्टिफिकेशन नहीं कर सकता और जस्टिफिकेशन नहीं कर सकता सारे तथ्यों को सदन के सामने रखने में।

नाथद्वारा के माननीय सदस्य ने यह बात कही कि इन्क्वायरी कमीशन के सामने शहादत नहीं दी जनसंघ के लोगों ने। ठीक है, मैं इसके कारणों में अभी नहीं जाऊंगा, पर साथ ही यह जरूर कहूँगा कि हर एक सदस्य का यह परम कर्त्तव्य है कि उसके अपने क्षेत्र में कोई भी घोटाला हो, गड़बड़ हो, चोरी हो, डाका हो, उन सारी घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करे, उन सब का बराबर ध्यान रखे और उनके सम्बन्ध में सारे तथ्यों को सदन के सामने सबसे पहले लावे, सरकार का ध्यान उधर दिलावे, सरकार को, सरकार के अधिकारियों को उसकी फौरन इत्तला दे और यह करना उसका सबसे बड़ा कर्त्तव्य है। अगर वह यह सब नहीं करता है तो अपने कर्त्तव्य के प्रति घोर उपेक्षा का पात्र है। नाथद्वारा में २५ दिसम्बर, १९५७ को बड़ी महत्वपूर्ण घटना हुई। सदन की बात छोड़ दीजिये कि सदन को उन्होंने इत्तला दी या नहीं दी, पर उनके परम मित्र, माननीय मुख्य मन्त्रीजी को उन्होंने वह बात नहीं बताई, सारी घटनाओं की जानकारी उन तक को नहीं दी। मैं यह नहीं मान सकता कि २५ दिसम्बर, १९५७ की घटना की जानकारी माननीय सदस्य को नहीं थी। मैं यह मान कर चलता हूं कि उनको इसकी जानकारी थी। अगर वे अपना कर्त्तव्य समझ कर इस जानकारी की सूचना मुख्य मंत्री को, अपने परम मित्र को दे देते तो मेरी ऐसी मान्यता है कि लाखों करोड़ों की प्रोपर्टी जो महन्त महाराज श्री हजम कर गये, वे कतई हजम नहीं कर सकते थे। अगर वे समय पर सब कुछ मुख्य मंत्री को कह देते तो बाद की सारी घटनाओं की जरूरत

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

नहीं पड़ती, इन्क्वायरी कमीशन बैठाने की नौबत नहीं आती शायद मुख्य मंत्री महोदय और राजस्व मन्त्री महोदय को अपनी बचाव का सर्टिफिकेट लेने की चिन्ता नहीं करनी पड़ती, लाखों-करोड़ों रुपया बरबाद नहीं होता और यह सारा काण्ड नहीं होता, और तब न हमें भी इसे राजनैतिक कलर देने की जरूरत पड़ती। इन सारी बातों के लिये मैं समझता हूं वे माननीय सदस्य सबसे अधिक जिम्मेदार हैं। मावली क्षेत्र से आने वाले माननीय सदस्य भी इसके लिए इतने ही जिम्मेदार हैं और बावजूद इन सब के, इस रिपोर्ट के आने के बावजूद भी वे अपनी इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकते।

मैं निवेदन कर रहा था कि जहां तक टेम्पल बोर्ड का ताल्लुक है उसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि उस टेम्पल बोर्ड ने भी अपना कर्त्तव्य नहीं निभाया। इन्क्वायरी कमीशन के सामने जितने तथ्य उसे रखने चाहिये थे वे सारे तथ्य नहीं रखे गये। मैं इसकेबारे में इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जिस समय यह टेम्पल बोर्ड बना उससे पहले राजस्थान बैंक में ४।। लाख रुपये जमा थे, दूसरी जगह ६ लाख और जमा थे तो बोर्ड बनने से पहले इतना पैसा बैंकों में जमा था, और इसके बाद देखते हैं आज २८,८१०)६० कैश अकाउन्ट में बचा रह गया है। यह बात, उपाध्यक्ष महोदय, मै तथ्यों पर कह रहा हूं। सदन में कहा गया कि हम विरोधी भावना रखते हैं। मेरी उन मेम्बरों से किसी से दुश्मनी नहीं है, किसी से कोई बैर-विरोध नहीं है, किसी से कोई ईर्ष्या नहीं है, पर आज इन मेम्बरों के कारनामों के खिलाफ सारे वैष्णव समाज में, स्पेसिफिकली वैष्णव समाज में वैसे तो सारे हिन्दू समाज में, बम्बई के वैष्णव समाज में, अहमदाबाद के वैष्णव समाज में, दिल्ली के वैष्णव समाज में बहुत गहरा असन्तोष छाया हुआ है। अब मेरे पास समय होता तो मैं उन सारे तथ्यों का यहां भलीभांति आपको दिग्दर्शन कराता कि किन किन कारनामों के कारण यह असन्तोष व्याप्त है, किस प्रकार से इस कमेटी ने, किस प्रकार वहां के मैनेजमेंट ने, वहां के उच्चाधिकारियों ने इन्क्वायरी कमीशन के सामने सारे तथ्यों को आने से रोका, किसी प्रकार की मदद नहीं दी, यह तो मदद देना अलग रहा पर तथ्यों को प्रकाश में लाने से किस प्रकार से रोका जाय, इस दिशा की तरफ उसने अपनी सारी ताकत लगाई। उनके वकीलों का सरकारी वकीलों का एक मात्र उद्देश्य था, ऊपर का दबाव था उन पर कि किसी तरह से मुख्य मन्त्री महोदय को बचाया जाय और राजस्व मन्त्री महोदय को बचायाजाय क्योंकि चीफ मिनिस्टर ने एडवोकेट जनरल को अपॉइन्ट किया था।

श्री उपाध्यक्ष : The motive which cannot be inferrred from the Report should not be attributed.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह एविडेन्स में कहा गया है कि उनको अपॉइन्ट किया था चीफ मिनिस्टर ने मैं तो केवल यह कह रहा था कि जो तथ्य कमीशन के सामने आने चाहिये थे वे नहीं आये। जो रेकॉर्ड, जो एविडेन्सेज जो डॉक्युमेंट्स कमीशन सामने पेश होने चाहिये थे वे नहीं किये गये। कोई चीज़ कमीशन के सामने नहीं लाई गई, बल्कि यों कहना चाहिये कि नहीं लाने दी गई।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

सारी ताकत उन्होंने इसमें लगाई कि किसी तरह का कोई तथ्य, कोई सही रेकॉर्ड कमीशन के सामने न आने पावे, क्योंकि एडवोकेट जनरल की नियुक्ति चीफ मिनिस्टर साहब ने की थी। उनके सामने एक चीज थी कि किसी तरह से इस कमीशन के सामने से बच कर निकला जाय, मुख्य मन्त्री और राजस्व मन्त्री को किसी तरह से इसमें से बचा कर लाया जाय। यह एक तरह का म्युच्युअल एडजस्टमेंट था, कॉम्प्रोमाइज़ था मुख्य मन्त्री और राजस्व मन्त्री में और उन कर्मचारियों में, उस मैनेजमेंट में कि हम बच जावेंगे तो तुम बच जावोगे। यह एक तरह का षड्यन्त्र था कि हम बच जावेंगे तो तुम बच जावोगे, क्योंकि क्रिमिनल प्रोसीक्यूशन हमारे हाथ में है। हम तुम्हें बचा ले जावेंगे, इस वक्त तुम हमें बचा लो। कोई ऐसी एविडेन्स, रेकॉर्ड कमीशन के सामने पेश मत करो, और इसलिए मैं कहूंगा कि यह एक प्रकार की कॉन्सपिरेसी थी। शायद यह २५ दिसम्बर, १९५७ को जो कॉन्सपिरेसी थी उससे भी बढ़ कर कन्सपिरेसी थी और इसके फलस्वरूप कई सारे तथ्य कमीशन के सामने नहीं आये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं टेम्पल बोर्ड के इन तीनों सदस्यों के बारे में भी निवेदन करना चाहता हूं कि किस तरह के उनके करेक्टर हैं, किस प्रकार के वे सदस्य हैं, उनके क्या चरित्र हैं और किस तरह से भ्रष्ट आचरणवालों को इसमें स्थान दिया गया है। जैसे कि श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि किसी पर रिज़र्व बैंक ने केस चला रखा है, फॉरिन एक्सचेन्ज की चोरी का केस चला रखा है, किसी पर स्मगलिंग का केस चल रहा है, किसी पर सरकार के इन्कम टैक्स की चोरियों के केस चल रहे हैं, सरकारी टैक्स की चोरियों के केस चल रहे हैं, सरकारी टैक्स की चोरियों के केस में कोई फंसा है और इस प्रकार के मेम्बर्स इस बोर्ड में हैं जो लाखों करोड़ों की सम्पत्ति के संरक्षक बना कर वहां बैठा दिये गये हैं। ये बड़ी खतरनाक बातें हैं। टेम्पल बोर्ड में मुखिया का महत्वपूर्ण स्थान है। मैं कोई ऐसी बात नहीं कहता कि मुखिया को अपॉइन्ट सरकार ने क्यों किया है? पर आपत्ति मुझे इस पर है कि यह ध्यान में रख कर ऐसे आदमियों को वहां बैठाया जाता है कि जिससे वे लोग सरकार से दबे रहें और टेम्पल बोर्ड किसी प्रकार सरकार के हाथ में खेलता रहे। वह कोई इन्डिपेन्डेन्ट माइन्ड एप्लाई नहीं करता। विष्णुदत्त नामक व्यक्ति को मुखिया के तौर पर वहां बैठा रखा है। वह वहां मुखिया के तौर पर काम कर रहा है, सरकार के हाथों में पूरी तरह खेल रहा है क्योंकि वह उनका सहपाठी है, उनका साथी है, सहचर है, दोस्त है। उसे उठा कर मुखिया की जगह रख दिया जाता है। उसे मेम्बर साथी भी ऐसे ही मिले हैं, कोई सरकारी टैक्सों की चोरी में फंसा है, कोई स्मगलिंग के मामलों में फंसा है और उनका मुखिया इस प्रकार का है। ऐसे आदमियों के हाथों में टेम्पल बोर्ड की सम्पत्ति की सुरक्षा सरकार करना चाहती है। मैं कहता हूं कि ऐसे आदमियों के हाथों में टेम्पल बोर्ड की सम्पत्ति कतई असुरक्षित है। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक उस सारे कानून के विरोध का सवाल है कानून जिस समय सदन में आया, हमने कहा था इस प्रकार की इन्क्वायरी से कोई फायदा नहीं होने वाला है, इस प्रकार की इन्क्वायरी का नतीजा कभी अच्छा नहीं निकलने वाला है जब तक कि

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

इस तरह के आदमी मैनेजमेंट में रखे जायेंगे। हमने अपनी आशंका उस वक्त ही व्यक्त कर दी थी कि इस प्रकार के अधिकारियों के वहां रहते इन्क्वायरी कभी सही तथ्यों को लेकर नहीं हो सकेगी। उसका नतीजा कभी सही नहीं निकलने वाला है।

(समय–समाप्ति सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि वह एक प्रकार से सही सोची–समझी कॉन्सपिरेसी थी। अगर ऐसा नहीं था और थोड़ी सी भी सरकार में अगर हिम्मत है तो आज फिर मैं यह दावे के साथ कहता हूं कि वह लावे वह इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट सदन में। वह हिम्मत करे रिपोर्ट को विचारार्थ सदन में लाने की। सारे तथ्य मालूम होंगे कि किस प्रकार से नाथद्वारा इन्क्वायरी कमीशन की रिपोर्ट के एग्ज़ीक्यूशन में जिन लोगों ने हिस्सा लिया वे सरकार के खैरख्वाह थे और किस प्रकार से उन्होंने अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं किया। लेकिन जहां तक नाथद्वारा टेम्पल का सम्बन्ध है, उसके लिये एक बात कहूंगा कि नाथद्वारा टेम्पल एक्ट के कानून में लिखा है कि जो आदमी किसी प्रकार से डिसक्वालीफाइड हो और मैं समझता हूं कि आज नैतिक गिरावट एक व्यक्ति की इससे ज्यादा नहीं हो सकती कि जो सरकारी करों की चोरी करे, जो टैक्स का इवेजन करे और जिसके ऊपर मुकदमे चल रहे हों। यह बात दूसरी है कि उन सदस्यों को टेम्पल से हटा दिया जाये और उसको री–कॉन्सटीट्यूट किया जाये और इसके लिए किसी एवीडेन्स की जरूरत नहीं है क्योंकि मोरल टरपीट्यूड उनमें इतनी ज्यादा है कि वह सरकारी करों की चोरी करते हैं, उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। इसलिए जो संकल्प श्री माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है मैं उसका हृदय से समर्थन करता हूं और सदन के सदस्यों से निवेदन करूंगा कि किसी प्रकार की दलबन्दी की चिन्ता नहीं करते हुये अगर श्रीनाथजी की प्रोपर्टी की सुरक्षा करनी है तो शुद्ध भाव से प्रेरित होकर इस प्रस्ताव को पास करें।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री उपाध्यक्ष : Hon'ble Minister to reply please.

श्री श्रीभानसिंह : अभी तो बोलना है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, उस दिन यह तय हो गया था कि सदन की कार्यवाही १२॥ बजे तक चलेगी और अभी तो माननीय मंत्री महोदय को जवाब देना है और फिर मूवर ऑफ दी रिज्योल्यूशन को भी उसका जवाब देना है....

श्री श्रीभानसिंह : तय हो गया होगा आप में और उनमें। वैसे कोई चीज नहीं थी।

श्री उपाध्यक्ष : "Rule 113:–"Provided that the mover of a resolution, when moving the same, and the Minister concerned, when speaking for the first time, may speak for thirty minutes..."

I will allow you only five minutes.

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : Mr. Deputy Speaker, Sir, the resolution in the House is that the present Nathdwara Temple Board has proved incompetent to manage the affairs of the temple. I would have certainly supported the resolution, had the mover of the resolution placed facts before the House. But, unfortunately, the mover and the seconder made it not only a political stunt, but also a wrong act of faith with them. This House must keep the background in mind, that it was at their specific charges of corruption levied in this House that the enquiry was instituted and it was open to them to substantiate their charges before the Enquiry Commission, and they fully utilised the opportunity in placing evidence before the Commission. When the Enquiry Commission came to the finding that the Chief Minister and the Revenue Minister were innocent, and other members were also exonerated, now they have made it an act of faith with them to take all available opportunities to bring slur, if not on the Minister, on the constitution of the Board at least.

Sir, this House must bear in mind that even if the Government has got powers under the Act to re-constitute the Board and to remove the members, one thing must be kept in view and it is this that it is for the Vaishnava Sect to mobilise opinion if the Board is not working properly or if the Mahant is not functioning properly. It is for the Vaishnava people and not for the Government. It is a matter of religion and let me assure the House that the Government will not interfere. But it should leave the Vaishnava Sect free to interfere in their management. It is for the Vaishnava Community to interfere and prosecute the Mahant. As he is Head of a Religious sect, it will be an unpracticable step if the Government interferes and removes him. Therefore, it is my humble request to the members of the opposition that they should not make it a political issue. When once they were given all the opportunities to place evidence before the Commission they failed to place the relevant evidence. And why should the members of the Committee be punished and why not their man, one Shri Narender Pal, who perjured before the Commission? Why should not he be prosecuted? I would have welcomed their suggestion if, along with the prosecution of the members of the Committee, they would have suggested that Shri Narender Pal should also be prosecuted for having perjured before the Commission. But this was not suggested. They should not distort or mis-place the facts before the House. My humble request to the Hon'ble Member, as a Senior legislator and leader of Opposition is that in this matter he should rise above the narrow political prejudices and he should come forward to help the Government, he should congratulate the Government for having established an enquiry and gone through all

(श्री श्रीमानसिंह)

the processes. But this was not the attitude. If the Commission had done according to their wishes, then the Commission was independent and impartial, and the officers, placed at the disposal of the Commission, would have been good; but since the findings have been otherwise, the Commission was wrong, officers were wrong, Advocate General was wrong and everybody was wrong.

I am not the one who would support a bad man or those people who have done something wrong. But the unfortunate point was that the Hon'ble Member completely failed to make out a case as to what wrong they have done. About the present management, he could not point out one single fact, one single instance as to how the management in the present circumstances is not managing the affairs of the temple properly.

As I said, the resolution should have been divided in two parts. First, that the Committee has not implemented the report of the Commission, and the second that the Management Committee has not proved worthy in the management of the temple affairs. But the Hon'ble Member left both these points aside and on the contrary he made this an occasion to discuss the Commission's report and to discuss it according to his own point of view and to place wrong facts which were not true.

So, in the end, Sir, my humble request to him is that since his resolution did not achieve the object which he wanted, though of course it may have brought some discredit to the Board, he should have a helping attitude towards the Board because it is newly constituted, and he should strengthen the hands of the Government. If he is against the Mahant, then this legislature is not the forum for him. His forum is where the Vaishnava Community resides. He should convince that Community to disown the man. This House or the Government can never disown the man and remove him as he is respected by the Vaishnava Community. Therefore, I would request the House that a resolution which is brought with political motives with un-healthy background—when all possible steps were taken by the Government and all opportunities were given to them to prove their contention and when they have failed in that, then the House should reject that resolution outright.

१२. म.

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, जो रिज़ोल्युशन श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने पेश किया है उन्होंने अपने भाषण में यह बतलाने की कोशिश की है कि इस टेम्पल बोर्ड को भंग किया जाये। टेम्पल बोर्ड को भंग करने के लिए हमारे इस नाथद्वारा एक्ट में प्रावधान है और उसमें कुछ ग्राउन्ड्स दिए हुए हैं जिनके बिना पर टेम्पल बोर्ड

(श्री दामोदरलाल व्यास)

को भंग किया जा सकता है। लेकिन उन्होंने एक भी तथ्य भाषण में नहीं बताया जो कि इस सेशन से कवर होता हो, जिससे कि टेम्पल बोर्ड को भंग किया जाये। आप सब इस बात को जानते हैं कि एक-दो ही एलीगेशन्स, यानि ऐसे एलीगेशन्स जिनकी कोई एवीडेन्स नहीं है रखे गये; तो कोई एक्शन किसी के खिलाफ गवर्नमेंट नहीं ले सकती। माननीय सदस्य ने एक बात अपने भाषण के दौरान में बताई कि कोई स्मगलर है, कोई टैक्स इवेडर है; ये इस तरह की बातें कहीं कि जिनके लिए मैं कह सकता हूं कि उनका कोई बेस नहीं है। मैं आपको बताऊं कि किसी भी मेम्बर के खिलाफ न तो कोई कन्विक्शन ही हुआ है और न वे ऐसे हैं। केवल एक बात बारबार यहां सदन में आती है कि स्मगलर हैं। तो मैं आपको बताऊं कि वह तो दो तोला गोल्ड पाउडर किसी और शख्स के उनकी मार्फत एक, एक तोला की तीन पार्सल आई थी। वह पुलिस ने पकड़ी है और पुलिस के यहां से भी वह केस चालान नहीं हुआ है। वह इसलिए कि वह पार्सल केअर ऑफ उनके किसी के नाम आये हैं और उन्होंने समझ लिया कि स्मगलर हैं। मैं समझता हूँ कि यह वाजिब नहीं है। जिस दिन कोर्ट का फैसला हो जायगा और पुलिस चालान कर देगी तब बात सामने आयेगी।

मैं समझता हूं कि जिस उद्देश्य को लेकर टेम्पल बोर्ड बना है वह साफ है कि नाथद्वारे के मंदिर का प्रबन्ध इस प्रकार का होना चाहिए, प्रोपर्टी की रक्षा होनी चाहिए। ट्रस्ट ऐसे आदमियों के हाथ में होना चाहिए कि जो इन्तजाम करें वह टेम्पल के हित में करें। प्रोपर्टी कहीं खुर्दबुर्द नहीं हो जाय, इस उद्देश्य से टेम्पल बोर्ड बना है। टेम्पल बोर्ड के किसी भी सदस्य के खिलाफ यह शिकायत साबित हो कि वे इन्तजाम करने के अन्दर, मैनेजमेंट करने के अन्दर अपने जो फर्ज हैं उनको अदा नहीं करते हैं, ड्युटीज़ को डिस्चार्ज नहीं करते हैं तो इसमें शक नहीं है कि गवर्नमेंट तुरन्त एक्शन लेगी, कानून में जो दिया है वह एक्शन लेगी। वे अगर महसूस करते हैं कि अयोग्य हैं तो खाली एलीगेशन लगाने से तो गवर्नमेंट एक्शन नहीं ले सकती है। गवर्नमेंट को एक्शन लेने के लिए काफी तथ्यों को देना पड़ेगा और ऐसी शहादतें देनी पड़ेंगी और इस बात को साबित करना पड़ेगा कि किसी ने कोई गल्ती की है या नहीं।

जहां तक टेम्पल बोर्ड के काम करने का सम्बन्ध है मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार का नाथद्वारे का मैनेजमेंट पहले था उसके बाद टेम्पल बोर्ड के हाथ में मैनेजमेंट आया तो काफी सुधार हुआ है। यह जो माननीय सदस्य ने कहा कि बदइन्तजामी है, यह बिल्कुल गलत है। बदइन्तजामी उस जमाने में थी जब कि टेम्पल बोर्ड नहीं था। उस ज़माने में महाराज को पूरे अधिकार थे मंदिर के ऊपर, प्रोपर्टी के ऊपर और चाहे उस तरह से खर्च करते थे। किसी प्रकार का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था। जब से टेम्पल बोर्ड बना है, उसके बाद में उसका बजट बनता है, उसके एकाउन्ट्स ऑडिट होते हैं। हर तरह से सिस्टेमेटिक काम होता है, बल्कि मैं कह सकता हूँ कि वहां पर जो लाखों रुपयों की ज्वेलरी थी उसका फिज़ीकल वेरीफिकेशन किया गया, वेल्युएशन किया गया।

(श्री दामोदरलाल व्यास)

उसके एकाउन्ट्स पुराने सब ऑडिट करा रहे हैं। बाकायदा आडिटर्स बैठे हुए हैं। उसका बजट पहले डेफिसिट हुआ करता था अब उसका बजट डेफिसिट नहीं, सरप्लस बजट है। माननीय सदस्य ने एक उदाहरण दिया था कि साढ़े चार लाख वहां जमा थे और ६ लाख वहां जमा थे; खैर इस वक्त मुझे बैंक एकाउन्ट की जानकारी नहीं है। मैं समझता हूं कि जमा थे या नहीं, यह बात दूसरी है, मगर मैं इस बात को कह सकता हूं कि जो इन्तजाम पहले था टेम्पल बोर्ड बनने के पश्चात्, नाथद्वारे के इन्तज़ाम में काफी सुधार हुआ है। हर एक प्रोपर्टी की रक्षा के लिए जो एक्शन लेना चाहिए था वह लिया है।

इसके अलावा माननीय सदस्य ने जो उसके पर्सोनल्स हैं उनके ऊपर, खास तौर से जो चेअरमैन हैं टेम्पल बोर्ड के श्री कृष्णराज ठाकरसी उनके ऊपर यह चार्ज लगाना चाहा कि उन्होंने शुरू में जब कि वे चेअरमैन थे पहले की मेनेजमेंट कमेटी में थे उस वक्त से आज तक अयोग्य रहे हैं, अयोग्य अपने आपको साबित किया है, किसी प्रकार से टेम्पल के इन्ट्रेस्ट के अन्दर काम नहीं किया है। तो मैं बड़ी नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि ठाकरसी का काम जिस प्रकार का रहा, उन्होंने किस तरह से इन्तज़ाम किया उसको कमीशन ने, आप चाहे कुछ कहें, प्रशंसा की है। वैष्णव समाज इस बात को जानता है कि उन्होंने मंदिर के इन्तजाम में सुधार किया है। इसका बेकग्राउन्ड मैं माननीय सदस्य को देना चाहता हूँ, जिस तरह से टेम्पल बोर्ड बना और मि० ठाकरसी उसके चेअरमैन बने। वे मेरे या राज्य सरकार के बनाने से नहीं बने। वे हिन्दुस्तान के बड़े बड़े वैष्णवों की राय से बने हैं। उनकी पसन्द से टेम्पल बोर्ड के अन्दर लिया गया है। इस टेम्पल बोर्ड से पहले मैनेजमेंट कमेटी के नाम से जो थी उसमें वे लिये गयेथे। भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री के निवास स्थान पर जहां कि काफी बड़े बड़े वैष्णव हिन्दुस्तान के मौजूद थे और उन्होंने इनको पसन्द किया। इनके स्टेटस के लिहाज से, इनकी इन्टीग्रिटी के लिहाज से, वैष्णव धर्म में पूरा विश्वास होने के लिहाज से उन्होंने पसन्द किया। वे सब की राय से लिये गये थे। उसके बाद २५ दिसम्बर को वाकया हुआ और ४ जनवरी को एक्शन नहीं लिया गया। आप नाथद्वारा कमीशन की रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कमीशन ने उनके एक्शन को एप्रिशियेट किया है। जो कुछ भी एक्शन लिया है उस वक्त के सर्कमस्टान्सेज़ में वह प्रेक्टिकेबल था। यही लेना चाहिए था। इसके सिवाय और कोई पोसिबिलिटी नहीं थी। नाथद्वारा टेम्पल की प्रोपर्टी महाराज श्री से ले ली। वे शायद नहीं लेते तो वह गलत था। मैं रिलेवेन्ट पोर्शन को पढ़कर सदन का समय नहीं बिताऊंगा। अगर माननीय सदस्य इन्कार करते हैं तो पढ़कर सुना सकता हूं। इनके कन्डक्ट की पूरी तरह से जांच की है, यानी इन्होंने जितना इन्वेस्टीगेशन किया है जो कुछ फैसला किया है और प्रेस स्टेटमेंट दिया है वह उन सरकमस्टान्सेज़ में ठीक था या नहीं था। कमीशन की फाइन्डिंग्ज़ हैं कि उन सरकमस्टान्सेज़ के अन्दर इससे बहतरीन ज्यादा समझदारी का काम और नहीं था कि महाराज श्री से फैसला कर लिया। उसके वजुहात दिये हैं।

इसके अलावा यह जो माननीय सदस्य

(श्री दामोदरलाल व्यास)

ने-मूवर जो हैं रिज़ोल्यूशन के, उन्होंने पहले कहा है कि कमीशन की रिपोर्ट देने के बाद में टेम्पल बोर्ड ने कोई एक्शन नहीं लिया। वैसे आम तौर पर कहा करते हैं। जो टेम्पल बोर्ड द्वारा कोई एक्शन लेने की बात कही है मैं समझता हूं ठीक नहीं है। टेम्पल बोर्ड ने कमीशन की रिपोर्ट पर बराबर जो एक्शन लेना चाहिए था वह लिया है। इसमें कोई दो राय नहीं हैं। उनके मिनिट्स और प्रोसीडिंग्स को आप देखेंगे तो उसमें बराबर उन्होंने अपने फैसले किये हैं कि इनके खिलाफ फैसला किया जाय। बहरहाल, मैंने पहले भी अर्ज किया था कि कमीशन एक फैक्ट फाइन्डिंग बॉडी है। उसके फाइडिंग्ज़ कन्क्लूज़िव प्रूफ नहीं हैं। न उसकी एवीडेन्स किसी केस के अन्दर हो सकती है, हर एक केस के अन्दर चाहे वह क्रिमिनल हो या सिविल हो इन्डिपेन्डेन्ट एवीडेन्स चाहिए। हरएक इन्गिडियेन्ट ऑफ एवीडेन्स को साबित करना पड़ेगा। केवल कमीशन की रिपोर्ट से ही काम नहीं चल सकता है। कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ कमीशन की रिपोर्ट को कन्क्लूज़िव तो क्या, ऑर्डिनरी एवीडेन्स भी शुमार नहीं करेगी। जहां तक कमीशन ने लिखा है कि स्टेट या टेम्पल बोर्ड सिविल या क्रिमिनल एक्शन जो मुनासिब समझे लेना, उसके मुताबिक ले सकती है। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि इस टेम्पल बोर्ड ने ज्योंही रिपोर्ट पेश हुई, इस रिपोर्ट पर कन्सीडरेशन किया और यह कहा कि कन्हैयालाल दरोगा गहनाघर और पन्नालाल उस्ताद को बर्खास्त सरकार ने कर दिया। सरकार बर्खास्त करने की अधिकारी नहीं है। सरकार मिसबिहेवियर की वजह से टेम्पल बोर्ड को भंग कर सकती है। टेम्पल बोर्ड वैष्णव सम्प्रदाय वालों की ऑटोनोमस बोडी है। उसकी मैनेजमेंट के अन्दर, सर्विसेज़ के लिहाज से टेम्पल बोर्ड बिल्कुल इन्डिपेन्डेन्ट है। सरकार का उसमें कोई दखल नहीं है। जहां तक इन दो की बर्खास्तगी का सवाल है उसके लिए टेम्पल बोर्ड को गवर्नमेंट ने एडवाइस किया था कि कमीशन की रिकमन्डेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए तुरन्त इन दोनों आदमियों को रिमूव कर दिया जाय। इसके अलावा और क्या एक्शन लेना चाहिए? मैं माननीय सदस्यों को जानकारी देना चाहता हूं कि टेम्पल बोर्ड के कॉन्स्टीट्यूशन के सिलसिले में कुछ वैष्णवों की सलाह से महाराज श्री ने हाई कोर्ट में रिट पेश कर रखी है। वह पेंडिंग है। दूसरी बात यह थी कि जो प्रोपर्टी आमेर के अन्दर पकड़ी गई थी जिसकी प्रोसीडिंग्ज़ मजिस्ट्रेट के यहां चलाई गई। टेम्पल बोर्ड ने क्लेम किया था कि प्रोपर्टी मंदिर की है अपने वकील की मारफत। वह मुकदमा चल रहा है। वह क्लेम कर रहे थे उसके निस्बत एक रिट टेम्पल बोर्ड के खिलाफ, स्टेट के खिलाफ महाराज श्री ने कर रखी थी। मतलब यह है कि जितनी प्रोपर्टी महाराज से पकड़ी गई आमेर में उसके मुतल्लिक मुकदमा चल रहा था मजिस्ट्रेट के यहां और दूसरा एक हाई कोर्ट के अन्दर टेम्पल बोर्ड दोनों मुकदमात को अपने वकील के ज़रिये से और अपने और जो सेक्रेटरीज़ मेम्बर्स हैं उनके ज़रिये बराबर पैरवी कर रहा था और इस तरह की कोशिश कर रहा था कि यह प्रोपर्टी किसी तरह से महाराज श्री के पास नहीं चली जाय, बल्कि टेम्पल को मिले।

इसके साथ महाराज ने एक रिट पेश की और जैसा कि माननीय सदस्य ने पढ़ कर

(श्री दामोदरलाल व्यास)

सुनाया जस्टिस जगतनारायणजी ने अपने जजमेन्ट में यह लिखा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि कानून को आप जानने वाले हैं ! मजिस्ट्रेट के यहां प्रोपर्टी की कार्यवाही चल रही है और जगतनारायणजी ने जो फैसला दिया उसमें प्रोपर्टी के लिये यह कहीं नहीं है कि थैफ्ट हुआ है या मिसएप्रोप्रियेशन हुआ है, इसलिये रिलीज़ किया जाय। मैं यह कहना चाहता हूं कि इससे पहले ऑलरेडी क्रिमिनल केस पुलिस में कर दिया था और यह प्रोपर्टी सीज़ करली गई थी। इस पर भी आपका यह कहना कि टेम्पल बोर्ड ने कोई कार्यवाही नहीं की, मेरे ख्याल से उचित नहीं है। मैं थोड़ा सा एक्सट्रेक्ट पढ़ कर सुनाऊंगा जिससे मालूम होगा कि बराबर एक्शन लिया गया है जो कि लेना चाहिये था :

"The police has seized under Section 308 of Cr. P. C. the jewellery at Amber. The Maharaj Shri applied to High Court for having these proceedings quashed. The lawyers were of the opinion that there were reasonable prospects of Maharaj Shri succeeding. The matter was due to be heard in February, 1959 and if Maharaj Shri succeeded, an order would be made as a matter of course for returning to him all the jewellery seized. The President informed the Board that he was definitely of opinion and this opinion was shared by Shri Brindaban Lalji and Shri S. D. Ujwal that the majority of the jewellery seized at Amber was by nature for the use of the diety.. It was essential that the jewellery seized should not be allowed to go into the hands of Maharaj Shri. Though the Enquiry Commission had opined that the Maharaj Shri had committed a criminal act, the local lawyers in Jaipur and the Advocate General had grave doubts of securing conviction in criminal proceedings. They were all agreed that it was for the Board to ensure that the jewellery seized did not go to Maharaj Shri. It was essential that the Board should file a civil suit and obtain an injunction or lodge with the police a first information report for getting the property seized. On the recommendation of the President the Board decided to lodge a criminal case, and a criminal case was lodged and property was seized during investigation of that case by the police."

इसलिये यह कहना कि प्रोपर्टी के मुतल्लिक बोर्ड ने कोई कार्यवाही नहीं की, जो करनी चाहिये थी, यह मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत है।

अब रहा सवाल इस बात का जैसा कि माननीय सदस्य कहा करते हैं कि फलां को क्यों नहीं पकड़ा ? इस बारे में मैं ऑलरेडी कह चुका हूं कि पकड़ना-धकड़ना कानून से होता है। यहां पर कानून का राज्य है। अलबत्ता मैंने जो ओपीनियन एटोरनी जनरल की पढ़ कर सुनाई थी उसके लिये यह कहा, उस समय कुछ कह रहे थे और आज यह कह रहे हैं कि टेम्पल बोर्ड पर क्यों नहीं छोड़ा ? गवर्नमेन्ट की यह पॉलिसी है कि किसी प्रोपर्टी के बारे में किसी ने क्रिमिनल ऑफेन्स किया है तो उसके लिये गवर्नमेन्ट की रेस्पोन्सिबिलिटी

(श्री दामोदरलाल व्यास)

है। क्रिमिनल ऑफेन्स है तो उसके लिये क्या करना चाहिये, उसके बारे में गवर्नमेन्ट ने अपने लॉ ऑफिसर्स की और लॉयर्स की राय लेने के बाद जो हाइयेस्ट लॉयर्स हो सकते हैं हिन्दुस्तान के उनसे राय ली। यह कहना कि टेम्पल बोर्ड को कहते तो वे कोई डिफरेन्ट राय ले आते, कहां तक उचित है? मैं यह कहना चाहता हूं कि जिन लॉयर्स की राय हमने ली है वे एबव बोर्ड हैं। रहा टेम्पल बोर्ड द्वारा राय लेने का सवाल, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आप यही नहीं समझें कि हमने ही लॉयर्स की राय ली हो, उन्होंने भी बॉम्बे में जो अच्छे से अच्छे लॉयर्स हैं उनकी राय उन्होंने ली है और वहां से राय लेने के बाद जयपुर में आये हैं और यहां के लॉयर्स की भी राय ली है और सब की राय लेकर क्रिमिनल केस तब दायर किया है और यह डिसीजन लिया है कि क्रिमिनल केस में देरी लगे तो सिविल सूट करने की कार्यवाही करेंगे। इतनी बात के बाद मैं नहीं कह सकता कि प्रोपर्टी महाराज श्री को नहीं मिले, उसके लिये एक्शन नहीं लिया, मैं समझता हूँ यह बात कहना ठीक नहीं है।

अब रहे कुछ पोइन्ट्स कमीशन की रिपोर्ट और जो ठाकरसी ने स्टेटमेन्ट दिया था उसको लेकर माननीय सदस्य....

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : जो स्टेटमेन्ट उन्होंने प्रेस को दिया था उसकी बात है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरे पास वह प्रेस स्टेटमेन्ट इस समय है नहीं लेकिन मैंने पहले उसे सदन में पेश किया है। वह स्टेटमेन्ट वही है जो कमेटी ने नाथद्वारा मीटिंग में डिसीजन लिया था और इसके बारे में जो एक्शन लिया उस पर कमीशन ने कहा है कि उस वख्त के सरकमस्टान्सेज़ के लिये ठाकरसी और कमेटी के मेम्बर्स ने जो डिसीजन लिया उससे अच्छा डिसीजन लेना प्रेक्टिकेबल नहीं था। महाराज श्री से आपसी फैसला करके जितनी प्रोपर्टी ले सकते थे उतनी ली। ताला तोड़ कर जो प्रोपर्टी निकाली गई थी उसके बारे में उनके पास कोई प्रूफ नहीं था, कोई जमा-खर्च नहीं था। कमीशन ने इस बात के लिये उनको क्रेडिट दिया है। कमीशन ने रिपोर्ट में लिखा है : "I give credit to Mr. Thackersey for such an action. It was the only prudent and practical solution under the circumstances." ये तमाम बातें हैं जिनको लेकर आप किस तरह से कहना चाहते हैं? रहा सवाल इस बात का जैसा कि आपको पहले भी मैंने कहा कि मेरे ध्यान में यह बात लायेंगे कि किसी ने स्मग्लिंग किया है या किसी को और तरह से सजा हुई है तो वह चाहे कोई भी मेम्बर हो, नाथद्वारा टेम्पल बोर्ड एक्ट के जो रिमूवल के सेक्शन्स हैं उनके अनुसार कार्यवाही की जायेगी। आपके पास इस प्रकार के तथ्य हों या उनके खिलाफ कोई एविडेन्स हो तो आपको चाहिये कि आप यदि बहुत शुभचिन्तक हैं प्रोपर्टी को बचाने में या प्रोपर्टी में बहुत ज्यादा इन्ट्रेस्टेड हैं तो लिख कर दीजिये, मैं उसकी जांच कराता हूँ या नहीं। लेकिन केवल इसलिये कि आपको कोई सूचना देते हैं और आप उसको मानते हैं उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा सके क्योंकि गवर्नमेन्ट जो एक्शन लेगी वह लीगल और मेरिट्स पर होगा। हियर-से रिपोर्ट पर टेम्पल बोर्ड को डिज़ोल्व नहीं किया जा

18 April 1960.

(श्री दामोदरलाल व्यास)

सकता।

वैष्णवों की एक सभा बम्बे में हुई। उसका जिक्र करके माननीय सदस्य ने इस बात पर जोर दिया है कि वैष्णव समाज की सभा हुई जिसमें प्रस्ताव पास हुआ। मेरे ख्याल से मैंने जो एक्सप्रेशन किया है बोर्ड की पोज़ीशन का उसको जानने के बाद वह प्रस्ताव गलत है और इसकी आवश्यकता नहीं है। उनका यह कहना कि महाराज श्री की एप्लीकेशन को अपोज नहीं किया हाई कोर्ट में, यह बिल्कुल गलत बात है। हाई कोर्ट में गवर्नमेन्ट के एडवोकेट जनरल और महाराज के एडवोकेट वहां जाते हैं। हो सकता है महाराज ने टेम्पल की चीजों को इधर से उधर किया हो और उसकी खबर नहीं हो और वैष्णव बोर्ड के कुछ लोगों ने बैठ कर फैसला कर दिया हो लेकिन कोई तथ्य सामने नहीं रखे हैं। अब जहां तक टेम्पल बोर्ड के इन्ट्रेस्ट लेने का सवाल है मैं यही कह सकता हूं कि जितना एक्शन उनको लेना चाहिये उतना ले रहे हैं, अपनी तरफ से उन्होंने कोई कानूनी कमी नहीं रखी है। अब सवाल यह है कि अदालत से क्या फैसला होता है, क्या नहीं। इसका इलाज आप और मैं दोनों नहीं कर सकते वे तो मेरिट्स पर जजमेन्ट देंगे।

इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूं कि इस मन्दिर के अकाउन्ट्स जनरली डिस-ऑर्डरली वे में थे, न प्रोपर्टी का फ़िज़ीकल वेरिफ़िकेशन था और न इनका इन्द्राज था। इस बोर्ड ने अपनी मीटिंग्ज और मिनिट्स के जरिये ऑडिटर्स नियुक्त किये हैं, सारी ज्वेलरी का वेल्युएशन कराया है। अहमदाबाद के एक जौहरी को खास तौर से मुकर्रर किया है। वेल्युएशन का काम हो रहा है। जहां तक और प्रोपर्टी का सम्बन्ध है, चाहे नाथद्वारा में है या हिन्दुस्तान में, और जगह उनकी पूरी इन्वेन्टरी नहीं थी इस बात की कार्यवाही की है कि रेन्टडीड वगैरह तैयार करवाये हैं और दूसरी आवश्यक कार्यवाही की है।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

मैं संक्षेप में कह देता हूं, क्योंकि मुझे घंटी का इशारा मिल चुका है। मैं संक्षेप में इतनी ही बात कह सकता हूं कि बोर्ड का काम संतोषजनक है और यह चार्ज लगाना कि बोर्ड अपनी ड्यूटी ठीक तरह से अंजाम नहीं दे रहा है; मैं समझता हूं उसके साथ न्याय नहीं है।

मैं आपको एक बात और अर्ज करना चाहता हूं कि नाथद्वारा मंदिर इन्क्वायरी कमीशन था, उसके सामने, माननीय सदस्य, जो मूवर हैं, जो सपोर्टर हैं रिज़ोल्यूशन के, ने इन्टरवीनर की हैसियत से मुद्दयान की पैरवी की है और जो दलील ठाकरसी के खिलाफ पेश करते हैं, वही के वही दलील, आर्ग्युमेंट्स एडवान्स किये। यह कहना चाहिए कि ठाकरसी के खिलाफ जो उन्होंने बातें कही हैं, जितनी बातें उन्होंने प्रोपर्टी के बारे में कही, उन तमाम बातों को कहने का उनको मौका दिया गया, उनके वकील को मौका दिया गया, उसके बाद चीफ जस्टिस ने अपनी फाइंडिंग्ज़ दी। अब एक्शन लेने की बात है, तो बोर्ड ने जो एक्शन लिया है, वह प्रूडेन्ट और प्रेक्टीकल है। अब आपकी बात के बिना पर ठाकरसी को गलत समझ लेवें, उनके इन्तजाम को गलत समझ लेवें; यह वाजिब नहीं होगा...........

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : टाइम हो गया, कल कह लीजिये।

श्री श्रीमानसिंह (बयाना) : टाइम हो गया।

श्री दामोदरलाल व्यास : All right, Sir. अगर कोई शिकायत है तो ठाकरसी के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। आप हमें तथ्य दें, हम उसकी जानकारी करके एक्शन लेंगे। यह बात मैं अर्ज करना चाहता हूं।

(करतल-ध्वनि)

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : माननीय उपाध्यक्ष,....

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : The time is up, Sir.

श्री भैरोंसिंह : माननीय उपाध्यक्ष, मैं १० मिनट चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : यह प्रश्न सदन का है, समय को आगे बढ़ाने का।

क्या सदन की सम्मति है कि समय को आगे बढ़ाया जाय?

("No-no, Yes, yes" की सम्मिलित ध्वनियें)

श्री भैरोंसिंह : आपको समय बढ़ाना चाहिए। आप समय बढ़ा सकते हैं।

('No, no' की ध्वनि)

श्री उपाध्यक्ष : We now adjourn sine die.

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : 'Ayse' have it, Sir.

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : 'Noes' have it.

(शोर)

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है।

(शोर)

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : अन्याय है, गलत है, उपाध्यक्ष महोदय। डरते हैं।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही मध्यान्ह पश्चात् १२ बज कर ३२ मिनट पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।)

संक्षिप्त-विवरण

(सोमवार, १८ अप्रैल, १९६०)

स्कम

जनलेखा समिति, १९५९–६० के प्रतिवेदन का उपस्थापन ८७१२

श्री हरिदेव जोशी, सभापति, जनलेखा समिति, १९५९–६० ने प्राईवेट संस्थाओं में राजकीय धनराशि के नियोजन से सम्बन्धित समिति के सातवें प्रतिवेदन का उपस्थापन किया।

शासकीय विधायी कार्य

राजस्थान टिनेन्सी (संशोधन) विधेयक, १९५९ ८७१२

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिये जाने के प्रस्ताव पर दिनांक १५ अप्रेल, १९६० को की गई बहस का उत्तर आज श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व मंत्री, ने समाप्त किया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव को अस्वीकार किया जाकर विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

स्कम

तत्पश्चात् विधेयक पर खंडशः विचार आरम्भ हुआः–

खण्ड २, ३ व ४:–स्वीकार किये गये।

खण्ड ५:––संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड ६, ७, ८ व ९:––स्वीकार किये गये।

खण्ड १ आदि:––संशोधित रूप में स्वीकार किये गये।

तदुपरान्त विधेयक सदन द्वारा पारित भी किया गया।

अशासकीय विधायी कार्य

राजस्थान समाज शिक्षण बोर्ड विधेयक, १९५८ ८७५२

दिनांक २७ फरवरी, १९५९ को प्रस्तुत श्री जनार्दनराय नागर के इस प्रस्ताव पर कि उपरोक्त विधेयक को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, आज विचार किया गया।

Page No.81

स्कम्भ

श्री नागर ने उनके द्वारा दिनांक २७-२-१९५९ को प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव को वापस लेकर उसके स्थान पर निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत किया:—

"राजस्थान समाज शिक्षण बोर्ड विधेयक, १९५८ को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो कि अपना प्रतिवेदन अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्त तक प्रस्तुत करे।"

समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे:—

१. श्री निरंजननाथ आचार्य।
२. श्री पूनमचन्द बिश्नोई।
३. श्री जनार्दनराय नागर।
४. डॉ० चन्द्रकला।
५. राव श्री नारायणसिंह (मसूदा)।
६. श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी।
७. श्री तेजपाल।
८. श्री गणपतलाल वर्मा।
९. श्रीमती कमला श्रोत्रिय।
१०. श्री रामचन्द्र।
११. श्री धर्मपाल।
१२. श्रीमती प्रभा मिश्रा।
१३. श्री सतीशचन्द्र।

स्कम्भ

१४. श्री दयाकृष्ण विजय।
१५. श्री मुरलीधर व्यास।
१६. श्री महेन्द्रसिंह पंवार।
१७. श्री गुलाबसिंह।
१८. श्री नरेन्द्रसिंह।
१९. श्री फूलजी भाई।
२०. डॉ० बहादुरसिंह।
२१. श्री मांगीलाल।
२२. श्री मानकचन्द कोठारी।
२३. श्री लालूराम।
२४. श्री लच्छूराम।
२५. श्री अनोपसिंह।

वाद-विवाद के पश्चात् प्रस्ताव सदन द्वारा स्वीकार किया जाकर विधेयक प्रवर समिति के सुपुर्द किया गया।

अशासकीय संकल्प।

श्री भैरोंसिंह(१४), सदस्य, विधान सभा, ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया:—

"इस सदन की सम्मति है कि वर्तमान नाथद्वारा टेम्पल बोर्ड नाथद्वारा मन्दिर की व्यवस्था करने में अयोग्य सिद्ध हुआ है;

अतः इस बोर्ड को भंग किया जाय।"

इस पर की बहस में निम्नलिखित सदस्यों ने अपने २ विचार व्यक्त किये:—

१. श्री जनार्दनराय नागर।

२. श्री किशनलाल शर्मा।

३. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

४. श्री श्रीभानसिंह।

श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व मंत्री, ने बहस का उत्तर दिया।

सदन की बैठक १२ बज कर ३२ मिनट पर अनिश्चित काल के लिये स्थगित हुई।

शुद्धि-पत्र

(सोमवार, १८ अप्रैल, १९६०)

स्कम्भसंख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१	२	३	४
८७१८	१	wihtin	within
,,	२	Mmunicipal	Municipal
,,	१६	shal	shall
८७३६	शीर्षक	राजस्था नकृषि	राजस्थान कृषि
८७४२	१३	चूंकिं इस	चूंकि इस
८७५७	११	अध्यक्ष महोदय	अध्यक्ष महोदय
८७६५	१	इस प्रक	इस प्रकार की
८७७५	३	so mcuh	so much
८७७८	२८	कराएग	कराएगा
८७९०	शीर्षक	सनाज	समाज
८७९१	२२	में काम में	में काम
८७९२	१२	को	करें
,,	अन्तिम से६	श्रोर बिल	श्रौर बिल
८७९५	शीर्षक	बिधेयक	विधेयक
८७९६	२३	परिवतन	परिवर्तन
८७९७	१६	दैल	देख
,,	२४	Co-ordinaton	Co-ordination
,,	२८	editions	editions
८८०१से ८८६९तक	शीर्षक	अशासंकीय	अशासकीय
८८०३	अन्तिम	implemennftion	implementation
८८०६	७	extran³ous	extraneous
,,	अन्तिम से ४	फाइडिंग्स	फाइन्डिंग्स
८८०७	१०	फरिवरी	फरवरी
८८०८	१७	Bh girathi	Bhagirathi
८८११	४	अन्डरस्टेडिग	अन्डरस्टैंडिंग
८८१८	शीर्षक	सम्बन्धी	सम्बन्धी
८८२२	२	Cominittee	Committee
८८२६	१२	की ज	की जो
८८२९	११	आयोग्य	अयोग्य
८८३१	अन्तिम से९	किर्णय	निर्णय
८८४२	१९	Shri Satish chandra Aqarwai	Shri Satish chandra Agrawal
,,	अन्तिम से ४	Conlude	Conclude

(२)

१	२	३	४
८.५२	११	b t	but
८८५४	अन्तिम से६	affars	affairs
८८५५	१८	va shnava	Vaishnava
८८५६	अन्तिम से५	बहतरीम	बहतरीन
८८६०	शीर्षक	८८६	८८६०
८८६६	७	'Avse'	'Ayes'